



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1943 (श0)
(सं0 पटना 63) पटना, मंगलवार, 8 फरवरी 2022

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना
7 फरवरी 2022

सं० 6 एस०एस०(11)06/2020-326—बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 की धारा-38 एवं 39 में निहित प्रावधान में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा “बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020” (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ) संलग्न परिशिष्ट के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद् की दिनांक-19.09.2020 को आहूत बैठक की कार्यावली संख्या-2 तथा प्रबंधन मंडल की दिनांक-22.09.2020 को आयोजित षष्ट्म बैठक की कार्यावली संख्या-1.2.4 द्वारा परिनियम अनुमोदित है।

3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-28.01.2022 की मद संख्या-12 के रूप में परिनियम मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
सरकार के सचिव।

अध्याय-I

1.0 संक्षिप्त शीर्षक I- यह परिनियम, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 2016 का 15) के अध्याय- VII के खण्ड-38 एवं 39 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुशरण करते हुए बनाये गए हैं एवं इसे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 कहा जायेगा।

1.1 आरम्भ I- यह परिनियम बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1.2 परिभाषाएं- इस परिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए सभी विनियमों में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- i. **“अधिनियम”** से अभिप्रेरित है “बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम- 2016”
- ii. **“खंड”** से अभिप्रेरित है अधिनियम का खंड
- iii. **“धारा”** से अभिप्रेरित है अधिनियम का धारा
- iv. **“परिलब्धि”** से अभिप्रेरित है वेतन, विशेष वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान और इसमें वेतन के रूप में कोई भी भत्ता या पारिश्रमिक वर्ग शामिल होगा
- v. **“कर्म”** से अभिप्रेरित है पूर्णकालिक कर्म जो अंशकालीन कर्म, अवैतनिक कर्म या वैसे कर्म जो आकस्मिक निधि से भुगतान प्राप्त कर रहे हों, से भिन्न हैं
- vi. **“सरकार”** से अभिप्रेरित है बिहार सरकार
- vii. अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों जिनका प्रयोग किया गया है परन्तु परिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है

अध्याय-II

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

विश्वविद्यालय के प्राधिकार एवं अन्य निकायों की शक्तियाँ एवं दायित्व

2.1 विश्वविद्यालय के प्राधिकार I-अधिनियम के धारा-9, उपधारा-(1-5) में विहित प्राधिकार के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा:

(i) वित्त समिति

2.2 प्रबंधन बोर्ड और इसका गठन I-अधिनियम के धारा-10(2) की उपधारा (i से xv) और धारा-10 की उप-धारा- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में विहित प्रावधानों के अनुरूप इसका गठन होगा।

2.2.1 प्रबंधन बोर्ड की शक्ति एवं कार्य I-प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य वही रहेंगे जैसा अधिनियम के अध्याय-III की धारा-11 की उपधारा-1 और 2 (i से xv) में विहित है।

2.3 विद्वत परिषद् (अकादमिक परिषद्) का गठन I-विद्वत परिषद् (अकादमिक परिषद्) का गठन अधिनियम के धारा-12 की उपधारा-1, 2 और 3 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

2.3.1 विद्वत परिषद् में नामांकन I-अधिनियम के धारा-12 में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त कुलपति विद्वत परिषद् के सदस्य के रूप में एक छात्र को एक वर्ष के लिए नामित करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

2.3.2 विद्वत परिषद् की शक्ति एवं कार्य I-अधिनियम के अध्याय-III की धारा-13 की उपधारा (1), (2) व (3) में विहित शक्तियाँ एवं कृत्य के अतिरिक्त विद्वत परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

- (i) शिक्षण एवं प्राध्यापकों, छात्रों का मूल्यांकन एवं छात्र परामर्श सेवा आदि के सम्बन्ध में शक्ति संवर्धन कदम उठाना।
- (ii) अन्य विश्वविद्यालयों के उपाधियों एवं पाठ्यक्रमों को जांचने एवं मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन बोर्ड को उसे मान्यतार्थ अनुशंसा करना।
- (iii) अंतर-संकाय शिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृत करने, प्रत्येक संकाय में शिक्षण, शोध और शिक्षा प्रसार हेतु समय-समय पर एकीकृत करने हेतु अनुशंसा करना ताकि उपलब्ध संसाधनों का उत्कृष्टतम उपयोग संभव हो।
- (iv) अभ्यर्थियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य अकादमिक परिलब्धियों के लिए प्रबंधन बोर्ड को अनुशंसा करना।

- (v) नवीन डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र को लागू करने के लिए प्रबंधन बोर्ड को अनुशंसा करना।
- (vi) प्रदेश हित में विश्वविद्यालय में नया महाविद्यालय/संस्थान की स्थापना हेतु प्रबंधन मंडल को संस्तुति करना।
- (vii) विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों के छात्रों को पुरस्कृत करने हेतु छात्रवृत्ति, वजीफा, पदक एवं अध्येताकृति आदि प्रतिस्थापन के लिए प्रबंधन बोर्ड को प्रस्ताव करना।
- (viii) (i) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, पदक एवं पुरस्कार देने के सम्बन्ध में, (ii) दीक्षांत समारोह का संचालन, (iii) छात्रों के अनुशासन अनुपालन संरक्षा तथा (iv) नामांकन, अकादमिक कृत्य, परीक्षाएं एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में आवासीय निर्देश के सम्बन्ध में विनियम बनाना।
- (ix) छात्रों एवं प्रशिक्षुओं के लिए नए छात्रावास स्थापना हेतु अनुशंसा करना।
- (x) विश्वविद्यालय छात्रावासों के प्रबंधन हेतु नियम एवं विनियम बनाना।
- (xi) Adjunct/Visiting शिक्षकों तथा सम्मानित चेयर के पदों के स्थापित करने हेतु नियमावली बनाना।
- (xii) विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली फीस एवं अन्य वसूलियों की राशि के लिए प्रस्ताव देना तथा यथोचित उसमें समय-समय पर संशोधन हेतु अनुशंसा करना।
- (xiii) शिक्षण एवं शोध में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर संस्थानों, निगमों तथा अन्य संस्थानों के साथ परस्पर संपर्क विकसित करना तथा ऐसे संस्थानों के साथ किये गए इकरारनामा एवं अनुबंध पर विचार करना तथा उसपर अनुमोदन देना।
- (xiv) छात्रों को अच्छे पेशेवर तथा अकादमिक मामलों जिसमें पुस्तकालय नियंत्रण एवं प्रबंधन शामिल है, के साथ-साथ पाठ्येत्तर गतिविधियों के सम्बन्ध में सुझाव देना उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो।
- (xv) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विभिन्न विषयों में प्राध्यापकों के मध्य विविध अनुशासन को अति वृद्धि के उद्देश्य से पेशेवर संगठनों/समुदायों के गठन में सहायता

करना और बैठक, सम्मलेन तथा कार्यशाला का आयोजन करना तथा उसे प्रचारित करना।

(xvi) अन्य अकादमिक मामलों पर विचार करना।

2.4 शोध परिषद् का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य I-अधिनियम के अध्याय-III की धारा-14 की उपधारा- (1) एवं (2) में विहित सदस्यों के अतिरिक्त निम्न विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे-

- (i) क्षेत्रीय स्टेशनों के निदेशक/उप-निदेशक/विश्वविद्यालय के उप-निदेशक
- (ii) प्रबंध निदेशक, सहकारी दुग्ध संघ (COMFED), पटना
- (iii) परियोजना निदेशक, बिहार पशुधन विकास एजेंसी, बिहार, पटना
- (iv) परिषद् की बैठक में गणपूर्ति (Quorum) सदस्यों की संख्या वही होगी जो अकादमिक परिषद् के लिए अधिनियम में विहित है।

2.4.1 शोध परिषद् की शक्तियाँ I-अधिनियम के अध्याय - III की धारा - 15 की उपधारा-(1) में खंड-(i) से (v) में वर्णित शक्तियों एवं कृत्य के अतिरिक्त निम्नलिखित होंगे-

- (i) विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे विविध शोध कार्यक्रमों की योजना बनाना, मूल्यांकन करना/ समीक्षा करना।
- (ii) चल रहे शोध कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उचित कदम उठाना।
- (iii) अंतर्विषयक तथा अंतरसंस्थान शोध कार्यक्रमों में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ समन्वय एवं समेकित करना।
- (iv) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशुधन एवं मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध विधाओं को अपनाना, जलवायवीय परिवर्तन के आलोक में नव क्षितिज में अनुसन्धान कार्यक्रमों का अंग बनाना।

2.5 प्रसार शिक्षा परिषद् का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य I-अधिनियम के अध्याय-III की धारा-16 की उपधारा-1 व 2 की खंड- (iसेviii) और उपधारा-2 में वर्णित सदस्यों के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे-

- (i) विश्वविद्यालय नियंत्रणाधीन कृषि विज्ञान केंद्र/पशु विज्ञान केंद्र के प्रधान
- (ii) प्रबंध निदेशक, सहकारी दुग्ध संघ (COMFED), पटना
- (iii) एक प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी दुग्ध संघ
- (iv) निदेशक, आल इंडिया रेडियो, पटना

- (v) निदेशक, दूरदर्शन, पटना
- (vi) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (जीविका)

2.5.1 प्रसार शिक्षा परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य I- अधिनियम के अध्याय-III की धारा-17 की उपधारा-1 की खंड- (i से vi) में विहित प्रावधान के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे-

- (i) विश्वविद्यालय एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, बामेती, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मध्य शोध गतिविधियों एवं निष्कर्षों का सम्बद्ध पक्षों तथा सरकारी विभागों तक पहुँचाने के लिए समन्वय स्थापित करना।

2.6 विश्वविद्यालय संकाय I- अधिनियम के अध्याय- III की धारा-18 की उपधारा-(1) में वर्णित संकायों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त नए संकाय सम्मिलित किये जायेंगे-

2.6.1 संकाय की बैठक के सदस्य-

(i)	सम्बद्ध संकाय के वरीय अधिष्ठाता	-	अध्यक्ष
(ii)	सम्बद्ध महाविद्यालय के समस्त अधिष्ठातागण	-	सदस्य
(iii)	सम्बद्ध महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
(iv)	प्रत्येक महाविद्यालय के एक सह-प्राध्यापक एवं एक सहायक प्राध्यापक को दो वर्षों के लिए वरीयता के अनुसार रोटेशन के आधार पर नामित किया जायेगा	-	सदस्य
(v)	विभागाध्यक्ष में से एक को संकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा	-	सदस्य सचिव

2.6.2 प्रत्येक संकाय के कृत्य निम्नलिखित होंगे I- अधिनियम के धारा-18 की उपधारा-5 की खंड-(i)से(iv) में वर्णित कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संकाय के निम्नलिखित कृत्य होंगे-

- (i) स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निर्धारित होने वाले शर्तों के लिए अकादमिक परिषद् को अनुशंसा करना।
- (ii) अकादमिक परिषद् को छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए मानकों की सिफारिश करना।

2.7 अध्ययन बोर्ड का गठन, प्राधिकार एवं कृत्य I-अध्ययन बोर्ड का गठन तथा कृत्य अधिनियम के अध्याय- III की धारा-18 की उपधारा-(6) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप होंगे-

2.7.1 अध्ययन बोर्ड का गठन-

(i)	महाविद्यालय के अधिष्ठाता	-	अध्यक्ष/सभापति
(ii)	समस्त विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
(iii)	सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा नामित एक प्राध्यापक, एक सह-प्राध्यापक एवं एक सहायक प्राध्यापक	-	सदस्य
(iv)	अधिष्ठाता द्वारा नामित एक विभागाध्यक्ष/प्राध्यापक	-	सदस्य सचिव

2.7.2 अध्ययन बोर्ड के कृत्य I-अधिनियम के अध्याय-III की धारा-18 की उपधारा-(7) में वर्णित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्य होंगे-

- विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अध्ययन हेतु कोर्स और पाठ्यक्रम से सम्बंधित संकाय को अनुदेश प्रस्तावित करना।
- अध्ययन किये जाने वाले पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करना।
- अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्देशित प्राधिकार का प्रयोग करना और अन्य ऐसे कृत्यों का अनुपालन करना।
- महाविद्यालय में स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का प्रस्ताव करना।

2.8 स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का गठन, प्राधिकार एवं कृत्य-

2.8.1 स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का गठन-

(i)	निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर	-	अध्यक्ष/सभापति
(ii)	सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता	-	सदस्य
(iii)	निदेशक (अनुसन्धान)	-	सदस्य
(iv)	समस्त विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
(v)	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शिक्षण में लगे एक प्राध्यापक, एक सह-प्राध्यापक एवं एक सहायक प्राध्यापक का दो वर्षों के लिए सभापति द्वारा नामित	-	सचिव
(vi)	अध्यक्ष द्वारा नामित एक विभागाध्यक्ष	-	सदस्य सचिव

2.8.2 स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का कृत्य I-अधिनियम के अध्याय-III की धारा-18 की उपधारा-(7) में विहित प्रावधानों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे-

- (i) स्नातकोत्तर अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का अनुदेश प्रस्तावित करना।
- (ii) कोर्स के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करना।
- (iii) महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों की प्रवेश क्षमता का प्रस्ताव करना।
- (iv) अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्देशित प्राधिकारों का प्रयोग करना तथा अन्य कृत्यों का अनुपालन करना।
- (v) छात्रों के मूल्यांकन, शोध गतिविधियाँ तथा शिक्षण के मापदंडों में सुधार हेतु लिए जाने वाले उपायों का सुझाव देना।
- (vi) छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बंधित विद्यमान निर्देश एवं विनियमों में बदलाव के लिए सुझाव देना।

2.9 आवासीय अनुदेशक समिति I-

2.9.1 आवासीय अनुदेशक समिति का गठन I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 की उपधारा- (1) व धारा-28 की उपधारा- (1, 2 व 3) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप आवासीय अनुदेशक नियमों को सुव्यवस्थित करने तथा आवासीय अनुदेशक स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के विनियमन के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए

2.9.2 आवासीय अनुदेशक समिति के सदस्य-

(i)	निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर	-	अध्यक्ष/सभापति
(ii)	निदेशक (छात्र कल्याण)	-	सदस्य
(iii)	सम्बद्ध महाविद्यालय/संकाय के अधिष्ठाता	-	सदस्य
(iv)	परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
(v)	सहायक कुलसचिव (शिक्षण)	-	सदस्य
(vi)	सहायक कुलसचिव (परीक्षा)	-	सदस्य
(vii)	उप-निदेशक आवासीय अनुदेशक	-	सदस्य सचिव

2.9.3 आवासीय अनुदेशक समिति के कृत्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 की उपधारा- (1) और धारा-28 की उपधारा- (1, 2, 3) में वर्णित कृत्यों के अतिरिक्त आवासीय अनुदेशक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे-

- (i) विश्वविद्यालय के स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) के सभी स्तरों पर शिक्षण के स्तर को विनियमित करना, कायम रखना तथा सुधार करना।
- (ii) अकादमिक परिषद् के अनुमोदन के लिए छात्रों के प्रवेश, निर्देश, कायम रखने तथा परीक्षा सम्बन्धी विनियमों को तैयार करना।
- (iii) अकादमिक परिषद् द्वारा यथा निर्देशित प्राधिकार का प्रयोग करना तथा अन्य कृत्यों का अनुपालन करना।
- (iv) पाठ्यचर्या (करिकुलर) अनुसन्धान और छात्रों के मूल्यांकन के मानकों में सुधार के उपायों का सुझाव देना।

2.10 प्रत्येक संकाय के विभिन्न विभाग I-अधिनियम के अध्याय-III की धारा- 18 की उपधारा- (3) के अनुरूप अकादमिक परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित संकाय के विभिन्न विभाग होंगे।

अध्याय – III

विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य

3.1 विश्वविद्यालय के पदाधिकारी I-अधिनियम के धारा-22 की उपधारा-(i से xii) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त उपधारा-(xii) में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे-

- (i) निदेशक कार्य एवं संयंत्र
- (ii) सम्पदा पदाधिकारी

3.2 कुलपति की नियुक्ति, शक्ति एवं कृत्य-

3.2.1 कुलपति की नियुक्ति I-कुलपति की नियुक्ति, अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-23 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

3.2.2 कुलपति की शक्ति एवं कृत्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-25 की उपधारा- (1 से 11) में वर्णित शक्तियां एवं कृत्यों के अतिरिक्त कुलपति के निम्नलिखित शक्तियां एवं कृत्य होंगे-

- (i) विधिवत चयन समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत सहायक प्राध्यापको एवं समकक्ष पदों को भरा जाना;
- (ii) छः महीने तक की अवधि के लिए प्राध्यापक एवं समकक्ष पदों को तदर्थ ढंग से भरा जाना तथा इस सम्बन्ध में उठाये गए कदमों की जानकारी प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। यदि छः माह से अधिक अवधि प्रसार आवश्यक है तो इस हेतु प्रबंधन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा;
- (iii) विश्वविद्यालय हित में किसी कर्मचारी को उसके वेतन, स्थिति और सेवा-शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित करेंगे;
- (iv) विश्वविद्यालय की अनुमोदित बजट के भीतर आवर्ती और अनावर्ती व्यय को मंजूरी देंगे, बशर्ते की वह विनियोग की विभिन्न इकाइयों के भीतर राशि का पुनः उचित उपयोग कर सके;
- (v) किसी व्यक्ति के वर्तमान पदों को सुरक्षा देते हुए विश्वविद्यालय के आवश्यकता से अधिक पदों की समाप्ति हेतु प्रबंधन बोर्ड को अनुशंसा करेंगे;
- (vi) छात्रों के प्रवेश, शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के चयन, प्रशासनिक प्रकृति की पूछताछ (इन्क्वायरी) का संचालन और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझे जाने के लिए तदर्थ समितियों का गठन करेंगे;

- (vii) 'ब्लैक आउट' तथा 'लॉक डाउन' या अन्य सुरक्षा अथवा नागरिक सुरक्षा उपायों पर निर्देश सहित परिसरों के रख-रखाव और संचालन के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार ऐसे विनियम/स्थायी निर्देश तथा अन्य नियम बनायेंगे।

3.3 निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर की शक्ति, कार्य एवं कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 की उपधारा-(1) व अध्याय-V की धारा-28 में वर्णित शक्ति एवं कार्य के अतिरिक्त निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर निम्नलिखित शक्ति, कार्य एवं कर्तव्य होंगे-

- (i) शिक्षण एवं छात्र उत्कृष्टता के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए कैंपस और फैकल्टी के अन्दर कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे;
- (ii) अकादमिक परिषद् और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय आवासीय निर्देश पर नियमावली तैयार करेंगे;
- (iii) विश्वविद्यालय में आवासीय निर्देश विनियमों को लागू करना और ऐसे आदेश पारित करना जो आवश्यक हों;
- (iv) विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण के आयोजन और संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिए महाविद्यालयों के अधिष्ठाता के परामर्श से आवश्यक आदेश पारित करेंगे;
- (v) स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा पाठ्यचर्या (करिकुलर) अनुसंधान के समन्वय और विश्वविद्यालय के सामान्य अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ इसके एकीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (vi) स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित नीतियां तैयार करना और कुलपति को उनके विचार के लिए प्रस्तुत करना तथा इसे अकादमिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (vii) स्नातकोत्तर छात्रों के अभिलेख (रिकॉर्ड) रखने और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (viii) अंतर-संस्थागत स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और व्यक्तियों के बीच परस्पर संपर्क/समझौता ज्ञापन विकसित करेंगे;
- (ix) अकादमिक परिषद में प्रस्तुति के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों से संबंधित एजेंडा तैयार करना, स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड और आवासीय निर्देश समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना;
- (x) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कुलपति द्वारा सौंपे जायेंगे।

3.4 निदेशक अनुसंधान की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय- IV की धारा-27 की उप-धारा (2) और अध्याय- V की धारा-29 में वर्णित शक्तियां और कृत्य के अतिरिक्त, निदेशक अनुसंधान की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:

- (i) विश्वविद्यालय में अनुसंधान का विकास और समन्वय करना, अनुसंधान कार्यक्रमों में अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देना, निदेशक प्रसार शिक्षा के समन्वय और सहयोग से शोध के परिणामों को प्रसारित करना;
- (ii) स्टाफ के सदस्यों द्वारा शिक्षण विभागों के भीतर किए गए सभी शोधों का समन्वय करेंगे;
- (iii) विश्वविद्यालय की अनुसंधान सुविधा की स्थापना, अनुसंधान कार्यक्रमों की शुरुआत और जारी रखने के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (iv) अंतर-संस्थागत और अंतर-संस्थागत अनुसंधान नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना और उन्हें अनुसंधान परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे;
- (v) अनुसंधान कर्मचारियों, अनुसंधान परियोजनाओं/ योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राप्त और आवंटित अनुसंधान निधि और अनुसंधान कार्यक्रमों की खोज के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई सभी परिसंपत्तियों, भौतिक सुविधाओं और सामग्रियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे;
- (vi) विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यक्रमों का वार्षिक बजट लेखा-जोखा तैयार करना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (vii) बाह्य प्रायोजित एजेंसियों से प्राप्त अनुसंधान निधि और संबंधित परियोजना जांच इकाई को इसके वितरण का प्रबंधन करना और निधि का समुचित उपयोग और अनुसंधान प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे;
- (viii) राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य संगठन या निजी संस्थान जैसे अनुसंधान सहायता अनुदान एजेंसियों से व्युत्पन्न करने के लिए प्रधान संपर्क अधिकारी होंगे;
- (ix) अनुसंधान परिषद की बैठकें आयोजित करने, कार्यावली तैयार करने और कार्यवाही प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (x) विश्वविद्यालय की प्रक्रियाओं और उत्पादों के व्यावसायीकरण/पेटेंटिंग/ प्रौद्योगिकी जारी करने के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

3.5 निदेशक प्रसार शिक्षा की शक्तियां, कार्य और कृत्य I- अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 की उप-धारा (3) और अध्याय-V की धारा-30 में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त निदेशक प्रसार शिक्षा की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे:

- (i) अधिष्ठाता और निदेशक अनुसंधान के समन्वय से सभी प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना;
- (ii) राज्य के पशुधन, कुक्कुट, डेयरी और मत्स्य पालक किसानों के संबंध में प्रसार गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करना;
- (iii) किसानों और अन्य हितधारकों के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रसार के लिए उपयुक्त प्रसार मॉडल/पद्धति विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (iv) प्रसार कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि आदि और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संगठनों के साथ अच्छे संपर्क विकसित करना;
- (v) विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत, संगठन और संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे और इस आशय के लिए आवश्यक आदेश पारित करना;
- (vi) प्रसार शिक्षा कर्मचारियों और इस उद्देश्य के लिए आवंटित राशि और विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए सौंपी गई भौतिक सुविधाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करना;
- (vii) प्रसार शिक्षा के लिए बजट का लेखा-जोखा तैयार करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (viii) मास मीडिया के माध्यम से संचार के लिए प्रकाशन और फिल्मों जैसे विभिन्न प्रारूपों में सामग्री विकसित करने और हितधारकों को सीधे वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (ix) प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रकाशनों, दृश्य-श्रव्य माध्यमों, रेडियो, प्रेस और अन्य सामग्रियों से संबंधित संचार केंद्र के कामकाज का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना;
- (x) शिक्षण और अनुसंधान के साथ प्रसार शिक्षा के एकीकरण का व्यवस्थापन करना;
- (xi) प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने और कार्यवाही के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होंगे।

3.6 महाविद्यालय के अधिष्ठाता की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 के खंड-(4) के उप-खंड-(i) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त महाविद्यालय के अधिष्ठाता की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे:

- (i) महाविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी के साथ-साथ इसके प्रशासन और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (ii) महाविद्यालय में विभिन्न विभागों के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (iii) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, छात्रों और जनता के साथ महाविद्यालय के सभी कार्यक्रमों के लिए आधिकारिक रूप में कृत्य करेंगे;
- (iv) प्रत्येक विभाग को शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए राशि और सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (v) पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा करने के लिए प्रत्येक विभाग में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (vi) छात्रों की कक्षा, छात्रावास और परीक्षा गतिविधियों की समग्र रिपोर्ट रखने की दृष्टि से छात्र सलाहकार समिति की गतिविधि की निगरानी के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे;
- (vii) छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए परिसर में खेल, सांस्कृतिक, वाद-विवाद और किसी भी अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के आयोजन के लिए छात्र कल्याण अधिकारी और वार्डन/ छात्रावास अधीक्षक से परामर्श करने के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (viii) महाविद्यालय के शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में अंतर-अनुशासनात्मक कार्यक्रमों के बारे में निदेशक आवासीय अनुदेशक, निदेशक अनुसंधान और निदेशक प्रसार शिक्षा, जैसा भी मामला हो, के साथ समन्वय करेंगे;
- (ix) महाविद्यालय से संबंधित परिनियम और अन्य विनियमों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (x) महाविद्यालय से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए अध्ययन बोर्ड को नीतियां तैयार करना और पेश करना;
- (xi) ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक महाविद्यालय कार्यरत हैं, सबसे वरीय अधिष्ठाता संकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे;

- (xii) छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के लिए अनुशासन, शैक्षणिक सद्भाव और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और महाविद्यालय/संकाय में अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों की उपलब्धि के लिए कुलपति के प्रति जिम्मेदार होंगे;
- (xiii) अनुशासनहीनता, कदाचार और शांति और सद्भाव के उल्लंघन के लिए परिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप विद्यार्थियों को उपयुक्त दंड देना;
- (xiv) महाविद्यालय विभाग/संकाय में आवासीय निर्देश के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे और उस प्रयोजन के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों के परामर्श से आवश्यक आदेश पारित करेंगे;
- (xv) छात्रों के प्रवेश, पंजीकरण और प्रगति का पर्यवेक्षण करना और महाविद्यालय/संकाय के कामकाज पर कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (xvi) प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण/अनुसंधान/प्रसार गतिविधि भार का बारीकी से निरीक्षण करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान के लिए शिक्षकों को सौंपे गए क्रेडिट लोड और अन्य कार्य भार (अनुसंधान और प्रसार) की मात्रा को विनियमित करना;
- (xvii) महाविद्यालय के लिए बजट का लेखा-जोखा तैयार करना और आवंटित बजट के उपयोग की निगरानी करना।

3.7 कुलसचिव की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I- अधिनियम के अध्याय- IV की धारा-27, के खंड-(5) की उप-धारा (i) से (v) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त कुलसचिव के निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे:

- (i) कुलपति और बोर्ड के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होना;
- (ii) विश्वविद्यालय की ओर से मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने वाला अधिकारी होना और यदि आवश्यक हो तो कुलपति के अनुमोदन से वकील नियुक्त करना;
- (iii) विश्वविद्यालय की ओर से इकरारनामा करना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और अभिलेखों को प्रमाणित करना;
- (iv) कुलपति के अनुमोदन पर प्रशासनिक शक्ति के प्रत्यायोजन की सूचना देना;

- (v) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर को तैयार करना और प्रसारित करना और यूजी और पीजी दोनों कार्यक्रमों की परीक्षाओं का समय पर संचालन करना;
- (vi) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होना;
- (vii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी डिग्रियों/डिप्लोमाओं/प्रमाण-पत्रों के एक रजिस्टर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना;
- (viii) शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अधिष्ठाता(ओं) से छात्रों के ग्रेड प्राप्त करने के लिए और सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट), अंक-पत्र और डिग्री प्रमाण-पत्र जारी करना;
- (ix) छात्रों के प्रवासन सहित सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना;
- (x) विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होना, जैसे- विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अवकाश, सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि;
- (xi) कुलपति का पूर्वानुमोदन लेकर स्थापना एवं प्रशासन संबंधी कार्यालय आदेश जारी करना। वह विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक मामलों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

3.8 वित्त नियंत्रक की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27, की उप-धारा (6) के खंड (i) से iv) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त वित्त नियंत्रक की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे:

- (i) विश्वविद्यालय के सभी चल और अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड के संरक्षक होंगे, जिसमें मूल्यवान प्रतिभूतियां, शीर्षक (टाइटल), विलेख (डीड्स), नकद और विश्वविद्यालय की अन्य तरल परिसंपत्तियां शामिल हैं और यह भी देखना होगा कि मुख्यालय सहित सभी इकाइयों में संपत्ति रजिस्टर (स्टॉक बुक रजिस्टर) अद्यतित है और नियमित रूप से स्टॉक की जाँच हो रही है;
- (ii) विश्वविद्यालय की ओर से व्यय करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को संबंधित लेखा मद के लिए आवंटित वार्षिक और अनुपूरक आवंटन के बारे में सूचित करना;
- (iii) वित्तीय अनियमितताओं, यदि कोई हो, के संबंध में कुलपति के संज्ञान में लाना;

- (iv) विश्वविद्यालय और इसकी इकाइयों के मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक खातों को समेकित करना;
- (v) विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और बैलेंस शीट को वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा परीक्षा और प्रमाणन के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होना;
- (vi) विश्वविद्यालय के बजट का ससमय तैयार करना तथा उसे कुलपति के माध्यम से वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय स्वीकृति ससमय पर प्राप्त हो;
- (vii) विश्वविद्यालय के वित्तीय विनियमों को तैयार करना और इसे विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार के माध्यम से पारित करवाना;
- (viii) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के लिए विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमों का पालन करना। जब तक विश्वविद्यालय वित्तीय नियम प्रभावी नहीं हो जाते तबतक, बिहार वित्तीय/सामान्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाएगा;
- (ix) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होना कि व्यय अधिकृत के रूप में किया गया है और विश्वविद्यालय के खातों का उचित रूप से रखरखाव और लेखा परीक्षा की जाती है;
- (x) यह देखने के लिए कि विश्वविद्यालय को आय और प्राप्तियां एकत्र की जाती हैं और सभी भुगतान तुरंत किए जाते हैं;
- (xi) वित्त समिति की बैठकें बुलाना और बजट लेखा-जोखा अग्रिम रूप से प्रबंधन बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना;
- (xii) विश्वविद्यालय की वित्त समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना;
- (xiii) विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होना;
- (xiv) कुलपति के अनुमोदन से वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन को संप्रेषित करना;
- (xv) कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विश्वविद्यालय और उसके सभी परिसरों के सभी वित्त, खातों और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिष्ठानों को विनियमित करना;
- (xvi) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करना जो समय-समय पर कुलपति द्वारा सौंपे जाते हैं।

3.9 विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-सूचना पदाधिकारी की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय- IV की धारा- 27 की उप-धारा (7) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-सूचना पदाधिकारी के निम्नलिखित शक्तियों, कृत्य और कर्तव्यों होंगे:

- (i) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का रखरखाव और प्रबंधन करना;
- (ii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों और पुस्तकालय कर्मियों के कामकाज पर समग्र नियंत्रण रखना;
- (iii) बजट आकलन में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों की परिचालन और विकास आवश्यकताओं का वार्षिक विवरण तैयार करना;
- (iv) विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों से समय-समय पर पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि के लिए मांग प्राप्त करके पुस्तकालयों के रखरखाव और उन्नयन के लिए जिम्मेदार होना;
- (v) सभी पुस्तकालय सामग्री प्राप्ति और वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार होना;
- (vi) सभी पुस्तकालय सामग्री की खरीद और सदस्यता की शुरुआत के लिए जिम्मेदार होना;
- (vii) छात्रों और कर्मचारियों द्वारा पुस्तकालय सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन देने हेतु कार्यक्रम की शुरुआत और डिजाइन करना;
- (viii) विश्वविद्यालय की विभिन्न संघटक इकाइयों के पुस्तकालयों में काम करने के मानदंडों का मार्गदर्शन और सुझाव देना;
- (ix) थीसिस, रिपोर्ट्स, प्रोसीडिंग्स, न्यूजलेटर्स, और रिसर्च पब्लिकेशन्स आदि सहित सभी विश्वविद्यालय प्रकाशनों का भंडारण रखना;
- (x) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का करना जो समय-समय पर कुलपति द्वारा उन्हें सौंपा जाय।

3.10 छात्र कल्याण अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय- IV की धारा- 27 की उप-धारा (8) खंड (i) से (vi), में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त छात्र कल्याण अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे:

- (i) छात्रावास मेस और कैफेटेरिया सहित छात्रों के ठहरने और रहने की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होना;
- (ii) प्लेसमेंट सेल का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना और छात्रों के कैंपस चयन/प्लेसमेंट के लिए प्रावधान करना;

- (iii) छात्रावास के वार्डन और सभी छात्रावासों के अधीक्षकों को कृत्य सौंपना और वार्डन, अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी और छात्रावास के काम के लिए प्रतिनियुक्त/ लगे हुए अन्य कर्मचारी/कर्मियों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण रखना;
- (iv) छात्रों के प्रदर्शन और छात्रों के कल्याण के बारे में माता-पिता/अभिभावकों के साथ संवाद करना;
- (v) छात्रों के समग्र विकास के लिए खेल, सांस्कृतिक, एनसीसी, एनएसएस, अन्य शारीरिक शैक्षिक कार्यक्रमों, प्रेरक, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय की अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसी पाठ्येतर गतिविधियों की योजना बनाना और आयोजन करना;
- (vi) संबंधित अधिष्ठाता और कुलसचिव के परामर्श से छात्रावास की मर्यादा, अनुशासन और विनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (vii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उन्हें समय-समय पर कुलपति द्वारा सौंपे जाएं;
- (viii) संबंधित अधिष्ठाता के परामर्श से और कुलपति के अनुमोदन से, छात्रावास के वार्डन/अधीक्षकों की नियुक्ति करना।

3.11 विधि पदाधिकारी की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 की उप-धारा (9) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त विधि पदाधिकारी के निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे:

- (i) विश्वविद्यालय के अदालती मामलों और कानूनी मामलों से संबंधित सभी संचिकाओं और अभिलेखों का संरक्षक होना;
- (ii) अदालती मामलों के तथ्यों का विवरण तैयार करना और मामलों की पैरवी करने के लिए विश्वविद्यालय के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराना;
- (iii) विभिन्न न्यायालयों के समक्ष नए और लंबित मामलों के संबंध में कुलसचिव और कुलपति को अवगत रखना;
- (iv) न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में कुलसचिव और कुलपति के प्रति उत्तरदायी होना और समय-समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करना।

3.12 जनसंपर्क पदाधिकारी की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-अधिनियम के अध्याय-IV की धारा-27 की उप-धारा (10) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त जनसंपर्क पदाधिकारी के निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे:

- (i) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्देशित आधिकारिक कर्तव्य पर विश्वविद्यालय में आने वाले अधिकारियों/पदाधिकारियों और किसी गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रोटोकॉल का सुझाव देने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना;
- (ii) विश्वविद्यालय के कामकाज और विकास पर पूरी जानकारी रखना;
- (iii) विश्वविद्यालय में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों/प्रतिनिधियों को स्वागत करने और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्देशित उचित आतिथ्य स्वागत करने के सुझावों के लिए जिम्मेदार होना;
- (iv) विश्वविद्यालय के कामकाज में समन्वय और सहयोग के लिए राज्य/केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ संपर्क रखना और अन्य विभागों के साथ विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर नज़र रखना;
- (v) सरकार एवं जनता में विश्वविद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों का उचित प्रचार-प्रसार के लिए संचार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, ऑडियो-विजुअल माध्यम, रेडियो, प्रेस विज्ञप्ति और अन्य सामग्री के संबंध में कुलपति या उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होना;
- (vi) प्रचार रणनीतियों और अभियानों सहित नियोजित प्रचार अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छी छवि बनाने और बनाए रखने के लिए मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करना; जनता, प्रेस और संबंधित संगठनों से पूछताछ के विवरण के लिए प्रस्तुतियों और प्रेस विज्ञप्तियों को लिखना और तैयार करना;
- (vii) प्रेस कांफ्रेंस, खुले दिनों और यात्राओं जैसे प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- (viii) वेबसाइटों के लिए सामग्री विकसित करने और इसे नियमित रूप से अपडेट करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होना;
- (ix) कुलपति या अन्य निर्धारित अधिकारी द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

3.13 निदेशक कार्य एवं संयंत्र की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-निदेशक, कार्य एवं संयंत्र की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य इस प्रकार होंगे:

- (i) विश्वविद्यालय के भवनों, सड़कों और इसी तरह की गतिविधियों के नए निर्माण पर नियंत्रण रखना;
- (ii) ऐसी मशीनरी की स्थापना और रखरखाव का पर्यवेक्षण करना जो कुलपति द्वारा उसके नियंत्रण में सौंपी जाए;
- (iii) कुलपति द्वारा आदेशित विश्वविद्यालय भवनों और मैदानों के निर्माण या परिवर्तन के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए डिजाइन, योजना और आक्कलन आदि तैयार करना;
- (iv) कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कृत्य।

3.14 संपदा पदाधिकारी की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-संपदा पदाधिकारी की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य इस प्रकार होंगे:

- (i) समग्र प्रतिभूतियों और सभी अचल संपत्तियों जैसे- भवन, पेड़, सड़क आदि और विश्वविद्यालय के अन्य चल और अचल संरचना के प्रभारी के रूप में जिम्मेदार होना;
- (ii) विश्वविद्यालय और इसकी घटक इकाइयों में पानी/बिजली की आपूर्ति, जल निकासी के प्रावधान और संचार के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना;
- (iii) विश्वविद्यालय की बिजली, पानी की आपूर्ति और अग्नि सुरक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना;
- (iv) विश्वविद्यालय के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत बजट की सूची तैयार करना और समय-समय पर मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट देना;
- (v) विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य के संबंध में लेखा-जोखा रखना;
- (vi) परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/कैफेटेरिया/कैंटीन सहित उपयोगिता सेवाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रस्ताव तैयार करना और इसे निदेशक, कार्य एवं संयंत्र/कुलपति को मंजूरी के लिए भेजना;
- (vii) विश्वविद्यालय की भूमि और मुख्य परिसर के भवनों के साथ-साथ विश्वविद्यालय की सभी घटक इकाइयों के रिकॉर्ड/सूचना को अद्यतन करना;
- (viii) विश्वविद्यालय भवन, सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, बाड़, खेल का मैदान, पार्क की भूमि (अनुसंधान और शिक्षण फार्म के अलावा) और

- विश्वविद्यालय की अन्य भौतिक सुविधाओं को बनाए रखना और चोरी, आग और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करना;
- (ix) परिवहन सेवाओं के प्रबंधन की जांच करना और विश्वविद्यालय के वाहनों को चालू रखना;
 - (x) विश्वविद्यालय के उपकरणों की स्थापना, उपयोग और रखरखाव करना और कमरों, घरों, भवनों, मैदानों आदि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना;
 - (xi) विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति की खरीद और निपटान के लिए जिम्मेदार होना;
 - (xii) विश्वविद्यालय भवनों के परिवर्धन/परिवर्तन और मैदानों की तैयारी जैसे उद्देश्यों के लिए डिजाइन, योजना और आकलन तैयार करना;
 - (xiii) विभिन्न प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के भवनों के आवंटन के अभिलेखों का रखरखाव करना;
 - (xiv) नियंत्रक के परामर्श से तैयार किए गए प्रारूप में भवनों और भूमि के कार्यों और किराए से संबंधित खातों को रखना;
 - (xv) विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति की खरीद/निपटान करना जैसा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम और क़ानून के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया हो;
 - (xvi) कुलपति के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार होना और ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करना जो उन्हें समय-समय पर कुलपति द्वारा सौंपा जाए।

3.15 महाविद्यालय के विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति, शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य I-
अधिनियम के अध्याय- III की धारा -18 के उप-धारा (3) के अनुसार:

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख होगा, जो प्राध्यापक के पद से नीचे का नहीं होगा और जिसे कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

- (i) विभाग के उचित संगठन और कामकाज के लिए संबंधित अधिष्ठाता के प्रति जिम्मेदार होंगे और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। हालांकि, वह अनुसंधान, प्रसार शिक्षा और पीजी के समन्वय के लिए निदेशक अनुसंधान, निदेशक प्रसार शिक्षा और डीआरआई-सह-अधिष्ठाता, पीजीएस के प्रति भी जिम्मेदार होंगे;

- (ii) यदि किसी विभाग में एक से अधिक प्राध्यापक हैं, तो विभाग के प्रमुख की नियुक्ति कुलपति द्वारा रोटेशन के आधार पर प्रदान किए गए प्रोफेसरों में से की जाएगी;
- (iii) विभाग के मामले में जहां केवल एक प्राध्यापक है, कुलपति के पास प्राध्यापक या एक सह-प्राध्यापक को विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा, जहाँ प्राध्यापक ने एक कार्यकाल के लिए प्रमुख के रूप में सेवा की हो;
- (iv) ऐसे विभाग में जहां कोई प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक नहीं है, कुलपति विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी महाविद्यालय के अधिष्ठाता या किसी अन्य विभाग के प्रमुख को सौंप सकते हैं या संबंधित अधिष्ठाता द्वारा विभाग का प्रभार सहायक प्रोफेसरों में से किसी एक को दे सकते हैं।
- (v) विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त एक प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3.15.2 महाविद्यालय विभाग के प्रमुखों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:

- (i) विभाग के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार होना;
- (ii) विभाग की सभी गतिविधियों की योजना बनाना, संगठित करना और प्रगति की निगरानी करना और प्रबंधन करना;
- (iii) वित्तीय विनियमों या कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित विभाग की गतिविधियों के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए मंजूरी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना;
- (iv) विभाग में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का मार्गदर्शन, समन्वय और पर्यवेक्षण करना;
- (v) एक ही विषय के शिक्षकों के साथ संबंध स्थापित करना जो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्टेशनों/इकाइयों में तैनात हैं;
- (vi) संबंधित अधिष्ठाता के परामर्श से विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

3.16 वरीय प्रणाली विश्लेषक की नियुक्ति, शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य:

- (i) दिन-प्रतिदिन प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण आईटी अवसंरचना, आईटी नेटवर्क और समाधानों की योजना, स्थापना और प्रबंधन; प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, ई-खरीद, अकादमिक प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षण और प्रसार गतिविधियां, परिसर सुरक्षा,

- समर्पित ईमेल सेवा, ऑनलाइन पुस्तकालय सेवाएं और विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा आदि के प्रति जिम्मेदार होना;
- (ii) नेटवर्क की साइबर सुरक्षा और लागू होने वाले सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - (iii) परिसर की सीसीटीवी निगरानी और जहां कहीं आवश्यक हो, कर्मचारियों और छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए आवश्यक आईटी उपकरण और सिस्टम प्रदान करना;
 - (iv) विश्वविद्यालय के इंटरनेट, दूरसंचार और इंटरकॉम कनेक्टिविटी के लिए समाधान लागू करना;
 - (v) आईटी बजट आकलन तैयार करना और आईटी बजट का प्रबंधन करना, उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन करना और खरीदना;
 - (vi) आईटी नेटवर्क, सर्वर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, अखंडता, बैकअप और उन्नयन प्रक्रियाओं को लागू करना और उसका प्रबंधन करना।

3.17 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और कर्तव्य।- विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, कृत्य, शक्ति एवं कर्तव्य जो धारा-3.2 से 3.16, खंड- (4.1) से (4.19) में उद्धृत है के अतिरिक्त कृत्य एवं शक्तियां वे होंगे जो समय-समय पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3.18 सामान्य दिशानिर्देश:

- (i) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी विश्वविद्यालय से संबंधित संपत्ति, उपकरण, स्टोर, वाहन आदि के उपयोग के लिए उचित देखभाल के साथ जिम्मेदार होगा और वह नियमों और सामान्य आदेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के खातों के साथ व्यवहार में विवेक, तत्परता, सटीकता के साथ कार्य करेगा।
- (ii) उपरोक्त अध्याय-3 में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त, ऐसे अन्य कर्तव्य जो किसी अधिकारी या पदाधिकारी या कर्मचारी या कर्मों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, अधिनियम, परिनियम, विनियमों या नियमों द्वारा या कुलपति द्वारा या तत्कालीन वरीय पदाधिकारी, अधिकारी द्वारा जिन्हें उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विधिवत रूप से ऐसे कर्तव्य/कर्तव्यों को सौंपा गया है।

अध्याय – IV

कुलपति की शक्तियां, परिलब्धियां और सेवा-शर्तें

4.1 इस अधिनियम के अध्याय-VII की धारा – 38 की उप-धारा (V) तथा अध्याय-IV की धारा – 23 की उप-धारा (4) में यथाविहित कुलपति की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त, वह यथानिम्न शक्तियों का प्रयोग करेगा:

- (i) सम्यक रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक/एस.एम.एस. और समकक्ष स्तर के स्वीकृत पदों को भरना।

राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही सभी नियुक्तियों की जाएंगी। भारत सरकार के स्कीम या वाह्य रूप से सहायता वाले स्कीम के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियां उक्त स्कीम की शर्तों और निबंधनों पर कुलपति द्वारा की जाएंगी। भारत सरकार के स्कीम या वाह्य रूप से सहायता वाले स्कीम के पदों के विरुद्ध राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। भारत सरकार के या वाह्य रूप से सहायता वाले स्कीम के अधीन नियुक्त कार्मिक की सेवा के निबंधनों में कोई फेरफार राज्य सरकार या भारत सरकार या वाह्य अभिकरण के अभिव्यक्त अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

- (ii) छः माह से अनधिक अवधि के लिए सह-प्राध्यापक स्तर तक के पदों को भरना और प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में कृत कार्रवाई का रिपोर्ट देना। यदि इससे ज्यादा अवधि के विस्तार की आवश्यकता है तो इस हेतु प्रबंधन बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। परन्तु किसी भी स्थिति में एक से अधिक अवधि का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।
- (iii) कुलपति को विश्वविद्यालय के हित में किसी कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर उनकी परिलब्धियों, हैसियत और सेवा-शर्तों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्थानांतरित करने की शक्ति होगी। ऐसा स्थानांतरण तीन वर्षों से पहले नहीं किया जायेगा। विशेष स्थिति में स्थानांतरण उसका कारण अभिलेखित करते हुए तीन वर्षों के अन्दर भी किया जा सकता है।
- (iv) कुलपति में विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और प्रबंधकीय विषयों के उन्नयन के लिए अधिनियम के रूप रेखा के अंतर्गत संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग करने की शक्ति निहित होगी।

4.2 परिलब्धियां- कुलपति को वही वेतन प्राप्त होगा, जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई.सी.ए.आर.)/राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित हो।

महंगाई भत्ता- राज्य सरकार के पदाधिकारियों के समकक्ष कोटि के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमान्य महंगाई भत्ता उन्हें अनुमान्य होगा।

आवास- कुलपति अपने पूरे कार्यकाल में किराया रहित सुसज्जित आवास, मुफ्त बिजली, जलापूर्ति और सरकारी वाहन के हकदार होंगे।

भविष्य निधि- भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ के बाबत कुलपति राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों द्वारा शासित होंगे।

छुट्टी- कुलपति, बिहार सेवा संहिता के उपबंध के अनुसार आकस्मिक और अन्य छुट्टी के हकदार होंगे, जो महामहिम कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

छुट्टी भुनाना- पद छोड़ते वक्त कुलपति छुट्टी भुनाने के लाभ के हकदार होंगे।

यात्रा भत्ता- कुलपति राज्य सरकार से सामान वेतनमान वाले पदाधिकारियों के यथा विहित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाएंगे।

छुट्टी यात्रा रियायत- कुलपति राज्य सरकार के सामान वेतनमान वाले पदाधिकारियों के यथाविहित छुट्टी यात्रा रियायत और गृह यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

4.3 चिकित्सा सुविधा- कुलपति विश्वविद्यालय के औषधालयों अथवा चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करेगा अथवा दूसरी जगह चिकित्सा उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विहित नियमों के अनुसार प्राप्त करेंगे।

सत्कार भत्ता- रु० 2000/- (दो हजार रु.) का सत्कार भत्ता अथवा समय-समय पर पुनरीक्षित सत्कार भत्ता अनुमान्य होगा।

4.4 सरकारी सेवा अथवा अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर कुलपति ।- ऐसा कुलपति जो सरकार अथवा स्वायत्त संगठन का स्थायी कर्मचारी होते हुए भी विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है, उसकी परिलब्धियाँ, निबंधन और शर्तों प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

अध्याय – V

शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वृत्ति उन्नयन योजना (कैरियर Career Advancement Scheme)

5.1 वृत्ति (कैरियर) उन्नयन योजना विश्वविद्यालय में यूजीसी/आईसीएआर द्वारा निर्धारित प्रावधानों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न ग्रेडों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए लागू होगी।

5.2 वृत्ति उन्नयन के विनियम की योजना, 2006-

- (i) यह वृत्ति उन्नयन योजना शिक्षकों, वैज्ञानिकों, प्रसार विशेषज्ञों और समकक्षों के लिए है, और इसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 2006 का CAS कहा जाएगा।
- (ii) नविन वृत्ति उन्नयन योजना 01/01/2009 से प्रभावी होंगे जो अकादमिक प्रदर्शन संकेतक. स्कोरिंग के प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर धारित होगा।
- (iii) यह योजना बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार के क्षेत्राधिकार में कार्यरत शिक्षकों, वैज्ञानिकों, प्रसार विशेषज्ञों और समकक्षों पर लागू होगी।
- (iv) अगले स्तर पर ए.जीपी में प्लेसमेंट हेतु आवश्यक अकादमिक प्रदर्शन संकेतक कट ऑफ स्कोर अंक मूल्यांकन के प्रत्येक चरण में 100 अंकों में से 75 अंक होंगे।
- (v) वर्ष में एक बार वृत्ति उन्नयन योजना के तहत पदोन्नति अधिमानतः दिसंबर में की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा स्क्रीनिंग एवं चयन की प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि से छः माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

5.3 2006 के वृत्ति उन्नयन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया-

- (i) विश्वविद्यालय वैसे शिक्षक/वैज्ञानिक से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो वृत्ति उन्नयन योजना के तहत नियुक्ति के लिए विचारण की इच्छा रखते हैं वे विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पूरा करने के बाद ही जमा करेंगे। वृत्ति उन्नयन योजना के तहत अपेक्षित सभी योग्यताएं और आवश्यकताएं को प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली आधारित कार्य रिपोर्ट, सभी क्रेडेंशियल्स द्वारा विधिवत विश्वविद्यालय को समर्पित करेंगे। विश्वविद्यालय तुरंत स्क्रीनिंग/चयन की प्रक्रिया शुरू करेगा और आवेदन की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रक्रिया को पूर्ण

करेगा। इसके अलावा, उम्मीदवार जो इन विनियमों में प्रावधानित अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को, उस तारीख से या उसके बाद नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिस पर वे ऊपर वर्णित इन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और तदनुसार वित्तीय पात्रता की तिथि से लाभ दिया जाएगा।

- (ii) एक शिक्षक को वृत्ति उन्नयन योजना प्लेसमेंट के लिए मूल्यांकन अवधि के दौरान नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित करेगा। ये नियुक्तियाँ पदधारी शिक्षक, वैज्ञानिक या समकक्ष के लिए एक व्यक्तिगत स्वीकृत पद पर व्यक्तिगत नियुक्ति होने के नाते, व्यक्तिगत पदधारी की सेवानिवृत्ति पर या किसी अन्य कारणों से पद को त्यागने पर, रिक्त पद अपने मूल संवर्ग में वापस आ जाएगा।
- (iii) प्रभारी/नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष आवेदन के अंत में प्रमाण पत्र देकर आवेदक की जानकारी का सत्यापन करेंगे।
- (iv) यदि कोई शिक्षक, वैज्ञानिक या समकक्ष अपने पहले मूल्यांकन में असफल होता है, लेकिन अंतिम मूल्यांकन में सफल होता है, तो उसकी नियुक्ति बाद में मानी जाएगी, जिस तारीख को वह उच्च ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है।
- (v) शिक्षकों, वैज्ञानिकों या समकक्षों को नियुक्ति के लिए पात्रता की तिथि पर विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा में होना चाहिए और पात्रता की अंतिम तिथि को या उससे पहले अपना आवेदन जमा करना चाहिए। उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने इस योजना की अधिसूचना से पहले (लेकिन 31-12-2008 को या उसके बाद) पात्रता की शर्त पूरी कर ली है, वे आवेदन की तिथि पर ध्यान दिए बिना पात्रता की नियत तारीख से अगले संवर्ग में पदोन्नति के हकदार होंगे।
- (vi) सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक/ कनीय वैज्ञानिक सह सहायक प्राध्यापक/समकक्ष के निम्न ग्रेड वेतन से उच्च ग्रेड वेतन में वृत्ति उन्नयन योजना प्लेसमेंट प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रणाली का पालन करते हुए एक "स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति" द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- (vii) वृत्ति उन्नयन योजना के लिए "स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति" में निम्न शामिल होंगे:
 - (a) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता/ निदेशकों में से एक

- (b) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित निदेशक/अधिष्ठाता सदस्य के रूप में
 - (c) कुलपति द्वारा नामित प्रोफेसरों में से एक सदस्य
 - (d) संबंधित प्रभाग/इकाई के प्रमुख सदस्य
 - (e) सहायक कुलसचिव/उप-कुलसचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे
कोरम के लिए तीन सदस्य का होना आवश्यक है जिसमें सदस्य सचिव भी शामिल हैं।
- (viii) सहायक प्राध्यापक-सह-कनिय वैज्ञानिक से सह प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक और समकक्ष (एजीपी रु. 9000 /) सह प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक-सह-मुख्य वैज्ञानिक के समकक्ष नियुक्ति की मांग करने वाले शिक्षक और उच्च वेतन बैंड में जाने वाले समकक्षों (एजीपी रु. 10,000/-) को "स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति" द्वारा मंजूरी मिलने के बाद चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- (ix) वृत्ति उन्नयन योजना के तहत सह प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक-सह-मुख्य वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति वही होगी जो सीधी भर्ती के लिए होती है। कृषि विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2976 दिनांक 05.10.2002 के मद संख्या 2(vii)में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी समिति में शामिल किया जाएगा।
- (x) 31.12.2008 से पहले उच्च ग्रेड और/या ग्रेड पे में पदोन्नति/नियुक्ति के लिए पात्र शिक्षक या समकक्ष वृत्ति उन्नति योजना के प्रति-संशोधित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।
- (xi) वैसे शिक्षकों/वैज्ञानिकों जिनका मूल्यांकन के प्रत्येक चरण में नियुक्ति के मामले में अपेक्षित कट-ऑफ अंकों में से 2 से कम अंक रह जाते हैं, उन्हें नए सिरे से मूल्यांकन आवेदन जमा करना होगा और उन्हें अगले वर्ष अगले वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते न्यूनतम कट-ऑफ अंक (75 अंक) हासिल करते हों।
- (xii) तथापि, जिन शिक्षकों/वैज्ञानिकों के अंक 2 से अधिक कम होंगे, उन्हें मूल्यांकन की तिथि से दो वर्षों बाद मूल्यांकन के लिए अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा।

5.4 वृत्ति उन्नति योजना-वृत्ति उन्नयन योजना 2006 के तहत शिक्षकों, वैज्ञानिकों और समकक्षों की पदोन्नति प्रक्रियाएं-

5.4.1 एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष 15,600-39,100 ग्रेड वेतन 7000/- पीबी-3 में (एजीपी) के उच्च शैक्षणिक में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि।

i) एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष ने 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और संबंधित विषय में पीएच.डी की डिग्री रखता है।

(या)

ii) एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष जिनके पास एम.टेक (डेयरी साइंस)/एम.वी.एससी/ एम.एफ.एससी डिग्री हो, वे पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद एजीपी रु.7000 के लिए पात्र होंगे।

(या)

iii) एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष जिसके पास एम.फिल की डिग्री हो लेकिन पीएच.डी. नहीं है। वे छः साल की सेवा पूरी करने के बाद एजीपी रु.7000 के लिए पात्र होंगे।

5.4.2 वह वृत्ति उन्नयन योजना को लागू करने के लिए इस दिशानिर्देश की अधिसूचना की तिथि से पहले, 21 दिनों की अवधि के एक प्रशिक्षण या 02 ओरिएंटेशन/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन स्कूलों या किसी अन्य शिक्षण/प्रसार/शोध पाठ्यक्रम/सीखने की पद्धति/मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आदि में कम से कम 10 दिनों के प्रशिक्षण में भाग ले चुका हो।

5.4.3 वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर न्यूनतम अकादमिक प्रदर्शन संकेतक स्कोर (75 अंक) अर्जित किया हो।

5.5 स्पष्टीकरण-

5.5.1 कुलसचिव के कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से वृत्ति उन्नयन योजना योजना के तहत उच्च एजीपी के लिए पात्रता और अगले उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखे गए उनके कार्यालय में सत्यापन के बाद सभी सहायक प्राध्यापक या समकक्ष जिन्होंने 31-12-2008 को या उसके बाद पीबी-3 (रु.15,600- 39,100 + एजीपी रु. 6000) में 04/05/06 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जैसा कि ऊपर बताया गया है रु.15,600-39,100+एजीपी रु. 7000 पीबी-3 के पैमाने में रखा जाएगा।

समिति की अनुशंसा कुलपति को भेजी जाएगी और अनुमोदन के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।

5.5.2 एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतनमान (एजीपी) 8000/- रु. 15,600-39,100 में PB-3 में स्थानन (प्लेसमेंट) के लिए पात्र होंगे। यदि:

- (i) एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष ने एजीपी रु. 7000/-में 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो।
- (ii) वह वृत्ति उन्नयन योजना लागू करने के संबंध में इस दिशानिर्देश की अधिसूचना की तिथि से पहले 21 दिनों की अवधि के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों या किसी अन्य शिक्षण/प्रसार/अनुसंधान पाठ्यक्रम/ शिक्षण पद्धति/मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आदि के एक प्रशिक्षण में भाग लिया हो।
- (iii) उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली) के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (अकादमिक प्रदर्शन संकेतक) स्कोर (75) अर्जित किया हो।

स्पष्टीकरण-कुलसचिव के कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से वृत्ति उन्नयन योजना योजना के तहत उच्च एजीपी के लिए पात्रता निर्धारित करने और अगले उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष सत्यापन के बाद सभी सहायक प्राध्यापक या समकक्ष जिन्होंने 31-12-2008 को या उसके बाद पीबी-3 (रु. 15600- 39,100+एजीपी रु. 7000/-) में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्हें रु. 15,600 - 39,100+एजीपी रु. 8000पीबी- 3के पैमाने में स्थानन (प्लेसमेंट) किया जाएगा।

समिति की अनुशंसा कुलपति को भेजी जाएगी और अनुमोदन के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।

5.5.3 एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष को सह-प्राध्यापक या समकक्ष के रूप रु. 37400-67000+एजीपी रु. 9000 पीबी-4 में पदोन्नत किया जाएगा, यदि:

- (i) एक सहायक प्राध्यापक या समकक्ष को पीबी -4 रु. 37,400 - 67,000 + एजीपी रु. 9000 में स्थानांतरित करने के लिए पात्र होंगे, यदि वे 03 साल की सेवा एजीपी 8000/- में पूरी की हो

और साथ में प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. डिग्री धारित करता हो।

- (ii) एक गैर पीएच.डी. वैज्ञानिक/शिक्षक एजीपी रु.8000में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर रु. 37,400-67,000 + एजीपी रु. 9000 के पे बैंड में जाने के लिए पात्र होंगे और सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक के रूप में नामित किया जाना जारी रहेगा। पीएच.डी. प्राप्त करने पर सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक को 01.01.2009 को या उसके बाद सह-प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक के रूप में नामित किया जाएगा तथावेइन दिशा-निर्देशों द्वारा शासित किया जाएगा।
- (iii) वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और चयन समिति द्वारा अनुशंसित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली) के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (अकादमिक प्रदर्शन संकेतक) स्कोर (75 अंक) अर्जित किया हो।

स्पष्टीकरण-स्क्रीनिंग और चयन की प्रक्रिया के माध्यम से सहायक प्राध्यापक या समकक्ष ने 31.12.2008 को या उसके बाद पीबी-3 (रु. 15,600-39,100+ रु8000) में 03 साल की सेवा पूरी कर ली है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, पीबी-4 के पैमाने में रखा जाएगा। रु. 37400-67000+एजीपी रु. 9000। यदि वह पीएच.डी. डिग्री धारक है तो वह 12 वर्षों में सह-प्राध्यापक या समकक्ष के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि पीएच.डी. डिग्री नहीं है तो 13 वर्षों में और यदि एम.फिल किया हो, लेकिन पीएच.डी. डिग्री न हो, तो 14 साल में-

चयन समिति की अनुशंसा अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड को भेजी जाएगी और प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। वे सभी सह-प्राध्यापक/ वरीय वैज्ञानिक और समकक्ष जो रु.12,000-18,300के संशोधित वेतनमान को धारण कर रहे थे, 01.01.2006 को जिन्होंने संशोधित वृत्ति उन्नयन योजना की प्रभावी तिथि से तीन साल पहले यानी 01.01.2009 को तीन साल की सेवा पूरी कर चुके थे, उन्हें बिना किसी औपचारिक मूल्यांकन के रु.9000 के एजीपी में स्वचालित रूप से रखा जाएगा। यह वेतनमान में संशोधन करते समय आईसीएआर/यूजीसी वेतन पैकेज की एक अंतर्निहित सिफारिश है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों से निकलने वाली इस समयबद्ध व्यवस्था को 01.01.2009 से प्रभावी वृत्ति उन्नयन योजना के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए 01.01.2009 को या उसके बाद नियुक्त सभी सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक और समकक्षों को रु.9000 का एजीपी दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी वृत्ति उन्नयन योजना के प्रावधानानुसार उचित प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन के बाद दिया जाएगा।

5.5.4 सह-प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक या समकक्ष को विश्वविद्यालय के प्राध्यापक-सह-मुख्य वैज्ञानिक पीबी-4रु.37400-67000+एजीपी रु. 10000 के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। यदि:

- (i) स्क्रीनिंग और चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से सह-प्राध्यापक या समकक्ष जो एजीपी रु.90000 में 03 साल की सेवा पूरी किया हो तथा प्रासंगिक अनुशासन में पीएच.डी. डिग्री धारित करता हो तो वह प्राध्यापक या समकक्ष के रूप में रु.37400-67000 के एजीपी 10,000 के पात्र होंगे।
- (ii) उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली) के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (अकादमिक प्रदर्शन संकेतक) स्कोर (75 अंक) अर्जित किया है।

चयन समिति की अनुशंसा अनुमोदन के लिए प्रबंधन बोर्ड को भेजी जाएगी और बीओएम के अनुमोदन के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।

5.6 पिछली सेवा की गणना-पिछली सेवा, किसी विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक संगठन में सहायक प्राध्यापक/ कनीय वैज्ञानिक या समकक्ष के रूप में बिना किसी ब्रेक के, जैसे- सीएसआईआर, आईसीए आर और यूजीसी अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में, वरीय स्केल/चयन (सेलेक्शन) ग्रेड में सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक की स्थानन के लिए गणना की जाना चाहिए, बशर्ते कि:

- i. पद एक सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक के पद के समकक्ष ग्रेड/वेतनमान में था;
- ii. सीधी भर्ती के उम्मीदवारों ने उचित माध्यम से आवेदन किया था;
- iii. पद के लिए योग्यता यूजीसी/आईसीए आर द्वारा सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक के पद के लिए निर्धारित योग्यता से कम नहीं थी;
- iv. संबंधित सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक के पास सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए यूजीसी/आईसीए आर द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं थीं;
- v. पद, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केंद्र सरकार/संस्थान के विनियमों द्वारा निर्धारित निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा गया था; तथा
- vi. नियुक्ति तदर्थ या एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति के विरुद्ध नहीं थी। एक वर्ष से अधिक अवधि की तदर्थ सेवा की गणना की जा सकती है बशर्ते कि:

- a. तदर्थ सेवा एक वर्ष से अधिक की अवधि की थी;
- b. पदधारी को विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था; तथा
- c. बिना किसी ब्रेक के, तदर्थ सेवा (एड-होक) की निरंतरता में स्थायी पद पर पदधारी का चयन किया गया था।

5.7 सामान्य शर्तें-

- (i) सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक (सीनियर स्केल/चयन ग्रेड)/सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक (पदोन्नति) और सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक के रूप में पदोन्नत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक/मुख्य के रूप में पदोन्नत वैज्ञानिक (पदोन्नति) को पदोन्नति की तारीख से अपग्रेड किया हुआ समझा जाएगा और पदधारी के पद पर बने रहने तक अपग्रेड बना रहेगा, लेकिन उसे सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक-सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक, जैसा भी मामला हो, उच्च पद पर पदधारी की नियुक्ति की स्थिति में या जब पद उसकी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा के कारण खाली हो जाता है। परिनियम के अधीन यह नहीं माना जायेगा कि सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक और/या सह-प्राध्यापक/सीनियर के पद पर कोई रिक्ति पैदा हुई है, जिन्हें सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक (सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड)/सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक (पदोन्नति)/विश्वविद्यालय के प्राध्यापक/मुख्य वैज्ञानिक (पदोन्नति) के रूप में अपग्रेड किया गया है।
- (ii) पदोन्नत पद को तब तक मौलिक पद माना जाएगा जब तक कि प्रोन्नति इसे धारण न कर ले, लेकिन अस्थायी आधार पर किसी अन्य पद पर रहने के कारण पद पर कोई अस्थायी रिक्ति सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक की होगी और या सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक।
- (iii) सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक (सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड)/सह-प्राध्यापक/वरीय वैज्ञानिक (पदोन्नति)/विश्वविद्यालय के प्राध्यापक/ मुख्य वैज्ञानिक (पदोन्नति) जैसा भी मामला हो, के रूप में पदोन्नत एक सहायक प्राध्यापक/कनीय वैज्ञानिक से होगा ऐसी पदोन्नति की तिथि पर उसका वेतन उन्नत वेतनमान में प्राप्त होगा जो निम्न ग्रेड में उसके वेतन की राशि के बराबर होगा, लेकिन यदि निम्न ग्रेड वेतनमान में उसका वेतन उच्च वेतनमान में फिट नहीं होता है, तो उसका वेतन

उच्च ग्रेड में वेतन निचले वेतनमान में उसके वेतन की राशि के ऊपर अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

- (iv) इन परिनियमों के तहत पदोन्नत शिक्षकों/वैज्ञानिकों की वरीयता पदोन्नति की तारीख से निर्धारित की जाएगी, लेकिन उसी तारीख को पदोन्नत शिक्षकों/वैज्ञानिकों की पारस्परिक वरीयता वही होगी जो उनके निचले संवर्ग के पदों पर थी।
- (v) यदि किसी कारण से विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा किसी पदधारी की पदोन्नति की सिफारिश नहीं की जाती है, तो उसके नाम पर अंतिम विचार किए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद पदोन्नति के लिए फिर से विचार किया जा सकता है। ऐसे मामले में पदोन्नति विश्वविद्यालय की चयन समिति की सिफारिश की तिथि से प्रभावी होगी।
- (vi) विश्वविद्यालय चयन समिति वर्ष में कम-से-कम दो बार अधिमानतः हर साल जून और दिसंबर के महीने में पदोन्नति के मामलों पर विचार करेगी।

अध्याय – VI

शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वर्गीकरण, अहर्ता और नियुक्ति का तरीका

6.1 शिक्षकों का वर्गीकरण I-अधिनियम के अध्याय-VI की धारा- 2 की उप-धारा 30 में परिभाषित "शिक्षक" जिसका अर्थ है और जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) अधिष्ठाता
- (ii) निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर
- (iii) निदेशक अनुसंधान
- (iv) निदेशक प्रसार शिक्षा
- (v) छात्र कल्याण अधिकारी
- (vi) कुलसचिव
- (vii) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/सहयोगी/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
- (viii) क्षेत्रीय स्टेशनों के निदेशक
- (ix) प्राध्यापक/विश्वविद्यालय प्राध्यापक-सह-मुख्य वैज्ञानिक
- (x) सह-प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक
- (xi) सहायक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक
- (xii) उप-निदेशक आवासीय अनुदेशक/अनुसंधान/प्रसार शिक्षा
- (xiii) कोई अन्य व्यक्ति जो शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के कार्य में लगा हो और विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय-समय पर शिक्षक घोषित किया गया हो।

6.2 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वर्गीकरण I-विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय- 6 की धारा- 6.1 की खंड (i) से (xiii) में वर्णित अन्य सभी कर्मचारियों के अंतर्गत वर्णित नहीं को शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के एक सामान्य पदनाम द्वारा वर्गीकृत किया जायेगा और जाना जाएगा।

6.3 विश्वविद्यालय के पदों पर नियुक्ति और कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण-

6.3.1 सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले तकनीकी/गैर-तकनीकी पद:

- (i) परिनियम की अध्याय-VII में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप विधिवत गठित चयन समिति की अनुशंसा अखिल भारतीय विज्ञापन तथा सम्बंधित पदों की योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा कुलसचिव, उप-कुलसचिव, असिस्टेंट के पद, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक अनुसंधान, निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर, निदेशक प्रसार शिक्षा, उप-निदेशक आवासीय अनुदेशक, उप-

निदेशक (ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन), उप-निदेशक अनुसन्धान, छात्र कल्याण अधिकारी, अधिष्ठाता, निदेशक कार्य एवं संयंत्र, नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-सूचना अधिकारी, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, चिकित्सा पदाधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, विधि पदाधिकारी, संपदा पदाधिकारी, वरीय इंस्ट्रुमेंटेशन पदाधिकारी, वरीय प्रणाली विश्लेषक और विश्वविद्यालय और घटक कॉलेजों में अन्य शिक्षण और गैर-शिक्षण संवर्ग से संबंधित पद भरे जायेंगे।

- (ii) विश्वविद्यालय की किसी भी अंगीभूत इकाई में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति केवल सीधी भर्ती के माध्यम से होगी।

6.3.2 प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद:

6.3.2.1 वित्त नियंत्रक का पद सीधी भर्ती द्वारा या राज्य या केंद्र सरकार के संगठनों या विश्वविद्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर योग्य अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करके भरा जाएगा। उप और सहायक नियंत्रक, उप और सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक, परीक्षा, प्रशासन और नियुक्ति) के पद और पदों की स्वीकृत संख्या के अनुसार समकक्ष श्रेणी के पदों को या तो सीधी भर्ती द्वारा या निचले श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है। विश्वविद्यालय या समकक्ष श्रेणी से स्थानांतरण के द्वारा, बशर्ते कि:

- (i) 50 प्रतिशत रिक्तियों को निचली श्रेणी से पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।
- (ii) रिक्ति का अनुशंसित प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तभी भरा जाना चाहिए जब मूल्यांकन समिति द्वारा योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर उपयुक्त योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है।

6.3.2.2 गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।

6.3.3 ऐसे पद जो परक्रामण (निगोशिएशन) से भरे जायेंगे।-दुर्लभ मामलों में, जहां भर्ती की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, कुलपति प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन और इस

उद्देश्य के लिए गठित समिति के परामर्श से उपयुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान और परक्रामण द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे परक्रामण की भी अनुमति होगी, जहाँ विश्वविद्यालय को यह लगता है कि एक निश्चित विभाग में सुधार या अनुसंधान/महाविद्यालय में एक निश्चित विचारधारा की स्थापना के लिए बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति की विश्वविद्यालय की सेवा की आवश्यकता है।

6.3.4 लंबित नियमित नियुक्ति के विरुद्ध तदर्थ व्यवस्था:

- (i) नियमित नियुक्ति लंबित होने की स्थिति में, नियुक्ति पदाधिकारी अत्यावश्यक कार्य करने के लिए अंतरिम व्यवस्था कर सकता है लेकिन ऐसी तदर्थ व्यवस्था नियमित नियुक्ति के लिए पद के धारक को हकदार नहीं बनाएगी। ऐसी नियुक्ति छः महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी जब तक कि अवधि प्रसार को प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। यदि उसकी कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो कुलपति बिना किसी सूचना के किसी भी स्तर पर तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति को बर्खास्त कर सकते हैं।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुबंध के आधार पर विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त सरकार की कर्मियों को नियुक्ति कर सकता है।

6.4 चिकित्सा परीक्षण I-प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को किसी पद पर अपनी पहली नियुक्ति पर विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.5 परिवीक्षा-

- (i) अधिनियम या परिनियम में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा या निश्चित कार्यकाल या अनुबंध या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के मामले में, जो उस अनुबंध या प्रतिनियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित होगा, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

बशर्ते कि जिस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति ने विश्वविद्यालय के तहत किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति की है, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के अधीन, परिवीक्षा की अवधि की गणना करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि किसी अधिकारी

- की अस्थायी सेवा दो वर्षों से अधिक हो जाती है, तो स्थायीकरण की तारीख उसके स्थाई संपुष्टि की तारीख से पहले की तारीख नहीं होगी।
- (ii) बशर्ते कि ऐसे पदों के मामले में, जैसे-कार्यालय सहायक, आशुलिपिक, टाइपिस्ट आदि जिसे एक परीक्षण के परिणाम पर सामान्य भर्ती की जाती है, अस्थायी सेवा के लिए केवल उस हिस्से के विचारण होगा जो परिवीक्षाधीन अवधि से पदधारक के परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद की है।
- (iii) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में किसी कर्मचारी का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है या यदि वह पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए अन्यथा अनुपयुक्त पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय उसे हटा सकता है। ऐसे कर्मचारी की सेवा समाप्त करके, यदि वह सीधे विश्वविद्यालय सेवा में भर्ती किया जाता है या उसे उसके पूर्व पद पर, यदि कोई हो, वापस कर सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है, बशर्ते कि प्रसार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, तीन साल से अधिक नहीं।
- (iv) उपरोक्त परिस्थितियों में परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा पूर्व पद पर उसका प्रत्यावर्तन, यदि कोई हो तो ऐसे कदमों को दंड नहीं समझा जायेगा और ऐसा आदेश पारित करने से पहले संबंधित परिनियमों में अनुशासनात्मक मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुपालन आवश्यक नहीं होगा।
- (v) उपरोक्त प्रावधानों के अधीन और इस तरह के परीक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, जैसा कि परिनियम के तहत निर्धारित किया गया हो, एक कर्मचारी को उसकी परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा करने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि की जा सकती है, बशर्ते कि नियुक्ति पदाधिकारी उसे सेवा संपुष्टि के लिए योग्य पाता है लेकिन इस हेतु जबतक एक विशिष्ट आदेश पारित नहीं करता है या उसकी सेवा समाप्त करता है, ऐसे कर्मचारियों को परिवीक्षा पर माना जाएगा।

6.6 भर्ती में आरक्षण:

- (i) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम एवं आदेश विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु लागू होंगे।
- (ii) प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा तक शिक्षण पदों का आरक्षण संकायवार किया जाएगा और गैर-शैक्षणिक पदों को संकाय/संस्थान/विभाग में रिक्त पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार किया जाएगा।

6.7 चयन पैनल की वैधता I-विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

6.8 भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा I-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सहायक प्राध्यापक या समकक्ष पदों के भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा के नियम और आदेश लागू होंगे। विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता/निदेशक/ कुलसचिव/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक या समकक्ष तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके अलावा, सीधी भर्ती के तहत उच्च पदों की मांग करने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कोई आयु-प्रतिबंध नहीं होगा। भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा राज्य सरकार के नियम के अनुसार होगी।

6.9 कर्मचारियों का वेतनमान I-कुलपति के अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वेतनमान राज्य सरकार और/या शामिल विशिष्ट वित्त पोषण एजेंसियों के अनुमोदन से प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6.10 वेतन वृद्धि:

- (i) सामान्यतः देय तिथि पर वेतनवृद्धि की अनुमति निश्चित रूप से दी जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी जिस तारीख से वेतन वृद्धि देय है, वेतन वृद्धि जब तक रोकी जाएगी जबतक इसे विशिष्ट आदेश के द्वारा असंतोषजनक कार्य या कदाचार के लिए इस पर रोक नहीं लगाई गई हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान निम्न वेतनमान पर की जाने वाली सेवाओं की गणना वेतन वृद्धि में नहीं की जाएगी।
- (ii) उच्च अध्ययन के लिए या चिकित्सा आधार पर ली गई असाधारण अवकाश को राज्य सरकार के नियमों के तहत स्वीकार्य वेतन वृद्धि के लिए गिना जाना चाहिए।

6.11 भत्ते I-राज्य सरकार में प्रचलित सभी भत्तों की अनुमति सभी कर्मचारियों को इन भत्तों को विनियमित करने वाले राज्य सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार दी जाएगी।

6.12 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति I-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि कोई हो, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकार में लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

6.13 एल.टी.सी. I-एलटीसी की सुविधा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

6.14 गृह ऋण I-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को गृह ऋण सुविधा भी दी जा सकती है।

6.15 अन्य वित्तीय लाभ I-वेतनमान के अलावा अन्य कोई वित्तीय लाभ जो उपरोक्त कानून में उल्लिखित नहीं है और राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को समय-समय पर प्रदान किया जाता है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

अध्याय – VII

विश्वविद्यालय के तकनीकी, गैर-तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती हेतु अहर्ता चयन समिति का गठन, नियुक्ति प्राधिकार

7.1 विश्वविद्यालय के तकनीकी, गैर-तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की अहर्ता, चयन समिति का गठन तथा नियुक्ति प्राधिकार दिए गए निम्न तालिका के अनुरूप होगी। चयन समिति की बैठक के गणपूर्ति के लिए दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्य होंगे-

क्रमांक	पदनाम	योग्यता	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकार
1	कुलसचिव	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55% अंकों के साथ यूजीसी सात-बिंदु किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या ग्रेड "बी" के समकक्ष। 2. कम से कम 15 वर्ष का अनुभव के साथ एजीपी रु. 7,000 में सहायक प्राध्यापक के साथ रूप में और उससे अधिक या 8 साल की सेवा के साथ। शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ-साथ सह-प्राध्यापक के रूप में 9,000 और उससे अधिक। या अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव या 15 साल का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 8 साल उप-कुलसचिव या समकक्ष पद के रूप में होना चाहिए, रु.7,600के एजीपी के साथ उप-कुलसचिव के वेतनमान में।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) विश्वविद्यालय के बाहर से एक शिक्षाविद जो कुलाधिपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशक के पद से नीचे का न हो-सदस्य c) राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान / अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय को संभालने का अनुभव रखने वाले अकादमिक / शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ, कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे- सदस्य d) कुलपति-सदस्य द्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता/निदेशकों में से एक e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)-	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		वांछनीय: i. पीएच.डी. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय में। ii. विश्वविद्यालयों / अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की प्रशासनिक प्रथाओं, मानव संसाधन प्रबंधन, वैधानिक कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों का अनुभव। iii. कानूनी मामलों को संभालने का अनुभव।	सदस्य f) एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि-कुलपति द्वारा नामित सदस्य-सदस्य	
2	उप-कुलसचिव	1. किसी भी क्षेत्र में मास्टर डिग्री / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम से कम 55% अंकों के साथ एमबीए या इसके समकक्ष। 2. किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज / डीम्ड विश्वविद्यालय में शैक्षिक प्रशासन में कम से कम आठ साल का अनुभव जिसमें से सहायक प्राध्यापक या समकक्ष पद के रूप में पांच साल का अनुभव। या अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव। या सहायक कुलसचिव या समकक्ष पद पर पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि। –सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
3	सहायक कुलसचिव	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष। ii. पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति-सदस्य द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ	कुलपति

		क्षेत्र में अनुभाग अधिकारी/सहायक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी या समकक्ष पद के रूप में दो वर्ष का अनुभव। iii. कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा ज्ञान।	d) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि-सदस्य	
4	नियंत्रक	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या यूजीसी सात बिंदु पैमाने में बी के समकक्ष ग्रेड। ii. रु. के एजीपी में सहायक प्राध्यापक या समकक्ष के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव। 7,000/- और उससे अधिक या रु. के एजीपी में आठ साल की सेवा के साथ। शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ-साथ सह-प्राध्यापक या समकक्ष के रूप में 8,000 / - और उससे अधिक। या, शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ अनुसंधान प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव। या, कम से कम 15 साल का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 8 साल डिप्टी कंट्रोलर/डिप्टी कुलसचिव (7600/- का एजीपी) या समकक्ष पद के साथ शैक्षिक वित्त प्रशासन में अनुभव।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ- सदस्य d) कुलपति-सदस्य द्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता / निदेशकों में से एक सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – f) कुलसचिव- सदस्य g) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से एक प्रतिनिधि - सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		वांछनीय: a) वित्तीय / लेखा प्रणाली में अच्छी जानकारी। b) सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति के लिए कंप्यूटर सिस्टम वित्त / लेखा संबंधित सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में अनुभव। c) सरकार की संगठित लेखा सेवाओं में कार्यरत अधिकारी। भारत के (अधिमानतः भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से) समान स्थिति के साथ वरीयता दी जाएगी।		
5	उप-नियंत्रक	i. वाणिज्य / एमबीए / अर्थशास्त्र / अर्गिल में मास्टर डिग्री। अर्थशास्त्र/वित्त प्रबंधन 55% अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड। या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट / कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सकता है। ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय / अनुसंधान प्रतिष्ठान से लेखा प्रशासन में सहायक नियंत्रक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ - सदस्य। d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि। –सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
6	सहायक नियंत्रक	i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. कॉम/एमबीए कम से कम 55% अंकों के साथ या ii. सीए / आईसीडब्ल्यू के साथ 55%	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति-सदस्यों द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ।	कुलपति

		के साथ स्नातक। iii. पांच साल का अनुभव जिसमें से दो साल सरकारी / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा सहायक या समकक्ष पद के रूप में। iv. कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा ज्ञान।	d) कुलपति-सदस्य द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशकों में से एक e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि -सदस्य	
7	निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर	अनिवार्य: i. पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / डेयरी विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन / संबद्ध शाखाओं की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट। ii. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / डेयरी विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन / संबद्ध शाखाओं में मास्टर डिग्री। iii. शिक्षण और/या शोध का १० वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष विश्वविद्यालय प्राध्यापक या समकक्ष की स्थिति में होना चाहिए वांछनीय: a) शिक्षण गतिविधियों के शिक्षण और आयोजन में नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों के साक्ष्य। b) पशु विज्ञान/डेयरी विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/मत्स्य पालन महाविद्यालय में प्रबंध करने का अनुभव, अधिमानतः स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता या निदेशकों में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि-सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
8	अधिष्ठाता	अनिवार्य: i. पशु चिकित्सा या पशुपालन / डेयरी	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की

		प्रौद्योगिकी / डेयरी विज्ञान / मत्स्य पालन और संबद्ध शाखाओं के संबंधित संकाय की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट। ii. शिक्षण और/या अनुसंधान का दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या समकक्ष के पद पर होना चाहिए। वांछनीय: a) अध्यापन और शिक्षण के आयोजन में नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों के साक्ष्य। b) पशुपालन/डेयरी प्रौद्योगिकी/डेयरी/मत्स्य पालन संस्थान के प्रबंधन में अनुभव अधिमानतः स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों शिक्षा प्रदान करता है।	एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशकों में से एक सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि –सदस्य	अनुमति से
9	निदेशक अनुसन्धान	अनिवार्य: i. पशु चिकित्सा या पशुपालन / डेयरी विज्ञान / प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन की किसी भी शाखा में डायरेक्टर। ii. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / मत्स्य पालन / डेयरी विज्ञान में मास्टर डिग्री। iii. अध्यापन और/या अनुसंधान का १० वर्ष का अनुभव, जिसमें से ५ वर्ष जिम्मेदारी की स्थिति में या विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या समकक्ष के रूप में होना चाहिए। वांछनीय: a) नेतृत्व के साक्ष्य, अनुसंधान और अनुसंधान के आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि। b) मुख्य वैज्ञानिक/विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या किसी शोध संगठन/पी.जी. विभाग के अध्यक्ष के	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशकों में से एक सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि –सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		रूप में प्रशासनिक अनुभव को वरीयता दी जायेगी।		
10	निदेशक प्रसार शिक्षा	अनिवार्य: i. पशु चिकित्सा या पशु विज्ञान / डेयरी विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन / संबद्ध शाखाओं की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट ii. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / डेयरी विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन / संबद्ध शाखाओं में मास्टर डिग्री। iii. शिक्षण / अनुसंधान या क्षेत्र प्रसार पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / डेयरी विज्ञान / डेयरी प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन का 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से पांच वर्ष एडीई या विश्वविद्यालय प्राध्यापक या समकक्ष की स्थिति में होना चाहिए। वांछनीय: प्रसार गतिविधियों के प्रसार और आयोजन में नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों के साक्ष्य।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता या निदेशकों में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि -सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
11	उप निदेशक अनुसंधान / उप निदेशक (प्रशिक्षण सूचना)/ उप निदेशक आवासीय अनुदेशक	अनिवार्य: i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों या इसके समकक्ष के साथ पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान / मत्स्य पालन / डेयरी विज्ञान / संबद्ध विज्ञान के किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। ii. पीएच.डी. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान / मत्स्य पालन / डेयरी विज्ञान के किसी भी विषय में। iii. मानक शोध पत्रिका में प्रकाशित कार्य के प्रमाण के रूप में शिक्षण / या अनुसंधान कार्य में कम से कम आठ	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/या निदेशकों में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		वर्ष का अनुभव, जिसमें पद के साथ जुड़े एक प्रमुख घटक के रूप में अनुसंधान के साथ सहायक प्राध्यापक / कनीय वैज्ञानिक के पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव iv. नेतृत्व का प्रमाण, अनुसंधान में उत्कृष्ट उपलब्धि और शोध/शिक्षण/प्रसार शिक्षा का आयोजन, जैसा कि प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित पेपर द्वारा प्रमाणित है। वांछनीय: कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान	एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि -सदस्य	
12	निदेशक कार्य एवं संयंत्र	i. कम से कम 55% अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। ii. सिविल निर्माण कार्य में कार्यकारी अभियंता के रूप में कम से कम 06 वर्ष का अनुभव या राज्य / केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र / विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षा संस्थान में उच्च पद।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता / निदेशकों में से एक सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि -सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
13	छात्र कल्याण पदाधिकारी	अनिवार्य: i. पशु चिकित्सा या पशुपालन / डेयरी विज्ञान / प्रौद्योगिकी / मत्स्य पालन की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट। ii. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / मत्स्य पालन / डेयरी विज्ञान में मास्टर डिग्री।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद – सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता या निदेशकों	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		iii. अध्यापन और/या शोध का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के समकक्ष पद पर होना चाहिए। वांछनीय: खेल-कूदनाटक, छात्रावास प्रबंधन और छात्र कल्याण गतिविधियों के आयोजन का पर्याप्त अनुभव।	में से एक-सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि –सदस्य	
14	प्राध्यापक/ विश्वविद्यालय प्राध्यापक-सह-मुख्य वैज्ञानिक	अनिवार्य: i. प्रासंगिक बुनियादी विज्ञान सहित प्रासंगिक विषय में डॉक्टरेट की डिग्री। ii. संबंधित विषय में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 8 वर्ष सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक / वैज्ञानिक / व्याख्याता / प्रसार विशेषज्ञ के रूप में या वेतन बैंड - 3 रु. के समकक्ष पद में होना चाहिए। रु.5,400, रु.6,000, रु.7,000, रु. 8,000 वरीय वैज्ञानिक-सह-सह-प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक के वेतन बैंड -4 में वैज्ञानिक या समकक्ष पद पर रु.37,400-67,000 के एजीपी/आरजीपी रु. 9,000 के साथ iii. उम्मीदवार को प्रकाशित कार्य / नवाचारों और प्रभाव के प्रमाण के रूप में अनुसंधान / शिक्षण / प्रसार शिक्षा में योगदान होना चाहिए।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ-सदस्य d) संकाय के अधिष्ठाता-सदस्य e) कॉलेज के अधिष्ठाता-सदस्य f) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य g) कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी का एक प्रतिनिधि –सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
15	सह-प्राध्यापक/ सह-प्राध्यापक-सह-वरीय वैज्ञानिक	अनिवार्य: i. प्रासंगिक बुनियादी विज्ञान सहित प्रासंगिक विषय में डॉक्टरेट की डिग्री। ii. प्रासंगिक विषय में सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय के रूप में 08 वर्ष का अनुभव। वैज्ञानिक / वैज्ञानिक / व्याख्याता / प्रसार विशेषज्ञ. में समकक्ष पद के वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. के जीपी/एजीपी/	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय / क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ- सदस्य d) संबंधित संकाय के	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		आरजीपी के साथ। 5,400 रु. 6,000, रु. 7,000 रु. 8,000 के साथ प्रकाशित कार्य / नवाचारों और प्रभाव के प्रमाण के रूप में अनुसंधान / शिक्षण / प्रसार शिक्षा में योगदान का प्रमाण। या कम से कम 8 साल के साथ प्रासंगिक बुनियादी विज्ञान सहित प्रासंगिक विषय में डॉक्टरेट की डिग्री। किसी संस्था/संगठन में उच्च गुणवत्ता वाले पोस्ट-डॉक्टरेट अनुसंधान का अनुभव, 7.5 या उससे अधिक की एनएएस रेटिंग वाली पत्रिकाओं में कम से कम 6 प्रकाशनों द्वारा प्रमाणित।	अधिष्ठाता- सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक का एक शिक्षाविद प्रतिनिधि- सदस्य ध्यान दें:- दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्य गणपूर्ति करेंगे	
16	सहायक-प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक-सह-कनीय वैज्ञानिक	अनिवार्य: i. संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ अक्षर ग्रेड के साथ 7-पॉइंट स्केल में कम से कम 55% अंकों या बी के समकक्ष ग्रेड के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड। ★ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। ii. मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एनएएस (नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, नई दिल्ली) में एक प्रकाशन के साथ-साथ सहायक प्राध्यापक और समकक्ष के पद पर भर्ती के लिए एक प्रकाशन के साथ नेट अनिवार्य रहेगा, जिसमें नेट आयोजित किया जाता है। पीएचडी रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नेट की अनिवार्यता को समाप्त	a) कुलपति-अध्यक्ष b) विश्वविद्यालय के बाहर एक शिक्षाविद, जो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक / मुख्य वैज्ञानिक के पद से नीचे का न हो, कुलाधिपति द्वारा नामित – सदस्य c) कुलपति द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय / क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ- सदस्य d) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) – सदस्य e) संबंधित संकाय के अधिष्ठाता- सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित	कुलपति

		किया जा सकता है। डिग्री बशर्ते यह यूजीसी विनियम-2009 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कार्य के साथ किया गया हो और उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर कम से कम दो पूर्ण लंबाई वाले प्रकाशन हों, जिनकी एनएएस रेटिंग 4 से कम न हो। वे उम्मीदवार पीएच.डी. कोर्स वर्क के बिना डिग्री नेट छूट के लिए योग्य नहीं होगी iii. पीएच.डी. यदि उपलब्ध हो तो वरीयता दी जाएगी। उल्लेखनीय: a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मास्टर स्तर पर 55% से 50% अंकों या 5% की छूट प्रदान की जा सकती है। b) पीएच.डी. को 55% से घटकर 50% अंकों पर यानि 5% की छूट प्रदान की जा सकती है। डिग्री धारक जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री उत्तीर्ण की है।	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक का एक शिक्षाविद प्रतिनिधि- सदस्य ध्यान दें: दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्य कोरम का गठन करेंगे	
17	विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-इनफार्मेशन ऑफिसर	अनिवार्य: i. कम से कम 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन में मास्टर डिग्री या यूजीसी सात-बिंदु पैमाने में बी के समकक्ष ग्रेड और लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड। ii. डिप्टी लाइब्रेरियन / असिस्टेंट लाइब्रेरियन (सेलेक्शन ग्रेड) के रूप में न्यूनतम पांच साल का अनुभव या PB 15600-39100+ 7,600 AGP में कॉलेज लाइब्रेरियन / रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरियन के रूप में 10 साल का	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर एक शिक्षाविद – सदस्य c) संबंधित विषय / क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ, कुलपति द्वारा नामित सूची में से कुलपति द्वारा नामित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित-सदस्य d) कुलपतिद्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता या निदेशकों	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से

		अनुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संगठन। iii. प्रकाशित कार्य द्वारा संगठन में नवाचार पुस्तकालय सेवा का साक्ष्य। वांछनीय: पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन/ अभिलेखागार और पांडुलिपि में पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण रखते हुए पीएच.डी.।	में से एक सदस्य e) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि-सदस्य f) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधि कोरम का गठन करेगा-सदस्य	
18	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	अनिवार्य: i. कम से कम ५५% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन में मास्टर डिग्री या यूजीसी सात-बिंदु पैमाने में बी के समकक्ष ग्रेड और लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड। ii. असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में कम से कम 8 साल का अनुभव। iii. नवीन पुस्तकालय सेवा, प्रकाशित कार्य और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के साक्ष्य। वांछनीय: एम. फिल/पीएचडी पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन/अभिलेखागार और पांडुलिपि रखने, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में डिग्री।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर एक शिक्षाविद-सदस्य c) कुलपति द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय / क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ- सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले अधिष्ठाता / निदेशकों में से एक – सदस्य e) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष- सदस्य f) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि-सदस्य g) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधि-सदस्य	कुलपति द्वारा, प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से
19	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	i. लाइब्रेरी Sc./Information Sc./ डॉक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री या कम से कम ५५% अंकों के साथ समकक्ष	a) कुलपति-अध्यक्ष b) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर	कुलपति

		पेशेवर डिग्री या यूजीसी सात बिंदु पैमाने में बी के समकक्ष ग्रेड प्लस लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड, ii. यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में योग्यता।	एक शिक्षाविद – सदस्य c) कुलपति द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूची में से संबंधित विषय / क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ – सदस्य d) कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता/निदेशकों में से एक –सदस्य e) विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन-सदस्य f) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। (पशु और मत्स्य संसाधन, विभाग) –सदस्य g) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधि-सदस्य	
20	जन संपर्क अधिकारी	i. 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ विज्ञान/पत्रकारिता/जनसंपर्क में मास्टर डिग्री। ii. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / सरकार में प्रचार / जनसंपर्क में कम से कम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) विश्वविद्यालय के बाहर एक शिक्षाविद जो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक से नीचे का न हो, कुलाधिपति द्वारा नामित – सदस्य c) डीआरआई-सह-अधिष्ठाता पीजी-सदस्य d) निदेशक प्रसार शिक्षा – सदस्य e) कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय के बाहर से तीन विशेषज्ञ-सदस्य f) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि –सदस्य	कुलपति

			g) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधि-सदस्य	
21	विधि पदाधिकारी	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री। ii. कोर्ट/सरकार/पीएसयू/विश्वविद्यालय आदि में बार काउंसिल में पंजीकृत कानूनी व्यवसायी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। वांछनीय: a) कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा ज्ञान। b) विश्वविद्यालय प्रशासन के नियमों और विनियमों का अनुभव।	a) कुलपति-अध्यक्ष b) विश्वविद्यालय के बाहर एक शिक्षाविद जो विश्वविद्यालय के रैंक से नीचे का न हो, कुलपति द्वारा नामित प्राध्यापक-सदस्य c) प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से संबंधित क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ-सदस्य d) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि-सदस्य e) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधि-सदस्य	कुलपति
22	सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित पद	जैसा कि प्रबंधन बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है	a) कुलपति या अधिष्ठाता, / निदेशकों में से एक को कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जो भरे जाने वाले पद की प्रकृति पर निर्भर करता है- अध्यक्ष b) सदस्य के पद की प्रकृति के आधार पर कुलपति द्वारा नामित कुलसचिव/ अधिष्ठाता/निदेशक	कुलपति

			c) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद के दो शिक्षक-सदस्य d) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि-सदस्य e) एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य	
--	--	--	---	--

नोट:

- चयन समिति उचित माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी की योग्यता क्रम में व्यवस्थित नामों की सिफारिश करेगी।
- चयन समिति की सिफारिश उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जिस दिन इसे चयन समिति द्वारा तैयार किया जाता है।
- दो बाहरी विशेषज्ञों/विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम पांच सदस्य गणपूर्ति करेंगे।
- जब केवल एक उम्मीदवार न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं। कुलपति के विवेक पर, चयन समिति के सदस्यों से बायोडाटा के संचलन द्वारा परामर्श किया जा सकता है।
- असाधारण रूप से शानदार अकादमिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों के मामले में अनुभव की न्यूनतम अवधि, यानी जिनके पास संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री है और जिन्होंने सभी परीक्षाओं में या असाधारण मामलों में, एक को छोड़कर सभी में प्रथम श्रेणी हासिल की है। किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए बिना और राष्ट्रीय पुरस्कार/सम्मान/विशिष्टता के विषय/क्षेत्र में पदक प्राप्त किया है, चयन समिति के विवेक पर छूट दी जा सकती है।
- प्राध्यापक/सह/सहायक प्राध्यापक और समकक्ष रैंक के चयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
 - अकादमिक परिषद द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित पदों के लिए विस्तृत योग्यता की सिफारिश की जाएगी और समय-समय पर इसे संशोधित की जा सकती है।

- (ii) चुने हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
 - a) शिक्षण और अनुसंधान के लिए योग्यता का आकलन।
 - b) स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता।
 - c) विश्लेषण और चर्चा करने की क्षमता।
 - (iii) चयन के लिए योग्यता क्रम में विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार को साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।
 - (iv) चयन समिति साक्षात्कार में 80% से अधिक या 50% से कम अंक देने का औचित्य दर्ज करेगी।
 - (v) पशु चिकित्सा संकाय में विभिन्न पदों के लिए, स्नातक स्तर पर पशु चिकित्सा विज्ञान में मूल डिग्री बी.सी.आई. विनियम, 2016 के अनुसार आवश्यक योग्यता का हिस्सा होगी।
- 7) विश्वविद्यालय के ऐसे प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों, कुलसचिव, उप-कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्षों, उप पुस्तकालयाध्यक्षों और अन्य समकक्ष पदों के लिए 55% की न्यूनतम आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाना चाहिए जो पहले से ही विश्वविद्यालय प्रणाली में हैं। हालांकि, इन अंकों पर बल दिया जाना चाहिए जो बाहर से सिस्टम में प्रवेश करते हैं और जो सहायक प्राध्यापक, सहायक कुलसचिव, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और ऐसे अन्य समकक्ष पदों के प्रवेश बिंदु पर हैं।

7.2 पीएचडी के लिए प्रोत्साहन:

- (i) पीएचडी की डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के लिए सहायक प्राध्यापक के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर पांच गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। बशर्ते की यूजीसी द्वारा निर्धारित पंजीकरण, शोध और बाहरी मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक अनुशासन में डिग्री प्रदान की गई हो।
- (ii) वैसे अभ्यर्थी जो M.Tech./M.V.Sc./M.Sc (डीटी) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री वाले, M.Sc. (Fisheries) तथा संबंधित सांविधिक निकाय/परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त वेप्रवेश स्तर पर दो गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धियों के लिए भी पात्र होंगे।
- (iii) वैसे शिक्षक जो सेवा में रहते पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करते हैं वे तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि के हकदार होंगे यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक अनुशासन में है और नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य और मूल्यांकन आदि के

लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है।

- (iv) हालांकि, वैसे सेवाकालीन शिक्षक जिन्होंने इस योजना के लागू होने के समय पीएच.डी. की डिग्री प्रदान की गई है या उन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित (इनरोल) हुए हों या पीएच.डी. पहले से ही पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई हो, के साथ-साथ मूल्यांकन, और केवल पीएचडी के पुरस्कार के संबंध में अधिसूचना से गुजर चुके हैं और डिग्री प्रतीक्षित है, वह भी तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धियों का हकदार होगा, भले ही ऐसा पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के रूप में यूजीसी द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
- (v) अन्य प्रत्येक मामले में, एक शिक्षक जो पहले से ही पीएच.डी. के लिए नामांकित है उनको तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब विश्वविद्यालय पीएचडी के पुरस्कार के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। पाठ्यक्रम या मूल्यांकन या दोनों के संबंध में, जैसा भी मामला हो।
- (vi) सेवारत शिक्षक जिन्होंने अभी तक पीएच.डी. के लिए नामांकन नहीं किया है इस कारण से उन्हें तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि का लाभ तभी मिलेगा जब वे पीएचडी के डिग्री प्राप्त करते हैं, जो सेवारत शिक्षकों के सन्दर्भ में नामांकन एक विश्वविद्यालय के साथ है जो पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करता है, जिसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित नामांकन भी शामिल है।
- (vii) एम. फिल प्राप्त करने वाले शिक्षक सेवा में रहते हुए, संबंधित सांविधिक निकाय/परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करते हैं, एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। यदि किसी विशेष विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य आवश्यकता नहीं है तो सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए ऐसी योग्यता का अधिग्रहण भी उन्हें एक अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार बना देगा।
- (viii) पांच गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए स्वीकार्य होगी, जो डिग्री के लिए नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में यूजीसी द्वारा

निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले विश्वविद्यालय से पुस्तकालय के अनुशासन में पीएचडी डिग्री के साथ प्रवेश स्तर पर भर्ती हैं।

- (ix) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य पुस्तकालय कर्मचारी सेवा में रहते हुए जो किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान के विषय में नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य और मूल्यांकन के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। वे तीन गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।
- (x) हालांकि, वैसे व्यक्ति जो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष या उच्चतर पदों पर रहते हुए जिन्हें इस योजना के लागू होने के समय पीएच.डी. की डिग्री प्रदान की गई है या उन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित (इनरोल) हुए हों या पीएच.डी. पहले से ही पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई हो, के साथ-साथ मूल्यांकन, और केवल पीएचडी के पुरस्कार के संबंध में अधिसूचना से गुजर चुके हैं या प्रतीक्षित है, वह तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धियों के पुरस्कार का भी हकदार होगा, भले ही ऐसा पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के रूप में यूजीसी द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
- (xi) अन्य प्रत्येक वैसे मामले में जहाँ व्यक्ति सहायक लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन या उच्च पदों पर जो पहले से ही पीएच.डी. के लिए नामांकित है, तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब विश्वविद्यालय पीएचडी के पुरस्कार के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। पाठ्यक्रम या मूल्यांकन या दोनों के संबंध में, जैसा भी मामला हो।
- (xii) सहायक लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन और सेवा में उच्च पुस्तकालय पदों पर अन्य जिन्होंने अभी तक पीएच.डी. के लिए नामांकन नहीं किया है। पीएच.डी. के पुरस्कार पर तीन गैर-चक्रवृद्धि वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा, जब सेवा में ही नामांकन ऐसा विश्वविद्यालय के पास है जो पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करता है, जिसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित नामांकन भी शामिल है।
- (xiii) पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री प्रवेश स्तर पर एम. फिल के साथ सहायक लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए दो गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन

वृद्धि स्वीकार्य होगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन/कॉलेज लाइब्रेरियन और अन्य उच्च पद पर कार्यरत सेवा के दौरान लाइब्रेरी विज्ञान में एम. फिल डिग्री प्राप्त करने वाले एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

- (xiv) 01.01.2016 के प्रभाव से या बाद में भर्ती किए गए शिक्षकों को पीएच.डी./एम. फिल डिग्री के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, जैसा की आई.सी.ए.आर. और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इन अनुमोदित व्यावसायिक विषयों पर लागू होगा।

7.3 सेवा इकरारनामा I-विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालयों/संस्थानों में भर्ती के समय, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और शिक्षक के बीच सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जिसे संबंधित शिक्षक को एक प्रति के साथ कुलसचिव/प्रधानाचार्य के पास रहना चाहिए। प्रदर्शन का स्व-मूल्यांकन सेवा समझौते का एक हिस्सा होना चाहिए।

7.3.1 शिक्षकों/वैज्ञानिकों के पदों पर नियुक्ति के लिए मानक निर्धारण एजेंसियों/नियामक निकायों जैसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसा लागू हो, की सिफारिशों/आदेशों के अनुसार योग्यता को संशोधित किया जाएगा।

7.4 चयन की प्रक्रिया I-किसी रिक्ति की स्थिति में या उसकी प्रत्याशा में, कुलपति, उपलब्ध रिकॉर्ड और अनुमोदित प्रतिशत के आधार पर, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए तय किए गए पदों की निर्दिष्ट श्रेणियों के आधार पर, चयन समिति के गठन की व्यवस्था करेगा। .

7.4.1 पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया:

- (i) कुलपति द्वारा गठित की जाने वाली एक मूल्यांकन समिति विश्वविद्यालय के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों पर विचार करेगी, जिनके पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है और/या समिति की राय में इस पद के लिए उपयुक्त हैं। विशेष रूप से उनके सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए और नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए योग्यता के क्रम में एक पैनल की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए मूल्यांकन समिति उम्मीदवारों के पिछले रिकॉर्ड, योग्यता, पेशेवर उपलब्धि और अनुभव की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगी।

- (ii) यदि मूल्यांकन समिति की राय में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
- (iii) राज्य के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण अधिकारी और कर्मचारी "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और इसकी घटक इकाई संशोधित सुनिश्चित वृत्ति प्रगति योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

7.4.2 सीधी भर्ती की प्रक्रिया:

- (i) सीधी भर्ती के लिए, कुलपति ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जिसे वह इस प्रकार नामित कर सकता है कि वह समाचार पत्रों में पद का विज्ञापन करने की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
- (ii) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों को संकलित किया जाएगा और कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित संबंधित वरीय अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों को सारणीबद्ध करने और आवेदकों की योग्यता की तुलना करने के बाद उन पात्र उम्मीदवारों के नामों की एक सूची तैयार करेगी जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है और इसे कुलपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (iii) पात्र उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट तिथि पर, विधियों के अनुसार गठित निर्दिष्ट चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।
- (iv) चयन समिति उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेगी और प्रत्येक पद के संबंध में योग्यता क्रम में व्यवस्थित योग्य व्यक्तियों का एक पैनल प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार में उम्मीदवारों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर चयन समिति योग्य नहीं/कोई नहीं के रूप में सिफारिश कर सकती है।
- (v) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए पैनल में शामिल किसी भी उम्मीदवार के लिए वेतनमान में उच्च

प्रारंभिक वेतन लिखित रूप में निर्दिष्ट कारणों के लिए सिफारिश कर सकती है।

- (vi) चयन समिति द्वारा तैयार किए गए किसी पैनल की वैधता की अवधि उसकी सिफारिश की तारीख से एक वर्ष होगी।

7.5 सावधिक (टेन्योरल) नियुक्ति प्रक्रिया I-कुलसचिव, अधिष्ठाता और निदेशकों के पद सीधी भर्ती के माध्यम से पांच साल के कार्यकाल के लिए भरे जाएंगे, जिसे असाधारण मामलों में प्रबंधन बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर तबतक बढ़ाया जा सकता है, जबतक कि नई नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

ऐसे व्यक्ति जब अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/संगठनों से लिए जाते हैं तो उन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और उनके वेतन को उनके मूल संगठन में स्वीकार्य गैर-अभ्यास भत्ते (NPA) सहित संरक्षित किया जाएगा। तथापि, कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

7.6 नियुक्ति की प्रक्रिया I-

- (i) चयन समिति द्वारा मेधा (मेरिट) के क्रम में तैयार किये गए पैनल चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजा जाएगा, जो बदले में नवीनतम रिक्ति की स्थिति की जांच करेगा और पैनल को बिना किसी विलम्ब के इसकी मंजूरी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (ii) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा पैनल के अनुमोदन पर चयनित उम्मीदवार को प्रस्ताव-पत्र ऑनलाइन और डाक द्वारा भी भेजा जाएगा।
- (iii) विश्वविद्यालय के बाहर से चयनित उम्मीदवार को प्रस्ताव पत्र के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वस्थ स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रमाण पत्र में शामिल होने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अध्याय – VIII

विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, भविष्य निधि, बीमा, अन्य कल्याण स्कीम की स्थापना और ऐसी निधियों, स्कीमों की नियमावली, निबंधन और शर्तें।

विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय-VI की धारा-35 की उपधारा-(1) तथा (2) में वर्णित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, भविष्य निधि, बीमा, अन्य कल्याण स्कीम की स्थापना और ऐसी निधियों, स्कीमों की नियमावली, निबंधन और शर्तें।

8.1 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को निम्नानुसार पेंशन का लाभ देय होगा ।-ऐसे कर्मचारी जो 31.08.2005 को या उससे पहले राज्य/केंद्र सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान/संगठन की सेवा हों और बाद में अधिनियम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया हो, पेंशन के हकदार होंगे। बशर्ते कि उसने अपने पिछले संगठन में पुराने पेंशन नियम का चुनाव किया हो और विश्वविद्यालय में अंशदायी भविष्य निधि/नई पेंशन योजना की सदस्यता लेने का विकल्प का चुनाव नहीं किया हो।

8.1.1 ऐसे कर्मचारी जो बिहार और अन्य राज्य सरकार/केंद्र सरकार/आईसीएआर/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) में कार्यरत थे, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सेवा में शामिल हुए हों, वे सभी पेंशन और अन्य लाभों के हकदार होंगे बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

- (i) वे पुरानी पेंशन योजना के तहत विशेष रूप से 31.08.2005 को या उससे पहले अपने पिछले संगठन/प्रतिष्ठान में शामिल हुए थे।
- (ii) वह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पद पर सीधी भर्ती के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में उचित माध्यम से आवेदन किया था और चयन होने पर, अपने पिछले/मूल संस्थान से उचित रूप से कार्यमुक्त होने के बाद बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण किया हो।
- (iii) वह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वेतन निर्धारण के माध्यम से अपने वेतन/परिलब्धियों को सुरक्षित किया गया हो।
- (iv) वह बैयक्तिक दावा निदान कोषांग/वित्त विभाग सरकार के जीपीएफ जैसे अपने पिछले कार्यकारी स्थापना से जीपीएफ योगदान की राशि के साथ अपने वेतन खाते का विवरण प्राप्त किया हो। वैसे कर्मि जो पशुपालन विभाग, बिहार सरकार में

कार्यरत हैं बिहार सरकार से तथा वैसे कर्मी जिनका पूर्ववर्ती संस्थान विश्वविद्यालय है नियंत्रक/कुलसचिव से प्राप्त हो।

- (v) आईसीएआर/एसएयू/केंद्र सरकार के संगठन में 31.08.2005 को या उससे पहले सेवारत व्यक्ति वित्तीय नियंत्रक से वेतन खाते का विवरण सभी योगदान के साथ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (vi) वह अपने पिछले/मूल संगठन/स्थापना से ब्याज सहित अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान की राशि जैसा भी मामला हो, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया हो।
- (vii) वह अपने पिछले संगठन/प्रतिष्ठान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी सेवा-पुस्तिका सत्यापित करवाया हो और उसके बाद उसे अपने पिछले संगठन/प्रतिष्ठान से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया हो।
- (viii) जहाँ व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए सेवा-पुस्तिका को सर्विस रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, सेवा-पुस्तिका के खोलना/सत्यापन के दौरान उसके पिछले संगठन/स्थापना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि वह पेंशन की सुविधा का लाभ उठा रहा था। पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ और सामान्य भविष्य निधि/पुरानी पेंशन योजना के लिए अपने वेतन से नियमित रूप से योगदान और पिछले संगठन/स्थापना से मुक्त होने की तारीख तक पुरानी पेंशन योजना के तहत अपना जीपीएफ योगदान जारी रखा।
- (ix) यदि वह 01.09.2005 को या उसके बाद अपने पिछले संगठन/प्रतिष्ठान में शामिल हुआ हो और बाद में सीधी भर्ती के माध्यम से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में शामिल हुआ, तो उसे वर्तमान में लागू राज्य सरकार के नियम के अनुसार नई पेंशन योजना के तहत रखा जाएगा।
- (x) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नई पेंशन योजना/पुरानी पेंशन योजना में कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।
- (xi) जो कर्मचारी उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं और 01.09.2005 को या उसके बाद विश्वविद्यालय में नव-नियुक्त हुए

हैं, वे सरकारी नियमों के अनुसार नई पेंशन योजनाओं के हकदार होंगे।

8.1.2 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पेंशन पात्रता विश्वविद्यालय के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को प्राप्त होगी और जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) मासिक पेंशन या सेवांत उपादान, जैसा भी मामला हो;
- (ii) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान, और
- (iii) पारिवारिक पेंशन।

राज्य सरकार के अधीन ऐसे भुगतानों को विनियमित करने वाले सामान्य नियमों, आदेशों और सिद्धांतों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त लाभों की अनुमति दी जाएगी।

8.2 पेंशन निधि I-विश्वविद्यालय पेंशन भुगतान करने के लिए पेंशन निधि बनाये रखेगा तथा उसे विहित विनियमों के अनुसार संचालित करेगा।

8.3 विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि I-विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि (यूजीपीएफ) के लाभ की अनुमति देगा, जिन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में अपनी सेवा के दौरान इसका विकल्प चुनाव किया हो या बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना में नियुक्ति किये गए हो। अन्य संगठनों से सीधी भर्ती पर विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि के नियमों द्वारा शासित होंगे जैसा कि अनुमोदित किया जायेगा।

8.4 अंशदायी भविष्य निधि I-विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मों जिन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में अपनी सेवा के दौरान अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) का विकल्प चुनाव किया था, उन्हें उन्हीं नियमों और शर्तों पर सीपीएफ की सदस्यता जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

8.5 विश्वविद्यालय द्वारा निधि में योगदान I-विश्वविद्यालय समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा यथाअनुमोदित अभिदाता की निधि में अंशदान करेगा।

8.6 निश्चित शर्तें-

- (i) अत्यंत आवश्यकता की दशा में जो कुलपति अथवा उसकी ओर से ऐसे शक्तियों को रखनेवाला पदाधिकारी की राय में उचित प्रतीत होता हो, अभिदाता को उसकी तीन माह की परिलब्धियों से अनधिक रकम अथवा भविष्य निधि लेखा में ब्याज सहित उसकी जमा राशि की आधी रकम, जो कम हो, अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा।
- (ii) अग्रिम की वसूली²⁴ से अनधिक बराबर मासिक किस्तों की ऐसी संख्या जो कुलपति अथवा उनकी ओर से ऐसी शक्तियों को रखनेवाले

पदाधिकारी नियत करे, में की जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा अभिदाता को देय वेतन से कटौती कर वसूल जाएगी। ऐसे हरेक क्रिस्त की राशि सम्पूर्ण रुप में नियत की जाएगी, आवश्यकतानुसार अग्रिम के भुगतान के पश्चात् पूरे महीने के वेतन के प्रथम भुगतान से कटौती प्रारंभ होगी।

- (iii) खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी भवन के प्रयोजन के लिए अथवा घर खरीदने के लिए अथवा गृह निर्माण हेतु भूमि खरीदने के लिए यदि अग्रिम अपेक्षित होता है तो अग्रिम की अधिकतम सीमा अभिदाता के बारह माह के वेतन के बराबर हो सकती है जिसे 60 माह से अनधिक मासिक किस्तों की ऐसी संख्या, जिसे कुलपति, वित्त नियंत्रक के परामर्श से अवधारित करे, में प्रतिसंदत्त (वापस) किया जाएगा।
- (iv) अभिदाता किसी भी समय एक से अधिक किस्तों में प्रतिसंदत्त (वापसी) करने का अपना विकल्प दे सकेगा।
- (v) यदि किसी अभिदाता जिसने 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर ली है अथवा जिसे 5 वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होना है, को भवन के लिए अथवा घर क्रय करने के लिए अथवा गृह निर्माण हेतु भूमि के लिए अग्रिम की आवश्यकता होती है तो उसे उसके भविष्य निधि लेखा में जमा राशि के 75% तक अप्रत्यर्पनीय अग्रिम मंजूर किया जा सकेगा।
- (vi) अप्रत्यर्पनीय अग्रिम पूरी सेवा में अधिकतम दो बार मंजूर की जाएगी।
- (vii) ऊपर उल्लिखित खण्डों में किसी बात के होते हुए भी कुलपति को विशेष परिस्थितियों में ऊपर खंड (i) में अंतर्विष्ट नियम शिथिल करने का अधिकार होगा।

8.7 छुट्टी पर गए कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान 1-कोई कर्मचारी जो पूरे वेतन पर छुट्टी पर हो, भविष्य निधि में अभिदान करना जारी रखेगा और यदि वह पूरे वेतन के बिना छुट्टी पर हो तो वह अपना विकल्प दे सकेगा।

8.8 अभिदान करनेवाले कर्मचारियों का लेखा प्रपत्र 'क' में रखा जायेगा 1-भविष्य निधि में अभिदान करनेवाले हरेक कर्मचारी का एक अलग लेखा विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रपत्र 'क' में रखा जायेगा और हरेक वित्तीय वर्ष के अंत में तथा विश्वविद्यालय की सेवा में उसके नहीं रहने पर लेखा की प्रति ऐसे हरेक कर्मचारी को दी जाएगी।

प्रपत्र 'क'

31 मार्च, ... को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

भविष्य निधि में जमा लेखा

अभिदाता का नाम:

लेखा संख्या:

नाम	आदि अतिशेष	वेतन से कटौती	अंशदान	निकासी	अंत अतिशेष	वर्ष के अंत में जोड़ा गया ब्याज	कुल जमा	अभ्युक्ति

प्रपत्र 'ख' में लेजर में लेखा की प्रविष्टि-

8.9 भविष्य निधि में जमा अथवा निकली गयी राशि उसी दिन नीचे दिए गए प्रपत्र 'ख' में भविष्य निधि खाता (लेजर) में प्रविष्टि की जाएगी। खाता के स्तम्भ 6 के अंक की गणना तथा स्तम्भ 7 एवं 10 में प्रविष्टि हरेक लेखा के शुद्ध अतिशेष की भी गणना वार्षिक रूप से की जाएगी।

प्रपत्र 'ख'

लेखा संख्या	अभिदाता का नाम	आदि अतिशेष	वेतन से कटौती अप्रैल से मार्च	विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान	ब्याज	कुल	निकासी	प्रतिसंदाय	अंतिम अतिशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8.10 मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति पर लेखा बंद करना।-यदि किसी अभिदाता की मृत्यु होती है अथवा उसकी सेवा अन्यथा समाप्त हो जाती है तो उसका लेखा बंद कर दिया जायेगा और जिस माह में उसकी मृत्यु होती है अथवा सेवा समाप्त होती है उसकी समाप्ति के पश्चात् उसे देय राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा अथवा लाभ प्राप्त नहीं होगा।

8.11 लेखा बंद करने पर अदावाकृत रकम जमा लेखा में अंतरित की जाएगी।-जब कोई लेखा बंद किया जाता है तो बची हुई अदावाकृत रकम भविष्य निधि लेखा से हटा दी जाएगी तथा वर्ष की समाप्ति पर उसे जमा लेखा में अंतरित कर दी जाएगी जिसे साधारण जमा की भांति व्यवहार की जाएगी।

8.12 घोषणा और मनोनयन।-

- (i) हरेक अभिदाता के लिए यह लिखित में घोषणा करना अपेक्षित होगा कि उसने इन परिनियमों को पढ़ लिया है और वह उनका पालन करने के लिए सहमत है और विश्वविद्यालय कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए उस व्यक्ति का नाम हस्तगत करा दिया है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात् जमा अतिशेष संदत्त करना चाहता है।
- (ii) एक से अधिक व्यक्ति का मनोनयन करते समय वह उस अनुपात का उल्लेख कर सकता है जिस अनुपात में उक्त अतिशेष हरेक को क्रमशः संदत्त किया जा सके। मनोनीत व्यक्ति अथवा मनोनीत व्यक्तियों में से किसी के अवयस्क होने की दशा में उसे अवयस्क मनोनीत व्यक्तियों की जन्म तिथि का उल्लेख करना चाहिए तथा राशि का भुगतान मनोनीत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी अथवा अभिभावक को, जिसे अवयस्क रहते हुए उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाए, किया जायेगा।
- (iii) अभिदाता समय-समय पर विश्वविद्यालय में लिखित आवेदन द्वारा अपने मनोनीत व्यक्ति अथवा मनोनीत व्यक्तियों तथा जमा अतिशेष को किस अनुपात में वितरित किया जाए, जोड़ सकेगा अथवा परिवर्तित कर सकेगा।
- (iv) मनोनीत व्यक्तियों का अभिलेख विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रपत्र 'ग' में रखा जायेगा जो नीचे दिया गया है:

प्रपत्र 'ग'

अभिदाता का नाम	मनोनीत व्यक्ति का जन्म तिथि के साथ नाम और पता तथा अभिभावक का नाम यदि वह अवयस्क हो	कर्मचारी के साथ मनोनीत व्यक्ति का सम्बन्ध	अभिदाता का हस्ताक्षर	विश्वविद्यालय के सहायक नियंत्रक का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

8.13 कतिपय मामलों में अनुपलब्ध अंशदायी भविष्य निधि का लाभ I-परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का हकदार नहीं होगा यदि वह अपने पेंशन के लिए अभिदाय करने पर अन्यथा विश्वविद्यालय के पेंशन का हकदार हो अथवा उसे विशेष निबंधनों पर विश्वविद्यालय द्वारा समेकित वेतन पर नियुक्त किया गया हो।

8.14 उपादान:

- (1) उपादान विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्ति/इस्तीफा पर बिहार सरकार के नियमानुसार देय होगा। उसकी मृत्यु की स्थिति में यह उपादान मृतक के नामित को निर्धारित तरीके से देय होगा। कदाचार, दिवाला या अक्षमता के लिए बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने पर कोई उपादान देय नहीं होगा।

8.15 अस्थायी कर्मचारी-सेवांत लाभ I-अस्थायी कर्मचारी जो वार्धक्यनिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है अथवा छटनी के कारण सेवामुक्त होता है अथवा आगे की सेवा के लिए अशक्त घोषित किया जाता है, सेवा के पूरे वर्ष के लिए एक महिना के वेतन के एक तिहाई अनुपात में उपादान का पात्र होगा, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति अथवा अशक्तता के समय उसने कम-से-कम 5 वर्षों की लगातार सेवा पूरी की हो।

अस्थायी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुई है, का परिवार मृत्यु उपादान का पात्र होगा, बशर्ते कि -

- (i) एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् किन्तु तीन वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व मृत्यु होने पर - एक माह के वेतन के बराबर उपादान की राशि देय होगी
- (ii) तीन वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् किन्तु पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व मृत्यु होने पर - दो माह के वेतन के बराबर उपादान की राशि देय होगी
- (iii) पाँच वर्षों या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के पश्चात् मृत्यु होने पर- तीन माह के वेतन के बराबर उपादान अथवा उक्त वर्णित कंडिका उल्लिखित सेवांत उपादान की राशि की राशि देय होगी

8.16 कंडिका 8.15 के अधीन सेवांत अथवा मृत्यु उपादान की राशि के निर्धारण के लिए वेतन से अभिप्रेत होगा यथास्थिति सेवा छोड़ने अथवा मृत्यु के समय मासिक मूल वेतन (अथवा ऐसी कोई परिलब्धि जिसे वेतन के रूप में घोषित किया जाए)। इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और वेतन के रूप में कोई अन्य परिलब्धि शामिल नहीं होगी। कर्मचारी का सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति, अशक्तता अथवा मृत्यु के ठीक पहले बिना वेतन छुट्टी पर रहने की दशा में इस प्रयोजन के लिए उसे वही वेतन संदत्त होगा जो, यदि वह ऐसी छुट्टी पर नहीं गया होता तो उसे संदत्त होता।

अध्याय – IX

संकायों और विभागों की स्थापना, समामेलन, उपखंड और उन्मूलन

अधिनियम के अध्याय-III की धारा- 18 की उप-धारा (1) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में परिनियमों में निम्नलिखित संकाय होंगे:

9.1 अधिनियम के अध्याय-III की धारा-18 की उप-धारा 1 और 3 में प्रावधानित किए गए संकायों में अकादमिक परिषद की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय किए गए विभाग होंगे।

9.2 अकादमिक परिषद की सिफारिश और प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय उपरोक्त वर्णित किसी भी संकाय और उसके विभागों को समामेलित या उप-विभाजित, पुनर्गठित या समाप्त करने का अधिकार होगा।

9.3 अकादमिक परिषद की सिफारिश, प्रबंधन बोर्ड और सरकार के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय आवश्यकता के अनुसार नया संकाय और विभाग स्थापित कर सकता है।

9.4 अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के मामले में राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

9.5 प्रत्येक संकाय में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के साथ अलग-अलग विभाग होगा। कुलपति, बोर्ड के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के हित में कर्मचारी को एक संकाय के विभाग से किसी अन्य संकाय के किसी भी विभाग में पद सहित स्थानांतरित कर सकते हैं।

अध्याय – X

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्त

छुट्टी।-

10.1 बिहार सरकार की छुट्टी नियमावली वर्तमान में विश्वविद्यालय पर लागू होती है तथा समय-समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।

कर्मचारी का सेवा से त्यागपत्र-

10.2 विश्वविद्यालय सेवा से त्यागपत्र देने का इच्छुक कोई कर्मचारी लिखित में विश्वविद्यालय को नोटिस देगा जो नीचे विनिर्दिष्ट है:

- (a) एक माह का नोटिस, यदि वह अस्थायी कर्मचारी हो,
- (b) तीन माह का नोटिस, यदि वह स्थायी कर्मचारी हो,

टिपणी:

- (i) यदि कोई कर्मचारी ऊपर यथापेक्षित नोटिस देने में असफल रहता है तो विश्वविद्यालय उसके वेतन से उतनी अवधि के वेतन की वसूली करने का हकदार होगा जितनी अवधि ऐसी नोटिस के लिए कम पड़ती है अथवा जितनी अवधि वास्तव में दिए गए नोटिस से कम पड़ती है।

- (ii) यदि कोई कर्मचारी बंधपत्र अवधि के अधीन सेवारत हो तो बंधपत्र के प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात् ही त्यागपत्र स्वीकार किया जायेगा।
- (c) त्यागपत्र का ऐसा हरेक मामला उसके अपने गुणागुण पर स्वीकृति अथवा अन्यथा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विचारणीय होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी की सेवा समाप्ति, वार्धक्यनिवृत्ति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति-

10.3 (1) विश्वविद्यालय नीचे उल्लिखित किसी परिस्थितियों में कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकेगा:

- (i) सेवा के लिए मानसिक और/अथवा शारीरिक अयोग्यता के आधार पर जैसा की चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो, ऐसी दशा में कर्मचारी किसी अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपने नियोजक की सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन दे सकेगा जिसका उस चिकित्सा बोर्ड, जिसके समक्ष कर्मचारी का मामला निर्दिष्ट किया जा चुका होगा की अनुशंसा के आधार पर निर्णय अंतिम होगा।
 - (ii) कर्मचारी की ओर से अनुशासनहीनता, कदाचार, नैतिक अधमता अथवा विध्वंसक क्रियाकलाप के आधार पर, ऐसी दशा में परिनियम के खंड 10.9 में यथा संसूचित कार्यवाही सेवा समाप्ति आदेश निर्गत करने के पूर्व की जाएगी।
 - (iii) विश्वविद्यालय द्वारा छंटनी आदेश के कारण, ऐसी दशा में नियुक्ति प्राधिकार सेवा समाप्ति का आदेश निर्गत कर सकेगा बशर्ते कि कर्मचारी अपने उप संवर्ग से सबसे कनीय हो और यदि उस संवर्ग में कोई उप संवर्ग नहीं हो तो यदि वह अस्थायी पदधारी हो तो एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर; और
 - (iv) कर्मचारी वार्धक्यनिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने पर,
- (2) विश्वविद्यालय का हरेक शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी क्रमशः 65 तथा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्धक्यनिवृत्त होगा और बाद में उसकी सेवा नहीं बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उम्र परिवर्तित की जा सकेगी तथा प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा और कुलाधिपति की सहमति के पश्चात् इसे कार्यान्वित किया जा सकेगा।

- (3) कुलपति की अनुशंसा पर प्रबंधन बोर्ड किसी ऐसे कर्मचारी को लोक हित में सेवानिवृत्त कर सकेगा जिसने 50 वर्ष की उम्र अथवा 25 वर्ष की सेवा, जो पहले हो, प्राप्त कर ली है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम I-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कर्मचारी पर लागू नियमावली विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर लागू होगी।

पुनर्नियोजन-

10.4 यदि विश्वविद्यालय का कर्मचारी अथवा राज्य/केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य संगठन का सेवानिवृत्त कर्मचारी वार्धक्यनिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करता है तो वह विश्वविद्यालय के हित में नीचे उल्लिखित शर्तों के अधधीन पुनर्नियोजित किया जा सकेगा:

- (a) प्रारंभ में पुनर्नियोजन छः माह की अवधि के लिए किया जाएगा। बाद में कुलपति द्वारा अभ्यर्थी के प्रदर्शन को आंकने के आधार पर एक बार छः माह के प्रसार के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।
- (b) पुनर्नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए समुचित रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- (c) किसी कर्मचारी का उसके पुनर्नियोजन पर वेतन बिहार सरकार के नियमों के अनुसार पुनर्नियोजन वेतन की सीमा से अधिक नहीं होगा; और
- (d) अति विशेष परिस्थिति को छोड़कर पुनर्नियोजन स्वीकृत नहीं की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में शिक्षकेतर पदों पर 65 वर्ष तथा शिक्षक पदों पर 70 वर्ष से अधिक आयु वाले को पुनर्नियोजित नहीं किया जायेगा।

स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर प्रभार देना-

10.5 (1) कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी जो सेवा समाप्ति आदेश अथवा अन्य पद पर स्थानांतरण के अधीन है अथवा आकस्मिक अवकाश से भिन्न अन्य छुट्टी पर जा रहा है अपने पद को छोड़ने के पूर्व विश्वविद्यालय के किसी ऐसे कर्मचारी को प्रभार देगा जिसे प्रभार ग्रहण करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया जाय, सभी बहियों, उपकरणों, व्यक्तिगत इस्तेमाल हेतु उसे निर्गत फर्नीचर को वह विश्वविद्यालय को वापस करेगा और सभी बकाये प्रभार यथा नगरपालिका कर, जल तथा विद्युत् प्रभार, विश्वविद्यालय आवासीय क्वार्टर के अधिभोग का भाड़ा पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा और ऐसा करने में असफल होने पर

नियंत्री पदाधिकारी कर्मचारी के अंतिम वेतन अथवा भविष्य निधि में विश्वविद्यालय के अंशदान से बकाया राशि की वसूल करेगा यदि उसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो।

नियत समय के अन्दर स्थानांतरित पदों पर पदभार ग्रहण नहीं करना कदाचार समझा जायेगा और परिनियम में उल्लिखित पर्वधन के अनुसार उससे निपटा जायेगा।

आवास गृह खाली करना-

- (2) कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी जो विश्वविद्यालय के आवासीय सुविधा का अधिभोगी है, किसी अन्य पद पर स्थानांतरण होने पर अथवा छुट्टी में जाने पर अथवा वार्धक्यनिवृत्ति पर अथवा विश्वविद्यालय सेवा छोड़ने पर आवास गृह खाली करेगा। अनुपालन नहीं करने की दशा में आवासीय सुविधा के आवंटन पर विनियमों के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनिक अथवा अन्य समुचित कार्रवाई की जाएगी।

दक्षता को बढ़ाने के लिए जांच और परीक्षा।-

10.6 विश्वविद्यालय के कर्मचारी से अपेक्षा से की जा सकेगी कि वह ऐसी जांच परीक्षा में उत्तीर्ण हो जिसे प्रबंधन बोर्ड विहित करे। जांच परीक्षा को विहित करने वाले आदेश में जाँच में असफल रहने पर दंड और/अथवा जाँच में उत्तीर्ण होने पर लाभ विनिर्दिष्ट होगा। जाँच और दंड पूर्व में ही प्रबंधन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय के बाहर व्यापार अथवा व्यवसाय करने तथा राजनैतिक कार्य में भाग लेने पर प्रतिबन्ध-

- 10.7 (1)** अंशकालिक आधार पर विशेष रूप से नियुक्ति कर्मचारियों को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे तथा कुलपति की अभिव्यक्त रूप से पूर्व अनुमति के बिना वे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय के बाहर किसी प्रकार के व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा राजनैतिक कार्य से नहीं जुड़ेंगे अथवा कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे।

टिपणी : यह प्रतिबन्ध विश्वविद्यालय के बाहर परीक्षा से सम्बंधित किसी कार्य अथवा वचनबंध पर लागू नहीं होगा बशर्ते कि एक कैलेंडर वर्ष में तीन परीक्षा से अधिक न हो।

- (2) कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय के बाहर निजी ट्यूशन नहीं करेगा और किसी कोचिंग केंद्र से नहीं जुड़ेगा।
- (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो अन्य संगठन में तकनीकी समिति अथवा चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं अथवा अतिथि

व्याख्यान देने के लिए अथवा साधन संपन्न व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) के रूप में शीतकालीन अथवा ग्रीष्मकालीन विद्यालयों के कार्यशाला/सेमिनार/सिम्पोजियम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं उन्हें मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कुलपति द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।

अविष्कार और खोज के लिए स्वामित्व (रौयल्टी), पेटेंट अधिकार तथा विश्वविद्यालय प्रयोगशाला आदि में परिक्षण कार्य के लिए मानदेय-

- 10.8** (1) विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला, फार्म अथवा कार्यशाला में बनी किसी प्रक्रिया की खोज अथवा आविष्कार के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का एक मात्र अधिकार होगा और अपेक्षित समनुदेशन प्राप्त करने के पश्चात् सरकार से अविष्कार अथवा प्रक्रिया के लिए पेटेंट अधिकार प्राप्त करने हेतु कार्रवाई कर सकेगा। विश्वविद्यालय पेटेंट अधिकार प्राप्त करने में खर्च करेगा तथा पेटेंट की ऐसी मंजूरी की विक्री अथवा वाणिज्यिक उपयोग से प्रोद्भूत सभी रौयल्टी, पारिश्रमिक अथवा आय प्राप्त करेगा।
- (2) विश्वविद्यालय सम्बद्ध कर्मचारी को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा पुरस्कार के रूप में निर्धारित किया जायेगा, परन्तु उस मामले में जहाँ ऐसे अविष्कार अथवा प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय द्वारा उपगत व्यय अधिक हो तो कर्मचारी को पुरस्कार की राशि देने के पूर्व प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियत पुरस्कार राशी से विश्वविद्यालय द्वारा स्वविवेकानुसार सम्पूर्ण व्यय की कटौती की जा सकेगी।
- (3) ऐसी दशा में जब विश्वविद्यालय पेटेंट अधिकार के लिए आवेदन देने का निर्णय नहीं करता है तो सम्बद्ध कर्मचारी, यदि वह चाहे, एकमात्र अपने नाम से विश्वविद्यालय को रौयल्टी के 10% का भुगतान कर पेटेंट के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (4) किसी संगठन की ओर से शोध कार्य का परिक्षण जिसके लिए विश्वविद्यालयको फीस देने का प्रस्ताव किया जाता है, कुलपति द्वारा अध्यक्ष अथवा सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के परामर्श से स्वीकार किया जा सकेगा। कुलपति उक्त शोध अथवा परीक्षण कार्य पर विश्वविद्यालय द्वारा उपगत अथवा उपगत होने वाले सभी व्यय को ध्यान में रखकर ऐसे कार्य के लिए सम्बद्ध कर्मचारी को देय मानदेय का निर्धारण करेगा और उसे मंजूर करेगा।

आचरण, अनुशासन, जाँच, दण्ड और अपील-

10.9 (1) किसी कर्मचारी पर कदाचार, नैतिक अधमता, कर्तव्य उपेक्षा, सेवा के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन अदक्षता, अनुशासनहीनता, आपराधिक सिद्धदोष जैसे अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए नीचे खंड (2) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक अथवा एक से अधिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

टिपणी : इस प्रयोजन के लिए 'कदाचार' से अभिप्रेत है-

- (i) जानबूझकर की गई अवज्ञा अथवा जानबूझकर लोप अथवा किसी वैध आदेश अथवा अनुदेश कार्यान्वित करने में उपेक्षा;
- (ii) विश्वास और कर्तव्य का जानबूझकर उल्लंघन;
- (iii) विश्वविद्यालय के नियमों या आदेशों अथवा कुलपति के अभिव्यक्त अनुमति के बिना किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई उपहार, उपदान, पुरस्कार अथवा पारिश्रीमिक की मांग, स्वीकृति अथवा प्राप्ति;
- (iv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों के बीच अवैध गतिविधियों अथवा राजनैतिक उपदेश में संलिप्तता;
- (v) कुछ ऐसा करना जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा कम हो अथवा कम होने की संभावना हो अथवा उसके हितों की हानि हो अथवा विश्वविद्यालय के संगठित जीवन का सामंजस्य एवं संलग्नता भंग हो अथवा भंग होने की संभावना हो;
- (vi) कोई व्यक्ति जो ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार न हो को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साधारण अथवा विशेष अनुमति अथवा प्राधिकरण के बिना किसी दस्तावेज अथवा सूचना संसूचित करना जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके कब्जे में आया हो चाहे सरकारी स्रोत से अथवा अन्यथा से;
- (vii) कदाचार, अपराध आदि ऐसे सभी मामलों में जहाँ इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन निपटारा नहीं किया जा सकता हो, राज्य सरकार के मौजूदा नियम लागू होंगे; और
- (viii) स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश की अवहेलना।

(2) निम्नलिखित लघु और वृहत दंड विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर अधिरोपित की जा सकेंगी-

(क) लघु दंड

- (क) निंदन;
- (ख) वेतन वृद्धि पर रोक;
- (ग) लापरवाही अथवा आदेश उल्लंघन अथवा कार्य एवं लोप के किसी अन्य कार्य के कारण विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की वेतन से पूरी अथवा आंशिक वसूली;

(ख) वृहत दंड

- (i) कालमान वेतन में निम्नतर पद अथवा निम्नतर प्रक्रम पर;
- (ii) विश्वविद्यालय सेवा से हटाना जो सामान्यतः विश्वविद्यालय में किसी अन्य नियोजन से निरर्हित नहीं करता है;
- (iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
- (iv) विश्वविद्यालय सेवा से पदच्युति जो सामान्यतः विश्वविद्यालय में आगे नियोजन से निरर्हित करता है और इसमें सभी प्रोद्भूत वित्तीय लाभ से सामान्यतः वंचित रखना शामिल है।

(3) नियुक्ति प्राधिकार खंड (2) में उल्लिखित किसी दंड को अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा और नियुक्ति प्राधिकार से नीचे की कोटि का प्राधिकारी यथा, संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) या निदेशक खंड (2) के उपखंड (क) में उल्लेखित कोई लघु दंड, वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारियों पर तथा अपने अधीन पदस्थापित अन्य कर्मचारीगण की दशा में निंदन का दंड, यदि पहले द्वारा ऐसा करने की शक्ति प्रदान की जाती है, अधिरोपित कर सकते हैं।

परन्तु विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर तब तक कोई वृहत दंड अधिरोपित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे कोई अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का प्रयाप्त अवसर नहीं दे दिया जाता हो और उस पर सम्यक रूप से विचार नहीं कर लिया जाता हो।

स्पष्टीकरण: नीचे खंड (4) में किसी वृहत दंड के लिए उपदर्शित पूरी प्रक्रिया का नौपालन लघु दंड की दशा में नहीं किया जायेगा। यह प्रयाप्त होगा यदि सम्बद्ध पदाधिकारी उस पर लगाये गए आरोपों के विरुद्ध उसे

स्पष्टीकरण देने का अवसर दे और इस प्रकार समर्पित स्पष्टीकरण पर आदेश पारित करने के पूर्व विचार करे।

- (4) वह आधार जिसपर कोई वृहत दंड प्रस्तावित है सम्बद्ध विश्वविद्यालय सेवक को लिखित में संसूचित किया जायेगा और उसे उचित समय के अन्दर बताना आवश्यक होगा:
 - (क) क्या वह सभी आरोपों अथवा इनमें से किसी आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है;
 - (ख) उसे अपने स्पष्टीकरण अथवा रक्षा, यदि कोई हो, में क्या प्रस्तुत करना है; और
 - (ग) क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का इच्छुक है।
- (5) यदि नियुक्ति प्राधिकार का समाधान हो जाता है कि चूककर्ता कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित है तो जाँच पदाधिकारी अथवा समिति की नियुक्ति कर जाँच संस्थित की जाएगी।
- (6) जाँच के समय ऐसे आरोप जो स्वीकार नहीं किये जाते हैं अथवा परिश्रमनाकारी परिस्थितियां, यदि कोई हो, जो रक्षा में अभिवचन किये जाते हों की बाबत सभी साक्ष्य, मौखिक अथवा दस्तावेजी, पेश किये जायेंगे। आरोपी व्यक्ति साक्षी की प्रतिपरीक्षा का हकदार होगा तथा उस साक्षी को बुलाएगा जो वह चाहे बशर्ते कि जाँच संचालित करने वाला पदाधिकारी अथवा समिति विशेष और पर्याप्त कारणों को लिखित में दर्ज कर किसी साक्षी को बुलाने से इंकार न कर दे। कार्यवाही में साक्ष्य के पर्याप्त अभिलेख तथा निष्कर्ष का विवरण तथा उनके आधार समाविष्ट होंगे।
- (7) जाँच पदाधिकारी अथवा समिति जाँच के समय काउंसल द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के आरोपी कर्मचारी के किसी अनुरोध को, कारणों को अभिलिखित कर, स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा।
- (8) किसी व्यक्ति के विरुद्ध जाँच पूरी हो जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार, जाँच पदाधिकारी अथवा समिति के प्रतिवेदन के साथ जाँच के दौरान पेश किये गए साक्ष्य पर विचार करेगा और अंतिम आदेश जिसमें खंड (2) में विनिर्दिष्ट दंडों को अधिरोपित करना शामिल है, पारित करने के लिए सक्षम होगा।
 - (क) कोई कर्मचारी निलंबित किया जायेगा यदि आपराधिक अभियोजन में उसके विरुद्ध ऐसा आरोप हो जिसमें उसे कारावास की सजा संभावित हो अथवा जिसके लिए उसे विभागीय जाँच में

पदच्युत किया जा सके अथवा सेवा से हटाया जा सके अथवा न्यायालय द्वारा उसे जमानत देने से इंकार कर दिया जाता हो तथा कारागार को सुपुर्द कर दिया जाता हो;

(ख) घोर कदाचार, रिश्वत अथवा भ्रष्टाचार की दशा में यदि पर्याप्त प्रथम द्रष्टया साक्ष्य उपलब्ध हो तो कर्मचारी निलंबित किया जा सकेगा। निलंबन आदेश उन मामलों में भी पारित किया जा सकेगा जिनके प्रारंभी अन्वेषण में जाँच के गुणागुन हो अथवा जहाँ समुचित जाँच के लिए किसी कर्मचारी का निलंबन आवश्यक प्रतीत हो।

(ग) ऐसे मामले में जहाँ विश्वास करने के कारण हों की कर्मचारी को यदि आपना कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है तो साक्ष्य को बिगड़ने का प्रयास किया जा सकता है, उसे ऐसी छुट्टी पैर भेजना आवश्यक होगा जो उसे बकाये हों अथवा यदि उसे छुट्टी बकाये नहीं हो तो उसे असाधारण छुट्टी पर भेजा जा सकेगा, यदि वह छुट्टी पर जाने से इनकार करे तो उसे निलंबित किया जा सकेगा।

(घ) (i) निलंबित कर्मचारी को छुट्टी वेतन और भत्ता (यदि कोई हो) जो कर्मचारी यदि छुट्टी अथवा आधे वेतन पर होगा तो प्राप्त करता के बराबर निर्वाह भत्ता दिया जा सकेगा।

(ii) यदि निलंबन बारह माह से अधिक होता तो नियुक्ति प्राधिकार निर्वाह भत्ता 50% तक घटा अथवा बढ़ा सकेगा यदि युक्त प्राधिकार पाता है कि निलंबन अवधि प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कारणों (लिखित में दर्ज कर) से बढ़ाई गई है जो यथास्थिति निलंबित कर्मचारी अथवा नियोक्ता के फलस्वरूप हुआ माना जा सकता है; और

(ii) प्रत्येक माह निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबित कर्मचारी द्वारा इस आशय, का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, वृत्ति अथवा व व्यवसाय में नहीं लगा है।

10.10 (क) किसी कर्मचारी को पदाधिकार अथवा प्राधिकार द्वारा उसपर अधिरोपित दंडादेश के विरुद्ध उससे ठीक ऊपर के पदाधिकारी अथवा प्राधिकार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

- (ख) उसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध उससे ठीक ऊपर के पदाधिकारी अथवा प्राधिकार के सक्षम द्वितीय अपील का अधिकार होगा, परन्तु ऐसे मामले में जहाँ उप धारा (क) के अधीन कुलाधिपति के समक्ष प्रथम अपील हो तो पर कुलाधिपति के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगा।
- (ग) द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी अथवा प्राधिकार अथवा प्रथम अपील पर कुलाधिपति का आदेश अंतिम होगा;
- (घ) अपील करने के 90 दिनों के अन्दर उसे निपटा देना चाहिए।

वरीयता-

10.11 कर्मचारी के सामान श्रेणी और रैंक की पारस्परिक वरीयता निम्नलिखित के अध्यधीन सम्बद्ध श्रेणी अथवा रैंक में लगातार कार्यवहन के प्रारम्भ की अपनी –अपनी तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी;

- (i) जब कतिपय कर्मचारी सक्षम प्राधिकार द्वारा एकल मेधा सूचि के आधार पर नियुक्त किये गये हो तो ऐसी मेधा सूची के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी अपनी सापेक्ष वरीयता बनाए रखेगा;
 - (ii) जब कतिपय कर्मचारी निचली श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा विशेष तिथि को नियुक्त किये गये हो तो वे अपनी सापेक्ष वरीयता बनाए रखेंगे जो निचली श्रेणी में उनकी वरीयता थी;
- यदि किसी विशेष अवसर पर प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा पदों की कतिपय संख्या को भरने का निर्णय लिया जाता है तो प्रोन्नति व्यक्ति की आग्रह सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति पर होगी;
- (iii) राज्य सरकार और अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता उनके पैतृक विभाग में उनकी वरीयता के रूप में बनी रहेगी।
 - (iv) जब विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी और विश्वविद्यालय का कोई कर्मि किसी विशिष्ट पद पर एक ही तिथि को नियुक्त किया जाता है तो विश्वविद्यालय का कर्मचारी विश्वविद्यालय के बाहर से आनेवाले अभ्यर्थी से वरीय समझा जायेगा;
 - (v) उपर्युक्त तीन वर्गों के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक वरीयता निर्धारित करने में प्रबंधन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और विसंगतियों को दूर करने के लिए ऐसा निर्णय लेगा जो आवश्यकता हो।

अग्रिम-

10.12 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वाहन (साईकिल, मोटर साईकिल /स्कूटर अथवा मोटर कार के प्रयोजन के लिए तथा आवासीय मकान के निर्माण अथवा क्रय अथवा मरम्मती के लिए तथा विवाह ऋण के लिए अग्रमी, विनियमों में विहित निबंधन एवं शर्तों पर स्वीकृत की जाएगी।

चिकित्सा सहायता-

10.13 विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में कर्मचारियों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने की सुविधा मुहैया करायी जाएगी जो विनियमों में विहित है।

अनुकम्पा अनुदान-

10.14 यदि पुर्ननियोजन व्यक्ति से भिन्न कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा दक्षतापूर्वक और निष्ठापूर्वक करता है और सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो प्रबंधन बोर्ड हरेक मामले के गुणागुन पर मृतक के बच्चे, विधवा अथवा अन्य आश्रितों को उचित अनुकम्पा अनुदान मंजूर कर सकेगा।

ग्राहणाधिकार (लियन)-

10.15 विश्वविद्यालय के स्थायी अथवा स्थायिवत कर्मचारी जिसे विश्वविद्यालय के बाहर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है विश्वविद्यालय सेवा में आपने पदों पर सामान्यतः तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ग्राहणाधिकार बनाए रखेगा। विशेष मामलों में प्रबंधन बोर्ड योग्यतानुसार तीन वर्षों से अधिक अवधि के ग्राहणाधिकार को मंजूर कर सकेगा किन्तु इसकी कुल अवधि पाँच वर्षों से अधिक की नहीं होगी। कोई कर्मचारी सेवा अवधि में केवल एक बार ग्राहणाधिकार गृह्णाधिकारी प्रावधान का उपभोग कर सकता है।

10.16 परिनियमों के प्रावधानों से अनाच्छादित सेवा शर्तों से सम्बंधित कोई विषय राज्य सरकार के तत्संबंधी नियमों के प्रावधान के अनुसार विनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में जहाँ ऐसा सरकारी नियम नहीं हो, प्रबंधन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिये।

10.17 कदाचार, अपराध आदि ऐसे सभी मामलों में जहाँ इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन इनका निपटारा नहीं किया जा सकता हो, राज्य सरकार के मौजूदा नियम लागू होंगे।

अध्याय – XI

विश्वविद्यालय कर्मियों की सेवा का अभिलेख

11.0 कर्मियों की निजी संचिका, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.), सेवा पुस्तिका और अवकाश लेखा विवरणी

11.1 प्रत्येक कर्मचारी से सम्बंधित सभी कागजात के लिए एक व्यक्तिगत संचिका होगी। उनकी नियुक्ति, जन्म तिथि, उनके पूर्ववृत्त और सेवा सत्यापन, अवकाश, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवानिवृत्ति से सम्बंधित सभी कागजात इस संचिका में विधिवत रखे जायेंगे। यदि कोई कर्मि सेवा में रहते हुए कोई शैक्षणिक योग्यता या अन्य विशिष्टता प्राप्त करता है, तो उससे सम्बंधित कागजात को संचिका में विधिवत रखा जायेगा।

11.2 प्रत्येक कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत गोपनीय संचिका या वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) रखी जाएगी। किसी कर्मचारी के आवधिक या सामयिक मूल्यांकन के दौरान दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को उसे विधिवत रूप से सूचित किया जायेगा ताकि उसे टिप्पणियों के खिलाफ, यदि कोई हो, प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सके।

11.3 विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में उसकी सेवा वृत्तांत देने वाली एक सेवा पुस्तिका भी रखी जाएगी। सेवा पुस्तिका में उनकी सेवाकाल में घटित पृविष्टियाँ दर्ज होंगी जैसे उनकी प्रत्येक नियुक्ति की तिथि और प्रकृति और विश्वविद्यालय सेवा में प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति, उसकी पुष्टि की तारीख, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार और उसके द्वारा अर्जित उद्धरण, अवकाश पर उसके जाने की तिथि और अवकाश से वापसी और ली गई अवकाश की प्रक्रिया।

11.4 विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए उसके द्वारा ली गई सभी अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) का पूरा लेखा-जोखा दर्शाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक अवकाश खाता रखी जाएगी।

अध्याय – XII

परीक्षा निकायों और परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और तरीके और कृत्य

अकादमिक परिषद् द्वारा तैयार किये जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित परीक्षक/परीक्षा निकायों के सम्बन्ध में नियुक्ति की जाएगी।

अध्याय – XIII

महाविद्यालयों/केन्द्रों/मंडलों/विभागों/क्षेत्रीय स्टेशनों/अनुसन्धान केन्द्रों/पशु/

कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रबंधन

13.1 निम्नलिखित महाविद्यालय एवं संस्थान विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई होंगे-
महाविद्यालय:

1. बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2. संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
3. मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

अन्य महाविद्यालय, संस्थान, अनुसन्धान संस्थान, स्टेशन, सब-स्टेशन और पशु/कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय की घटक इकाई होंगे, जिसका मुख्यालय पटना या कहीं और सरकार द्वारा यथा अनुमोदित के रूप में स्थापित किया जायेगा। हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए प्रबंधन बोर्ड की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है।

13.2 पशु और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसन्धान और शिक्षा प्रसार के सम्बन्ध में, महाविद्यालयों/अनुसन्धान संस्थान के क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व विनियमन में निर्धारित क्षेत्रों तक विस्तारित होंगे।

13.3 महाविद्यालय/संस्थान पशु एवं सम्बद्ध विज्ञानों के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तथा ऐसे ही अन्य अनुसन्धान एवं प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना क्षेत्र प्रसार कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पशु एवं सम्बद्ध विज्ञानों की स्थापना, विकास एवं सञ्चालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

13.4 विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अनुसन्धान और प्रायोगिक स्टेशन, पशु/कृषि विज्ञान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र या अन्य संस्थान सम्बन्धी महाविद्यालय/संस्थान/संकाय की प्रशासनिक उप-इकाइयाँ इसके पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन होंगे।

13.5 प्रत्येक महाविद्यालय की अगुवाई अधिष्ठाता करेंगे, जो महाविद्यालय और उसकी अधीनस्थ इकाइयों के शिक्षण, अनुसन्धान और प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होंगे।

13.6 प्रत्येक अनुसन्धान संस्थान/स्टेशन का अगुवाई एक निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/मुख्य वैज्ञानिक करेंगे, जो संस्थानों के साथ-साथ इकाइयों के अनुसन्धान, प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।

13.7 एक महाविद्यालय के अधिष्ठाता सम्बंधित संकाय के प्रति जिम्मेदार होंगे। सम्बंधित संकाय के अधिष्ठाता निदेशक आवासीय अनुदेशक-सह-अधिष्ठाता स्नातकोत्तर, निदेशक अनुसन्धान और निदेशक प्रसार शिक्षा, शिक्षण अनुसन्धान और प्रसार शिक्षा और

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अंतर-अनुशासनात्मक कार्यक्रमों के बारे में जैसा भी मामला हो, के साथ समन्वय करेंगे।

13.8 पशु/कृषि विज्ञान केंद्र निदेशक, प्रसार शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा और अनुसन्धान कार्यक्रमों के लिए निदेशक अनुसन्धान के प्रति उत्तरदायी होगा।

अध्याय – XIV

डिग्री, डिप्लोमा, पुरस्कार, प्रमाण-पत्र तथा दीक्षांत समारोह में डिग्री तथा पुरस्कार प्रदान करने के लिए संस्थान

14.1 विश्वविद्यालय की डिग्री

विश्वविद्यालय निम्न वर्णित डिग्रीयों का स्थापना करेगा-

- a. डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ विज्ञान/प्रौद्योगिकी
- b. डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ विज्ञान/प्रौद्योगिकी
- c. डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
- d. डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस
- e. विभिन्न विषयों से सम्बंधित डिग्री का नामकरण अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- f. जैसे ही नए संकायों/विषयों की स्थापना की जाती है, इस संकायों/विषयों में स्नातक, परास्नातक और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान की जा सकती है।

14.2 डिग्री कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण I-छात्रों को डिग्री कार्यक्रमों के लिए अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर विनियमों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप पंजीकृत किया जायेगा।

14.3 डिग्री के लिए आवश्यक पात्रता I-आकादमिक परिषद् की सिफारिश पर विनियमों में विभिन्न डिग्री के लिए आवश्यक पात्रता निर्धारित की जाएगी।

14.4 मानद उपाधि, शैक्षणिक उत्कृष्टता (डिस्टिंक्शन) और उसकी वापसी I-विश्वविद्यालय निम्न शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि प्रदान कर सकता है-

- (i) फिलॉसफी या डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि किसी व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान की जाएगी की वह प्रतिष्ठित पद और उपलब्धियों के कारण या पशु और सम्बद्ध विज्ञान शिक्षा, अनुसन्धान और विकास, ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए एक योग्य और वास्तविक व्यक्ति है।

- (ii) प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति द्वारा पूर्व अनुमोदन के अधीन, अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर मानद उपाधि और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने का प्राधिकार होगा।
- (iii) दीक्षांत समारोह में या किसी विशेष दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान की जाएगी और व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में प्रदान की जा सकती है।
- (iv) दीक्षांत समारोह में उस व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रस्तुति, जिन्हें मानद उपाधि/शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान की जानी है, कुलपति द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- (v) यदि किसी भी समय, मानद उपाधि/शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान करने के बाद, विश्वविद्यालय के संज्ञान में आता है कि मानद उपाधि/शैक्षणिक उत्कृष्टता किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया गया है जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो विश्वविद्यालय को वापस लेने का अधिकार होगा कि वह अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त वापस ले ले।

14.5 डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट-

- (i) पशु और अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में और किसानों के लिए तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा सकते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान करने वाले ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत योजनायें, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार की जाएँगी और अकादमिक परिषद् के माध्यम से कुलपति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर पशु, डेयरी और मत्स्य पालन वैज्ञानिकों और अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों के लिए अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम प्रदान किये जा सकते हैं।
- (iii) राज्य सरकार के सम्बंधित विभाग में कार्यरत स्नातकोत्तर सहित क्षेत्र के पशु चिकित्सकों,, डेयरी प्रौद्योगिकी विदों/पशुपालन और मत्स्य स्नातकों के लिए पुश्चार्य (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित किये जायेंगे। प्रत्येक संकाय के सम्बंधित अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ़ स्टडीज) पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यक्रम की अवधि अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए तैयार करेगा।

14.6 मेडल्स, सर्टिफिकेट, सम्मान एवं पुरस्कार-

- (i) एक छात्र जो डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके क्रेडिट में उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, उसे सम्मानित किया जा सकता है:
 - a. मेडल, या
 - b. सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑनर, या
 - c. पुरस्कार विनियम में प्रावधान के अनुरूप
- (ii) सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार/सर्वश्रेष्ठ शोध वैज्ञानिक पुरस्कार/सर्वश्रेष्ठ क्रमिक पुरस्कार कुलपति के अनुमोदनोपरान्त अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिवर्ष दिया जायेगा।

अध्याय – XV**डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह आयोजित करना**

15.1 विश्वविद्यालय कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि और स्थान पर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष में एक बार दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकता है। दीक्षांत समारोह की कार्यवाही इस उद्देश्य के लिए अलग से बनाये गए विनियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

15.2 कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षत करेंगे और प्राप्त करने वाले छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करेंगे। यदि कुलाधिपति अपरिहार्य कारणवश दीक्षांत समारोह की अध्यक्षत करने में असमर्थ हैं, तो वह कुलपति को दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत/नामित करने के लिए अधिकृत हैं।

अध्याय – XVI

विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकार का प्रत्यायोजन (डेलीगेशन)
विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्राधिकार जो अधिनियम और परिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं-

16.1 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्राधिकार जो अधिनियम और परिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, विनियम में निर्धारित किये जायेंगे।

16.2 अधिनियम और परिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी अपनी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी या पदाधिकारी या व्यक्ति को अपने सम्बंधित नियंत्रण के अधीन इस शर्त के अधीन सौंप सकता है कि इसके लिए समग्र जिम्मेदारी इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने वाली अधिकारी या पदाधिकारी में निहित रहेगा।

16.3 कुलपति जब कभी आवश्यक हो एक समिति का गठन कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है।

16.4 कोई भी मामला जो परिनियम में शामिल नहीं है, राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

अध्याय – XVII

इकरारनामा एवं संविदा

विविध

इकरारनामा एवं संविदा:

17.1 निम्नलिखित पदाधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंधों और इकरारनामा पर हस्ताक्षर करेंगे-

	दस्तावेज	विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी
1.	नियुक्ति, प्रशिक्षण और अन्य प्रतिनियुक्ति, अध्ययन अवकाश से सम्बन्धी इकरारनामा	नियुक्ति पदाधिकारी (बशर्त की कुलसचिव विश्वविद्यालय के लिए उन मामलों में हस्ताक्षर करेंगे जहां प्रबंधन बोर्ड या कुलपति नियुक्ति पदाधिकारी हैं)
2.	छात्रवृत्ति या फेलोशिप के सम्बन्ध में इकरारनामा	छात्र कल्याण अधिकारी
3.	विनिर्माण के सम्बन्ध में इकरारनामा	(a) वैसे सभी विनिर्माण कार्य जिसकी लागत पाँच लाख रुपये तक है, के लिए निदेशक (कार्य एवं संयंत्र)

		इकरारनामा करेंगे। पाँच लाख रुपये से अधिक लागत वाले विनिर्माण कार्य के लिए कुलपति के अनुमोदनोपरांत वे इकरारनामा पर हस्ताक्षर करेंगे। (b) वैसे सभी विनिर्माण कार्य जिसकी लागत एक लाख रुपये तक है, के लिए उप-सम्पदा पदाधिकारी इकरारनामा पर हस्ताक्षर करेंगे।
4.	अन्य इकरारनामा एवं संविदा	कुलसचिव/कुलपति द्वारा नामित पदाधिकारी

अध्याय – XVIII

प्रबंध बोर्ड एवं अन्य सांविधिक समितियों के सदस्यों का भत्ता

18.1 प्रबंधन बोर्ड और प्रबंधन बोर्ड द्वारा गठित समितियों के बैठकों के साथ-साथ विश्वविद्यालय मामलों से जुड़ी बैठकों में भाग लेने के लिए, विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य निम्नलिखित दरों पर यात्रा भत्ता के हकदार होंगे-

- गैर-सरकारी सदस्यों को विश्वविद्यालय के ग्रेड-I पदाधिकारियों के लिए प्राप्त यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा।
- प्रबंधन बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बैठक भत्ता देय होगा।

18.2 हवाई यात्रा I-गैर-सरकारी सदस्य हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकते हैं, जिसके लिए वे बिहार सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के हकदार होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
सरकार के सचिव।

CHAPTER - I

1.0 Short Title.—These Statutes, which have been framed in exercise of the power conferred under Sections 38 & 39 of Chapter- VII of Bihar Animal Sciences University Act, 2016 (Bihar Act 15 of 2016) shall be called the Bihar Animal Sciences University Statutes, 2020.

1.1 Commencement.—These statutes will come into force with effect from the date of their publication in Bihar Government Gazette.

1.2 Definitions.—In these Statutes and Regulations made there under, unless there is anything repugnant to the subject or context:

- i. **'Act'** means the "Bihar Animal Sciences University Act, 2016".
- ii. **'Clause'** means a subdivision of the Act.
- iii. **'Section'** means a section of the Act.
- iv. **'Emolument'** means pay, special pay, leave salary or subsistent grant and will include any allowances or remuneration classes as pay.
- v. **'Employees'** means whole- time employees other than part-time employees, honorary employees or those paid from contingencies.
- vi. **'Government'** means the Government of Bihar.
- vii. All other words and expressions used but not defined in the Statutes shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER -II

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY, CONSTITUTION, POWERS AND DUTIES OF THE AUTHORITIES AND OTHER BODIES OF THE UNIVERSITY

2.1 Authorities of the University.—In addition to those specified under Section-9, sub-section (1-5) of the Act, the following shall be the authorities of the University:

- (i) Finance Committee

2.2 Constitution of the Board of Management.— The Constitution of Board of Management will be as specified in Section- 10 (2), sub-clauses (i to xv) of the Act, Sub-sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 of Section- 10.

2.2.1 Powers and functions of the Board of Management.—Powers of the Board of Management will be as specified under Section 1 and 2 (i to xv) of Section- 11 of Chapter- III of the Act.

2.3 Constitution of the Academic Council.—The constitution of Academic Council shall be as provided in sub-sections 1, 2 & 3 of Section- 12 of the Act.

2.3.1 Nominations to the Academic Council.—In addition to these the Vice-Chancellor shall be empowered to nominate one Student as member of the Academic Council for a period of one year."

2.3.2 Powers and Functions of Academic Council.—In addition to the power and functions as specified in sub-sections (1), (2) and (3) of Section-13 of Chapter- III of the Act, the Academic Council shall have the following powers:

- (i) To initiate capacity building measures for improving the quality of teaching and teachers, students evaluation and students advisory services;

- (ii) to assess and examine the courses of studies and degrees of other universities and to recommend to the Board of Management for their recognition;
- (iii) to recommend from time-to-time measures for the integration of (i) inter-faculty teaching programmes and (ii) teaching, research and extension education in each faculty, for the most effective utilization of available resources;
- (iv) to recommend to the Board of Management the candidates for university certificates, diplomas, degrees and other academic distinctions;
- (v) to recommend to the Board of Management for the introduction of new degree, diploma and certificate courses;
- (vi) to make recommendation to the Board of Management for establishment of new colleges/institutes, as deemed necessary in the interest of the State;
- (vii) to propose to the Board the institution of fellowships, scholarships, stipends, medals etc. to be awarded to the students of various constituent colleges of the university;
- (viii) to frame regulations pertaining to the (i) award of scholarships, fellowships, medals and prizes, (ii) conduct of convocation, (iii) maintenance and improvement of discipline amongst the students, and (iv) the resident instructions as to the admission, academic affairs, examinations and evaluations;
- (ix) to recommend the establishment of new hostels for students and trainees;
- (x) to frame rules and regulations for management of hostels of the university;
- (xi) to make regulations for appointment of adjunct/visiting faculties and creation of Chairs;
- (xii) to recommend the quantum of various fees and charges for different programmes and purposes and revision thereof from time to time;
- (xiii) to consider and approve memorandum of understanding/ agreement with National/International educational, research, corporate and other institutions to establish linkage for inter-institutional collaboration in teaching and research;
- (xiv) to advise the Board and Vice-Chancellor on all academic matters including the control and management of libraries and extracurricular activities for overall personality development besides professional attainment of the students.
- (xv) to promote and facilitate the formation and functioning of professional societies/associations and organize their meetings, conferences and workshop, etc., for the advancement of different disciplines related to the faculties of the university.
- (xvi) to consider any other academic matter.

2.4 The Constitution, Powers and Functions of Research Council.—In addition to those specified under sub-sections (1) and (2) of Section- 14 of Chapter- III of the Act, the following may be the special invitee members:

- (i) Director/Dy. Director of regional station/institutes of the university
- (ii) Managing Director of Cooperative Milk Federation (COMFED) of Bihar
- (iii) Project Director, Bihar Livestock Development Agency, Bihar, Patna
- (iv) The quorum for the meetings will be as specified for Academic Council in the Act.

2.4.1 Powers and Functions of Research Council.—In addition to the power and functions as specified in clause (i) to (v) of sub-section (1) of Section- 15, Chapter- III of the Act the Research Council shall have the following powers and functions:

- (i) planning, evaluation/review of various ongoing research programmes of the university;
- (ii) to adopt suitable ways & means to enhance the effectiveness of the research programmes.
- (iii) Integration and coordination of inter-disciplinary and inter-institutional research programmes with state, national and international research organizations.
- (iv) Adoption of Research programmes in the new horizon impacting livestock and fish production in the changing scenario of climate change, food safety and security.

2.5 The Constitution, Powers and Functions of Extension Education Council.—In addition to those specified under section (i to viii) of sub-sections 1 and 2 of Section- 16, Chapter- III of the Act, the Council may have the following as special invitees if required:

- (a) Heads of Krishi Vigyan Kendra/Pashu Vigyan Kendra falling under the control of University
- (b) Managing Director of Cooperative Milk Federation (COMFED) of Bihar
- (c) One Managing Director from the State Cooperative Milk Unions
- (d) Director, All India Radio, Patna
- (e) Director Doordarshan Kendra, Patna
- (f) Chief Executive Officer, Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEVIKA)

2.5.1 Powers and Functions of the Extension Education Council.—In addition to those specified under section (i to vi) of sub-sections 1 of Section- 17, Chapter- III of the Act, the Council shall have the following power and functions:

- (i) To develop linkage between the university and state agricultural universities, BAMETI, Department of Animal and Fisheries Resources, Department of Environment, Forest and Climate Change of the state for co-ordination in transmission of the Research activities and findings to different stakeholders including concerned Govt. Departments.

2.6 Faculties of the University.—In addition to those faculties specified in sub-section (1) of Section-18, Chapter- III of Act, and as per provision made in sub-section (1) of Section-18 of the Act, new faculties may be added by the university subject to the approval of the Government.

2.6.1 Members of the Faculty meeting

- | | | | |
|-------|--|---|------------------|
| (i) | Senior-most Dean of the concerned faculty will be the | — | Chairperson |
| (ii) | All Deans of the concerned colleges | — | Member |
| (iii) | All Heads of the Departments of the college(s) of the concerned faculty | — | Member |
| (iv) | One Associate Professor and one Assistant Professor of each college to be nominated on rotational basis as per seniority for two years | — | Member |
| (v) | One of the Head of the Department to be nominated by the Chairperson of the faculty | — | Member Secretary |

2.6.2 The Functions of each faculty shall be as follows.—In addition to the functions as specified in clause (i) to (iv), sub-section (5) of Section- 18, Chapter- III of the Act, each faculty will perform the following functions:

- (i) to recommend to the Academic Council the details of conditions to be prescribed for admission of the students for various courses of study in the faculty of post graduate studies;
- (ii) to recommend to the Academic Council the standards for the evaluation of the progress and attainments of the students.

2.7 The Constitution, Powers and functions of Board of Studies.—The Board of Studies of each college shall be constituted and function as per sub-section (6) of Section-18, Chapter- III of the Act.

2.7.1 Constitution of Board of Studies:

- | | | | |
|-------|---|---|------------------|
| (i) | Dean of the College | — | Chairperson |
| (ii) | All Head(s) of the Departments | — | Member |
| (iii) | One Professor, One Associate Professor and One Assistant Professor of the concerned college to be nominated by the Dean | — | Member |
| (iv) | One Head/Professor nominated by the Dean | — | Member Secretary |

2.7.2 Functions of Board of Studies .—In addition to those specified in sub-section (7) of Section- 18, Chapter- III of the Act, the function of Board of Studies shall be as follows:

- (i) To propose courses of study for the various programmes of instructions offered;
- (ii) to propose curricula of the courses to be offered;
- (iii) to exercise such powers and perform such other duties as directed by the Academic Council;
- (iv) to propose the intake capacity of students in undergraduate educational programmes in the college.

2.8 Constitution and function of Board of Post-graduate Studies.—

2.8.1 Constitution of Board of Post-graduate Studies

- | | | | |
|-------|--|---|---------------------|
| (i) | Director Resident Instruction-cum-Dean
PGS | — | Chairperson |
| (ii) | Dean of the concerned College | — | Member |
| (iii) | Director Research | — | Member |
| (iv) | All Heads of the Departments of faculty | — | Member |
| (v) | One Professor, One Associate Professor
and one Asstt. Professor involved in
teaching Postgraduate courses will be
nominated for two years by the
Chairperson | — | Member |
| (vi) | One Head of the Department will be
nominated by the Chairperson as | — | Member
Secretary |

2.8.2 Functions of Board of Post-graduate Studies.—In accordance with sub-section (7) of Section- 18, Chapter- III of the Act, the function of Board of Post-graduate Studies will be as follows:

- (i) to propose the PG courses of study for the various programmes of instruction offered;
- (ii) to propose curricula of the courses to be offered;
- (iii) to propose the intake capacity of students in postgraduate educational programmes in the college;
- (iv) to exercise such powers and perform such other duties as directed by the Academic Council;
- (v) to suggest measures to improve the standards of teaching, curricular research and students assessment;
- (vi) to suggest changes in regulations regarding admissions, instructions, continuance and examination of the students.

2.9 Resident Instruction Committee:

2.9.1 Constitution of Resident Instruction Committee.—In accordance with Sub-section(1) of Section 27 and Sub-section (1, 2 & 3) of Section 28, Chapter-IV of the Act, for streamlining Resident Instruction Rules, a Committee should be constituted for Regulations on Resident Instruction for Under Graduate and Post Graduate programmes.

2.9.2 Members of Resident Instruction Committee (RIC):

- | | | | |
|-------|---|---|---------------------|
| (i) | Director Resident Instruction-cum-Dean
PGS | : | Chairman |
| (ii) | Director Students Welfare | : | Member |
| (iii) | Deans of the concerned Colleges/Faculties | : | Member |
| (iv) | Controller of Examinations | : | Member |
| (v) | Assistant Registrar (Academic) | : | Member |
| (vi) | Assistant Registrar (Examination) | : | Member |
| (vii) | Dy. Director Resident Instruction | : | Member
Secretary |

2.9.3 Functions of Resident Instruction Committee.—In addition to those mentioned in Sub-section (1) of Section 27 and Sub-section (1, 2, 3)

of Section 28, Chapter IV of the Act the functions of the Resident Instruction Committee will be as follows:

- (i) To regulate, maintain and improve the standard of teaching at all levels of Under Graduate (UG) and Post Graduate (PG) in the University.
- (ii) to prepare regulations regarding admissions, instructions, continuance and examination of the students for approval of Academic Council;
- (iii) to exercise such powers and perform such other duties as directed by the Academic Council;
- (iv) to suggest measures to improve the standards of curricular research and students assessment.

2.10 Different Departments of Each Faculty.—In accordance with sub-section (3) of Section-18, Chapter-III of the Act. the faculties will have various departments as approved by the Academic Council from time to time.

CHAPTER-III

APPOINTMENT, POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF OFFICERS OF THE UNIVERSITY

3.1 Officers of the University.—In addition to those mentioned in Sub-sections (i to xi) of Section-22 of the Act, the following shall be officers of the university as hereby declared under Sub-section (xii) of the said Section.

- (i) Director Works and Plant
- (ii) Estate Officer

3.2 Appointment, Powers and Functions of Vice-Chancellor.—

3.2.1 Appointment of Vice-Chancellor.—The appointment of the Vice-Chancellor will be as specified in Section- 23, Chapter- IV of the Act.

3.2.2 Powers and Functions of the Vice-Chancellor.—In addition to the powers and functions mentioned in Sub-section (1 to 11), Section- 25, Chapter- IV of the Act, the Vice-Chancellor shall exercise the following powers:

- (i) to fill up sanctioned posts up to the rank of Asstt. Professor and equivalent on recommendation of duly constituted selection committee;
- (ii) to fill up posts up to the rank of Professor and equivalent for a period not exceeding six months on ad-hoc basis and report the action taken in the next meeting of the Board of Management. In case extension beyond that period is necessary, the approval of the Board of Management will be obtained;
- (iii) to transfer any employee from one post to another in the interest of University, without adversely affecting their emoluments, status and service conditions;
- (iv) to sanction recurring and non-recurring expenditure within the approved budget of the University provided he may re-appropriate amount within the various units of appropriation;

- (v) to recommend to the Board to abolish such posts which are considered superfluous in the University, subject to the protection given to the individuals holding such posts;
- (vi) to constitute ad-hoc committees for students' admission, selection of staff other than teacher, conduct of inquiries of administrative nature and for such other purposes as deemed necessary;
- (vii) to make such other rules/regulations and standing instructions considered necessary from time to time for the maintenance and running of the Campuses including instructions on 'black out' and 'lock down' or other security or civil defense measures.

3.3 Powers, functions and duties of the director resident instruction-cum-dean post graduate studies.—In addition to those mentioned in Sub-section (1) of Section-27, Chapter-IV and Section-28 of Chapter-V of the Act, the following shall be Powers and Functions of the Director Resident Instruction-cum-Dean PGS.

- (i) To coordinate intercampus and interfaculty programmes for teaching and evaluation of students' progress at all undergraduate and postgraduate levels in order to raise standard of teaching and student attainment;
- (ii) to prepare regulations on resident instruction of the university for approval by the Academic Council and Board of Management;
- (iii) to implement resident instruction regulations in the University and pass such orders as might be necessary;
- (iv) to be responsible for the organization and conduct of postgraduate teaching in all the constituent colleges of the university and for that purpose shall pass such orders as may be necessary in consultation with the Deans of the Colleges.
- (v) to be responsible for the coordination of curricular research by the postgraduate students and its integration with the general research programmes of the University;
- (vi) to formulate policies pertaining to the postgraduate studies and present to the Vice-Chancellor for his consideration and further placement before the Academic Council;
- (vii) to be responsible to maintain records of the postgraduate students and supervise their progress;
- (viii) to develop linkages/memoranda of understanding between university and national/ international institutes and persons for inter-institutional postgraduate education, research and development programmes;
- (ix) to preside over the meetings of Board of Postgraduate Studies and Resident Instruction Committee, prepare agenda pertaining to undergraduate & postgraduate programmes for presentation to the Academic Council;
- (x) to perform such other duties as may be entrusted by the Vice-Chancellor.

3.4 Powers, functions and duties of director of research.—In addition to those mentioned in Sub-section (2) of Section- 27, Chapter- IV and Section- 29 of Chapter- V of the Act, the following shall be Powers and Functions of the Director Research:-

- (i) To develop and coordinate research in the University, promote interdisciplinary collaboration in research programmes, coordinate and collaborate with the Director Extension Education to disseminate the outcome of researches to the field;
- (ii) to coordinate all researches conducted within teaching departments by members of the staff;
- (iii) to be responsible for the set-up of research facility, initiation and continuance of research programmes of the University;
- (iv) to formulate intra-institutional and Inter-institutional research policies and programmes and present the same to Research Council for its consideration;
- (v) to exercise the administrative control over the research staff, research funds received and allotted to carry out research projects/schemes and all properties, physical facilities and materials assigned by the University for the pursuit of research programmes;
- (vi) to prepare the annual budget estimates of the research programmes of the university and supervise their implementation;
- (vii) to manage the research fund received from external sponsoring agencies and its disbursement to the respective project investigating unit and ensure proper utilization of fund and research attainment;
- (viii) to be principal liaison officer for dealing with research aid granting agencies such as the State Government, Central Government, or any other organization or private Institution;
- (ix) to be responsible for holding Research Council meetings, preparation and publication of the proceedings;
- (x) to be responsible for preparation of proposals for commercialization/patenting/technology release of the University procedures and products;

3.5 Powers, functions and duties of the director extension education.—In addition to those mentioned in Sub-section (3) of Section-27, Chapter-IV and Section-30 of Chapter-V of the Act, the following shall be Powers and Functions of the Director Extension Education:

- (i) To plan and execute all extension education programmes and activities in coordination with the Deans and Director of Research;
- (ii) to prepare calendar of extension activities with respect to Livestock, Poultry, Dairy and Fisheries farmers of the State;
- (iii) to be responsible to develop appropriate extension models/methodology for effective dissemination of technologies to farmers and other stakeholders;
- (iv) to develop good liaison with different Departments like Animal Husbandry, Dairy, Fishery, Agriculture etc. and other national & International agencies and organizations to implement the extension programmes and policies;

- (v) to be responsible for initiation, organization and conduct of the extension education programmes of the university and for that purpose shall pass such orders as may be necessary;
- (vi) to exercise administrative control over the extension education staff and funds allotted for the purpose and physical facilities assigned by the University to execute extension programmes;
- (vii) to prepare budget estimates for extension education and supervise its implementation;
- (viii) to be responsible to develop content in different formats such as publications and films for communication through mass media and direct distribution to stakeholders;
- (ix) to guide and supervise the working of the communication center dealing with publications, audio-visual aids, radio, press and other materials meant for successful implementation of extension education programmes;
- (x) to provide for integration of extension education with teaching and research;
- (xi) to be responsible for conducting Extension Education Council meetings and publication of proceedings.

3.6 Powers, functions and duties of the deans of the colleges.—In addition to those mentioned in Sub-clause (i) of Clause (4) of Section- 27, Chapter- IV of the Act, the following shall be Powers, Functions and Duties of the Deans of the Colleges.

- (i) To be Chief Executive and Academic Officer of the college and be responsible for its administration and academic programmes;
- (ii) to be responsible for the implementation of teaching, research and extension programs of the various departments in the college;
- (iii) to serve as a medium of communication for all official business of the college with other authorities of the University, the students and the public;
- (iv) to be responsible to provide funds and facilities for Teaching and Research activities to each department;
- (v) to be responsible for the conduct of classes both Theory and Practical in each department for timely completion of the courses;
- (vi) to take suitable steps to monitor the activity of Student's Advisory Committee with a view to have the overall report of Classroom, Hostels and Examination activities of the students;
- (vii) to be responsible for consulting the Director Students Welfare Officer and Warden/Hostel superintendent to organize the sports, cultural, debate and any other extracurricular activities in the campus for personality development of the students;
- (viii) to co-ordinate with the Director Resident Instruction, Director Research and Director Extension Education, as the case may be, about inter-disciplinary programmes with respect to teaching, research, extension education and training programmes of the College;
- (ix) to be responsible for the due observance of the statutes and other regulations relating to the college;
- (x) to formulate and present policies to the Board of Studies for its consideration on matters relating to the college;

- (xi) in such cases where more than one college are functioning in a particular faculty, the senior most Dean shall act as the Chairperson of the Faculty;
- (xii) to be responsible to the Vice-Chancellor for maintenance of discipline, academic harmony and congenial atmosphere for academic attainment of the students and accomplishment of research and extension activities in the college/faculty;
- (xiii) to award suitable punishment to the student(s) as specified in regulation for act of indiscipline, misconduct and breach of peace and harmony;
- (xiv) to be responsible for the implementation of the resident instruction in the college department/faculty and for that purpose shall pass necessary order in consultation with the heads of the concerned departments;
- (xv) to supervise the admission, registration and progress of the students and submit report to the Vice-Chancellor on the working of the college/faculty;
- (xvi) to observe closely the teaching/research/extension activity load to each teacher and regulate quantum of credit load and other work load (research and extension) assigned to the teachers for quality teaching and research;
- (xvii) to prepare and submit the budget estimate for the college and supervise utilization of the allocated budget.

3.7 Powers, functions and duties of the registrar.—In addition to those mentioned in Sub-section (i to v) of Clause-(5) of Section- 27, Chapter- IV of the Act, the following shall be Powers, Functions and Duties of the Registrar.

- (i) To be responsible for the preparation of annual report of the university for the approval of the Vice-Chancellor and Board;
- (ii) to be the officer to sue and to be sued on behalf of the university and engage lawyer(s) if necessary, with the approval of the Vice-Chancellor;
- (iii) to enter into agreement, sign documents and authenticate records on behalf of the university;
- (iv) to communicate delegation of administrative power on the approval of Vice-Chancellor;
- (v) to prepare and circulate the academic calendar of University and timely conduct of examinations of both UG and PG programmes;
- (vi) to be responsible for the admission and registration of the students to the University;
- (vii) to be responsible for maintaining a register of all Degrees/Diplomas/ Certificates conferred by the University;
- (viii) to obtain the grades of the students from the Dean(s) as per academic calendar and issue transcripts, mark sheets and degree certificates after getting approval from competent authority;
- (ix) to be responsible for maintaining all academic records including Migration of the students;
- (x) to be responsible for all matters pertaining to the establishment of the University, e.g.- recruitment, promotion, deputation and leave,

maintenance of service records, disciplinary action etc. of all the employees of the University;

- (xi) to issue office orders related to establishment and administration by taking prior approval of the Vice-Chancellor. He shall be responsible to Vice-Chancellor for all administrative matters of the University.

3.8 Powers, functions and duties of the finance comptroller.—In addition to those mentioned in Clauses (i to iv) of Sub-section (6) of Section- 27, Chapter- IV of the Act, the following shall be Powers, Functions and Duties of the Finance Comptroller.

- (i) To be the custodian of all movable and record of the University including valuable securities, title, deeds, cash and other liquid assets of the University and shall see that the assets register are maintained up to date and that the regular stock checking is conducted in all units including Headquarter;
- (ii) to communicate to the officers authorized to incur expenditure on behalf of the university, their annual and supplementary allotments from the budget allocations under respective heads of accounts;
- (iii) to bring to the notice of the Vice-Chancellor regarding financial irregularities, if any;
- (iv) to consolidate monthly, quarterly and annual accounts of the University and its units;
- (v) to be responsible for presenting the annual accounts and balance sheet of the University to the statutory auditors for examination and certification by them;
- (vi) to ensure that the budget of the University is prepared in time and submitted to the Finance Committee through the Vice-Chancellor and ensure that the financial sanctions are obtained in time;
- (vii) to prepare financial regulations of the university and get it passed through the competent authorities of the university;
- (viii) to follow the university financial regulations for receipt and expenditure of the university. Till the university financial regulations become effective, the Bihar Financial /General Financial Rules will be followed;
- (ix) to be responsible to ensure that expenditure is made as authorized and the accounts of the University are maintained properly and audited;
- (x) to see that the income and receipts due to the university are collected and that all payments are made promptly;
- (xi) to convene the meetings of Finance Committee and submit the budget estimate in advance to the Board of Management for approval;
- (xii) to act as member secretary of the Finance Committee of the University;
- (xiii) To be responsible to the Vice-Chancellor for the preparation of development plans of the University;
- (xiv) to communicate the delegation of financial power with the approval of Vice-Chancellor;
- (xv) to administrative control of the Vice-Chancellor, to regulate all finance, accounts and internal audit establishments of the university and all its campuses;
- (xvi) to perform such other duties and functions as are assigned by the Vice-Chancellor from time to time.

3.9 Powers, functions and duties of the university librarian-cum-information officer.—In addition to the powers, functions and duties as specified in Sub-section (7), Section- 27 Chapter- IV of the Act, the power and duties of the University Librarian-cum-Information Officer shall be as follow:

- (i) To maintain and manage the University library;
- (ii) to exercise overall control over the functioning of the University libraries and library personnel;
- (iii) to prepare the annual statement of operational and development requirements of all libraries of the University for incorporation in the budget estimates;
- (iv) to be responsible for upholding and upgrading of the libraries by getting requisition for books and journals etc. periodically from different units of the university;
- (v) to be responsible for receiving and accessioning all library materials;
- (vi) to be responsible for initiation of purchase and subscription of all library materials;
- (vii) to initiate and design programmes to stimulate and encourage the use of library facilities by students and staff;
- (viii) to guide and suggest the working norms in the libraries of different constituent units of the University;
- (ix) to maintain repository of all university publications including Theses, Reports, Proceedings, Newsletters, and Research Publications etc.;
- (x) to perform such other duties and function and may be assigned to him time to time by the Vice-Chancellor.

3.10 Powers, function and duties of the students welfare officer.—In addition to those as specified in Sub-section (8) Clauses (i) to (vi), Section- 27 Chapter- IV of the Act, the powers, functions and duties of the Students Welfare Officer will be as follow:

- (i) To be responsible for arrangements of lodging and boarding of the students including hostel mess and cafeteria;
- (ii) to control and supervise the placement cell and make provision for campus selection/placement of the students;
- (iii) to assign duties to the Hostel wardens and superintendents of all hostels and exercise overall administrative control over warden, superintendent, medical officer and other staff/workers deputed/engaged for hostel work;
- (iv) to communicate with the parents/guardians of the students' performance and welfare of students;
- (v) to plan and organize extra-curricular activities like sports, cultural, NCC, NSS, other physical educational programmes, motivational, personality development programmes and other allied activities of the University for holistic development of the students;
- (vi) to ensure the implementation of hostel decorum, discipline and regulations in consultation with the respective Dean and Registrar;
- (vii) to perform such other duties as may be entrusted to him by the Vice-Chancellor from time to time;
- (viii) to appoint Hostel Wardens/Superintendents in consultation with respective Deans and approval of the Vice-Chancellor.

3.11 Powers, functions and duties of law officer.—In addition to the powers and functions as specified in Sub-section (9), Section- 27 Chapter- IV of the Act, the powers and duties of the Law Officer will be as follow:

- (i) To be custodian of all the files and records pertaining to court cases and legal matters of the University;
- (ii) to prepare the statement of facts of the court cases and provide the facts and figures to the University empanelled advocates to plead the cases;
- (iii) to keep abreast the Registrar and Vice-Chancellor regarding new and pending cases before various courts;
- (iv) to be responsible to the Registrar and the Vice-Chancellor regarding Court cases and perform such other functions and duties as assigned to him by the Vice-Chancellor time to time.

3.12 Powers, functions and duties of public relation officer.—In addition to the powers and functions as specified in Sub-section (10), Section- 27 Chapter-IV of the Act, the powers and duties of the Public Relation Officer will be as follow:

- (i) To be responsible for suggesting and maintaining protocol with the officers/authorities and any dignitaries visiting University on official duty as directed by the Competent Authority;
- (ii) to keep full information on the university functioning and developments;
- (iii) to be responsible for suggestions to receive the dignitaries/delegates visiting the University and provide proper hospitality as directed by the CA;
- (iv) to liaise with different departments/offices of the State/Central Government and also non-government organizations for coordination and cooperation in the functioning of University and to keep track of University proposals with other departments;
- (v) to be responsible to the VC or other officer so designated by him in regards to the communication, university publication, audio-visual aids, radio, press release and other materials for proper dissemination of the university activities and achievements to the Government and public;
- (vi) to use a wide range of media to build and sustain a good image for the university through planned publicity campaigns and public relations activities including publicity strategies and campaigns; writing and producing presentations and press releases, dealing with enquiries from the public, the press and related organizations;
- (vii) to organize promotional events such as press conferences, open days and visits;
- (viii) to be involved in developing the content for websites and its updating regularly and social media platform;
- (ix) to perform such other functions as assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor or/and the officer designated.

3.13 Powers, functions and duties of director works & plant.—The Powers, Functions and Duties of the Director, Works and Plants shall be as follows:

- (i) To exercise control over the new construction of the buildings, roads and similar activities of the University;

- (ii) to supervise the installation and maintenance of such machinery as may be assigned to his control by the Vice-Chancellor;
- (iii) to get designs, plans and estimates etc. prepared for such projects for construction and/or alteration of University buildings and grounds as may be ordered by the Vice-Chancellor;
- (iv) any other work assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor.

3.14 Powers, functions and duties of estate officer.—The powers, functions and duties of the Estate Officer will be as follow:

- (i) To be responsible for the overall securities and In-charge of all immovable properties like buildings, trees, roads etc. and other movable and immovable structure of the university;
- (ii) to be responsible for water/electric supply, provision of drainage, and maintenance of communication in the University and its constituent units;
- (iii) to be responsible for maintenance of electricity, water supply and fire protection services of the university;
- (iv) to prepare the list of annual maintenance and repair budget of the university and periodically report the progress of work under repair;
- (v) to maintain account in relation to the construction and maintenance work completed and going on in the university campus;
- (vi) to prepare the proposals for construction and maintenance of utility services including shopping complex/cafeteria/canteen in the campus and send it to the Director Works and Plant/Vice-Chancellor for their approval;
- (vii) to update record/information of university lands and buildings of main campus as well as of all the constituent units of the University;
- (viii) to maintain university building, roads, drainage system, fencing, playground, park land (other than the research and instructional farms) and other physical facilities of the University and to provide protection against theft, fire and other dangers;
- (ix) to look into the management of transport services and keep the University vehicles functioning;
- (x) to provide the installation, use and maintenance of University equipment and to insure to proper use of rooms, houses, buildings, grounds etc.;
- (xi) to be responsible for procurement and disposal of immovable property of the university;
- (xii) to get designs, plans and estimates prepared for such purposes as addition/alteration of the University buildings and preparation of grounds;
- (xiii) to maintain the records of allotment of buildings of the University for various purposes;
- (xiv) to maintain accounts relating to the works and rentals of buildings and land in his charge in a format designed in consultation with the comptroller;
- (xv) to procure/dispose off immovable property of the University as decided by the competent authority under the Act and Statute of the University;

- (xvi) to be directly responsible to the Vice-Chancellor and perform such other duties and functions as may be assigned to him time-to-time by the Vice-Chancellor.

3.15 Appointment, powers, functions and duties of heads of college departments.—In accordance with the Chapter- III, Sub-section (3) of Section-18 of the Act,:

Each Department in the college will have a Head, who shall not be below the rank of Professor and who will be appointed by the Vice-Chancellor, on the rotation basis for a period of three years.

- (i) To be responsible to the concerned Dean for proper organization and working of Department and will be under the administrative control of the Dean concerned. However, he shall also be responsible to the Director (Research), Director (Extension Education) and DRI-cum-Dean, PGS for coordinating research, extension education and P.G. teaching programmes, of the Department, respectively;
- (ii) that if there are more than one Professor in any Department, the Head of the Department shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors provided on the rotation basis;
- (iii) in case of the Department where there is only one Professor, the Vice-Chancellor shall have option, to appoint either the Professor or an Associate Professor as the Head of the Department, after the professor has served for one term as Head;
- (iv) that in a Department where there is no Professor or Associate Professor, the Vice-Chancellor may assign the responsibility of Head of the Department to the Dean of the College or Head of any other Department or one of the Assistant Professors may be given charge of the department by the Dean concerned.
- (v) A Professor or Associate Professor appointed as Head of the Department shall hold office as such for a period of three years and shall be eligible for re-appointment.

3.15.2 Powers, functions and duties of the heads of the college department shall be as follows:

- (i) To be responsible for the conduct of teaching, research and extension activities of the Department;
- (ii) to plan, organize and monitor the progress and manage all the activities of the Department;
- (iii) to exercise sanctioning and financial powers for efficient management and carrying out the activities of the department as delegated by Financial Regulations and/or Vice-Chancellor;
- (iv) to guide, coordinate and supervise teachers and other staff in the department;
- (v) to establish linkage with teachers of the same discipline who are posted at different stations/units of the university;
- (vi) to perform any other duties that may be assigned to him by the authorities of the university in consultation with Dean concerned.

3.16 Appointment, powers, functions and duties of senior system analyst.—

- (i) To plan, establish and manage the complete IT infrastructure, IT network and solutions to meet the requirements of administration in day-to-day; governance, financial management, e-procurement, academic management, research, teaching and extension activities, campus security, dedicated email service, online library services and online education in the University;
- (ii) to ensure cyber security of network and compliance of software licensing laws as applicable;
- (iii) to provide necessary IT tools and systems for CCTV surveillance of the campus and biometric attendance of employees and students wherever required;
- (iv) to implementing solutions for internet, telecommunication and intercom connectivity of the university;
- (v) to preparing IT budget estimates and managing IT budgets, selecting and purchasing appropriate hardware and software;
- (vi) to implementing and managing security, integrity, backup and upgrades procedures of IT network, servers and software.

3.17 Appointment, powers, functions and duties of other officers and employees.—The duties and functions of officers and employees other than those referred above in sections- 3.2 – 3.16 clause (4.1) to (4.19) above shall be as may be prescribed by the Vice-Chancellor from time-to-time.

3.18 General guidelines.—

- i) Each officer and employee of the University shall be responsible for use of property, equipment, stores, vehicles etc. belonging to the University with reasonable care and he shall in his dealing with University accounts, act with prudence, promptitude, accuracy and in conformity with rules and general orders.
- ii) Besides the duties enumerated in Chapter- 3 above, such other duties as may be assigned to any officer or officers or employee or employees, individually or collectively, by the Act, Statutes, Regulations or Rules, by the Vice-Chancellor or the immediate superior officer, officers, those shall be duly carried out by the person or persons to whom such duty/duties is/are assigned.

-
- | | |
|--------------------------------|---|
| Provident Fund | — In respect of Provident Fund and Retirement Benefit , the Vice-Chancellor will be governed by rules prescribed by the State Government. |
| Leave | — The Vice-Chancellor shall be entitled to casual and other leave in accordance with the provision in Bihar Service Code, which will be sanctioned by the Hon'ble Chancellor |
| Leave encashment | — The Vice Chancellor shall be entitled to the benefit of leave encashment at the time of laying down the office. |
| Travelling Allowance | — The Vice Chancellor will get travelling allowance and daily allowance as prescribed for the officers of State Government of similar pay scale. |
| Leave Travel Concession | — The Vice Chancellor shall be entitled to Leave Travel Concession and Home Travel Concession as prescribed for the officers of State Government of similar pay scale. |
| 4.3 Medical Facilities | — The Vice Chancellor shall receive medical treatment at the University dispensaries or hospitals or reimbursement of expenditure on medical treatment elsewhere, in accordance with rules prescribed in this regard for employees of the State Government. |
| Sumptuary Allowance | — Sumptuary allowance of Rs. 2,000/- (Two thousand) per month or as per revision time to time shall be admissible |

4.4 ***Vice-Chancellor on deputation from Govt. Service or other organizations.—***

The emoluments, terms and other conditions in the case of Vice-Chancellor, who happens to be a permanent employee of Government or autonomous organization on deputation with the University, shall be regulated in accordance with the terms and conditions of the deputation.

CHAPTER - V

CAREER ADVANCEMENT SCHEME FOR PROMOTION OF TEACHERS

5.1 Career Advancement Scheme shall be applicable in the university for promotion of Teachers in different grades as per provisions laid down by UGC/ICAR and approved by the State Govt. from time to time.

5.2 *Regulations of Career Advancement Scheme, 2006.—*

- (i) This Career Advancement Scheme is for Teachers, Scientists, Extension Specialists and equivalents, and shall be called CAS of 2006 for Teachers of BASU, Patna.
- (ii) The new CAS shall come into effect from 01/01/2009 with PBAS based API scoring
- (iii) The scheme shall apply to the Teachers, Scientists, Extension Specialists and equivalents working in the jurisdiction of Bihar Animal Sciences University, Patna, Bihar.
- (iv) The Academic Performance Indicator (API) cut off score points required for placements in next AGP shall be 75 marks out of 100 marks at each stage of evaluation.
- (v) The promotion under CAS shall be made once in a year preferably in December. The process of screening and selection shall be completed by the university within six months from the last date of the application.

5.3 *Procedure for implementation of CAS of 2006.—*

- (i) The university shall invite the application from the teacher/Scientist who wishes to be considered for placement under CAS and teacher shall have to submit the application in prescribed proforma on or before the last date duly forwarded by the concerned controlling officer only after fulfilling all the qualifications and requirements under CAS and submit to the University, the PBAS based work done report, duly supported by all credentials. The university shall immediately initiate the process of screening/selection, and shall complete the process within six months from the date of application. Further, the candidate who fulfils all other criteria mentioned in these Regulations, as on the date of notification of these Regulations shall be considered for placement from the date, on or after that, on which they fulfill these eligibility conditions as mentioned above and accordingly financial benefit will be given from the date of eligibility.
- (ii) A teacher shall have earned annual increments regularly during the assessment period for CAS placements. These placements being a personal placement to the incumbent teacher, scientist or equivalent holding a substantive sanctioned post, on superannuation of the individual incumbent or the incumbent relinquish the post for any other reasons, the vacated post shall revert back to its original cadre.
- (iii) The in-charge/Controlling officer/HOD will verify the information of the applicant by giving a certificate at the end of the application.

- (iv) If a teacher, scientist or equivalent does not succeed in the first assessment, but succeeds in the eventual assessment, his/her placement shall be deemed to be from the later on which date s/he becomes eligible for placement in higher grade.
- (v) The teachers, scientists or equivalent must be on roll and in active service of the university on the date of eligibility for placement and should submit his/her application on or before the last date of eligibility. In case of employees who have completed the eligibility condition before notification of this scheme (but on or after 31-12-2008), shall be entitled for promotion to the next cadre from the due date of eligibility irrespective of their date of application.
- (vi) CAS placements from a lower grade pay to a higher grade pay of Assistant Professor cum Junior Scientist/Junior Scientist cum Assistant Professor/ equivalent shall be conducted by a "Screening cum Evaluation Committee" adhering to the PBAS system.
- (vii) The "Screening-cum-Evaluation Committee" for CAS shall consist of:
 - (a) One of the Deans / Directors of the University as a Chairman to be nominated by the Vice-Chancellor
 - (b) Director/Dean concerned as a member to be nominated by the Vice-Chancellor
 - (c) One of the Professors as a member to be nominated by the Vice-Chancellor
 - (d) The concerned Head of the Division/Unit as a member
 - (e) Assistant Registrar /Dy. Registrar as a member secretary

The quorum for the committee meeting shall be three including Chairman.

- (viii) The teachers seeking placement from Assistant Professor-cum-Junior Scientist to Associate Professor-cum-Senior Scientist and equivalent (AGP Rs. 9000/-) Associate Professor –cum-Senior Scientist and equivalent to University Professor-cum-Chief Scientist and equivalents (AGP Rs. 10,000/-) moving to higher pay band shall be called for interview before the selection committee after it is cleared by the "Screening-cum-Evaluation Committee".
- (ix) The Selection committee for promotion under CAS to the post of Associate Professor–cum-Senior Scientist and University Professor-cum-Chief Scientist shall be the same as that for direct recruitment. One representative of State Govt. will also be included in the committee as per provision contained in item 2(vii) of the Sankalp no. 2976 dated 05.10.2002 issued from the Department of Agriculture, Govt. of Bihar.
- (x) The teacher or equivalent eligible for promotion/placement to higher grade and/or Grade pay before 31.12.2008 will be governed by per-revised provisions of Career advancement scheme.
- (xi) In case of a deferred placement at each stage of evaluation for those teachers/scientists who fall short of the cut-off marks by not more than 2 marks, the Scientist will be required to submit fresh assessment application and will stand promoted to the next Grade Pay after one year subject to securing of minimum cut-off marks (75 marks).

- (xii) However, those teachers/scientist whose score falls short by more than 2 marks will have to submit their assessment for evaluation after two years from the date of their evaluation.

5.4 Promotion procedures for Teachers, Scientists and equivalents under Career Advancement Scheme-CAS of 2006

5.4.1 An Assistant Professor or equivalent shall be eligible for placement in the higher Academic Grade Pay (AGP) of Rs. 7000/- in PB-3 RS. 15,600-39,100 if:

i) An Assistant Professor or equivalent has completed 04 years' service and possesses Ph. D degree in the relevant discipline.

(OR)

ii) An Assistant Professor or equivalent possessing M.Tech (Dairy Sc.)/M.V.Sc/M.F.Sc. degree shall be eligible for AGP of Rs. 7000 after completion of five years services.

(OR)

iii) An Assistant Professor or equivalent possessing M.Phil who does not have Ph.D. degree shall be eligible for AGP of Rs. 7000 after completion of six years service.

5.4.2 He/she has participated in one training of 21 days duration or 02 orientation/refresher training courses/summer/winter schools or any other teaching/extension/research courses/learning methodology/evaluation technology programme etc, of at least 10 days duration before the date of notification of this guideline for implementing CAS.

5.4.3 He/she has earned a minimum Academic Performance Indicator (API) score (75 point) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) as prescribed by the University.

5.5 Explanation.—

5.5.1 All Assistant Professors or equivalent who have completed 04 years/05 years/06 years of service in of PB-3 (Rs. 15,600-39,100+AGP Rs. 6000) on or after 31-12-2008 as explained above will be placed in the scale of PB-3 Rs. 15,600-39,100+AGP Rs. 7000/-, through a process of screening and evaluation of applications so received by the office of Registrar and after verification in his office placed before the Screening Committee to determine eligibility for higher AGP and promotion to next higher rank under CAS scheme.

Recommendation of the Committee would be sent to Vice- Chancellor and orders will be issued after approval.

5.5.2 An Assistant Professor or equivalent shall be eligible for placement in the higher Academic Grade Pay (AGP) of Rs. 8000/- in PB-3 of Rs. 15,600-39,100 if :

(i) An Assistant Professor or equivalent has completed 5 years of service in AGP of Rs. 7000/-.

(ii) He/she has participated in one training of 21 days duration of refresher training courses/summer/winter schools or any other teaching/ extension/research courses/ learning methodology/evaluation technology programme etc. before the date of notification of this guideline for implementing CAS.

- (iii) He/she has earned a minimum Academic Performance Indicator (API) scores (75) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) as prescribed by the University.

Explanation.—All Assistant Professors or equivalent who have completed 05 years service in PB-3 (Rs. 15600- 39,100+AGP Rs. 7000/-) on or after 31-12-2008 as explained above, will be placed in the scale of PB-3 Rs. 15,600 - 39,100+AGP Rs. 8000/- through a process of screening and evaluation of applications so received by the office of Registrar and after verification placed before the screening committee to determine eligibility for higher AGP and promotion to the next higher ranks under CAS scheme.

Recommendation of the committee would be sent to the Vice-Chancellor and orders will be issued after approval.

5.5.3 An Assistant Professor or equivalent will be promoted as Assoc. Professor or equivalent in the PB-4 of Rs. 37400-67000+AGP of Rs. 9000/- and will be designated as Associate Professor or equivalent if :

- (i) An Assistant Professor or equivalent has completed 03 years of service in the AGP of Rs. 8000/- and possessing a Ph.D. degree in the relevant discipline shall be eligible to move PB-4 of Rs. 37,400 – 67,000 + AGP of Rs. 9000/-.
- (ii) A non Ph.D. Scientists/Teachers on completion of 3 years of service in AGP of Rs. 8000/- shall be eligible to move to the pay band of Rs. 37,400-67,000 + AGP of Rs. 9000/- and shall continue to be designated as Assistant Professor/Junior Scientist. On acquiring Ph.D. degree, the Assistant Professor-cum-Junior Scientist shall be designated as Associate Professor-cum-Senior Scientist on or after 01.01.2009 shall be Governed by these guidelines.
- (iii) He or she has earned a minimum Academic Performance Indicator (API) Score (75 marks) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) as prescribed by the University and recommended by the selection committee.

Explanation.—Assistant Professor or equivalent having completed 03 years of service in PB-3 (Rs. 15600-39,100+AGP of Rs. 8000/-) on or after 31-12-2008 as detailed above will be placed in the scale of PB-4 of Rs. 37400-67000+AGP of Rs. 9000/- through a process of screening and selection. He or she will be eligible for promotion to Associate Professor or equivalent in 12 years, if possessing Ph.D. degree; in 13 years, if not possessing Ph.D. degree; and in 14 years, having M.Phil but not possessing Ph.D.

Recommendation of the selection committee would be sent to the Board of Management for approval and orders be issued after approval of the BOM. All those Associate Professors/Senior Scientist and equivalent who were holding the revised scale of Rs. 12000-18300 and had completed three years of service as on 01.01.2006 and who had completed three years before the effective date of the revised CAS i.e. 01.01.2009 shall be automatically placed in AGP of Rs 9000/- without any formal assessment. This is an in-built recommendation of the ICAR/UGC pay package while revising the scales. However, this time bound dispensation flowing out of the recommendations of the pay commission should not be misconstrued with the CAS made effective from 01.01.2009. Therefore all Associate Professor/Senior Scientist and equivalents appointed on or after 01.01.2009 shall be granted the AGP of Rs. 9000/- after Assessment by due process as per the provisions of the CAS made effective from 01.01.2009.

5.5.4 Associate Professor-cum-Senior Scientist or equivalent will be promoted as University Professor-cum- Chief Scientist or equivalent in the PB- 4 of Rs. 37400-67000+AGP of Rs. 10000/- if:

- (i) An Associate Professor or equivalent having completed 03 years of service in the AGP of Rs. 9000/- and possessing Ph.D. degree in the relevant discipline shall be eligible to be designated as professor or equivalent, through a process of screening and selection committee, in the scale or Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 10,000/-.
- (ii) He/she has earned a minimum Academic Performance Indicator (API) score (75 marks) based on Performance Based Appraisal System (PBAS) as prescribed by the University.

Recommendation of the selection committee would be sent to the Board of Management for approval and orders will be issued after approval of the BOM.

5.6 Counting of Past service.—Previous service, without any break as an Assistant Professor/Junior Scientist or equivalent in a University, State Agricultural University, scientific organization e.g. CSIR, ICAR, and as a UGC Research Scientist, should be counted for placement of Assistant Professor/Junior Scientist in Senior Scale/Selection Grade provided that:

- i. The post was in an equivalent grade/scale of pay as the post of an Assistant Professor/ Junior Scientist;
- ii. The candidates for direct recruitment had applied through proper channel;
- iii. The qualifications for the post were not lower than the qualifications prescribed by the UGC/ICAR for the post of Assistant Professor/Junior Scientist;
- iv. The concerned Assistant Professor/Junior Scientist possessed the minimum qualifications prescribed by the UGC/ICAR for appointment as Assistant. Professor/Junior Scientist;
- v. The post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the University/State Government/Central Government/Institution's regulation; and
- vi. The appointment was not ad-hoc or against a leave vacancy of less than one year duration. Ad-hoc service of more than one year duration can be counted provided that:
 - (a) the ad-hoc service was of more than one year duration;
 - (b) the incumbent was appointed on the recommendation of dulyconstituted selection committee; and
 - (c) the incumbent was selected to the permanent post in continuationto the ad-hoc service, without any break.

5.7 General conditions.—

- (i) The incumbent on the post of Assistant Professor/Junior Scientist promoted as Assistant Professor/Junior Scientist (Sr. Scale/ Selection Grade)/Associate Professor/Senior Scientist (Promotion) and Associate Professor/Senior Scientist promoted as University Professor/Chief Scientist (Promotion) shall be deemed to be upgraded with effect from the date of such promotion and shall remain upgraded till the incumbent continues to hold the post, but

the same shall be reverted to the post of Assistant Professor/Junior Scientist, Associate Professor/Sr. Scientist as the case may be in the event of incumbent's appointment to a higher post or when the post falls vacant due to his/her retirement, resignation, death or otherwise. Nothing in these Statutes shall construed to have created any vacancy on the post of Assistant Professor/Junior Scientist and / or Associate Professor/Sr. Scientist which have been upgraded as that of Assistant Professor/Junior Scientist (Sr. Scale/Selection Grade)/Associate Professor/Senior Scientist (Promotion)/ University Professor/Chief Scientist (Promotion).

- (ii) The upgraded post shall be deemed to be a substantive post till the promote holds it, but any temporary vacancy on the post, on account of holding any other post on temporary basis, shall be that of Assistant Professor/Junior Scientist and or Associate Professor/Sr. Scientist.
- (iii) An Assistant Professor/Junior Scientist promoted as Assistant Professor/Junior Scientist (Sr. Scale/Selection Grade)/ Associate Professor /Senior Scientist (Promotion) / University Professor/Chief Scientist (Promotion) as the case may be, shall from the date of such promotion, draw his pay in the upgraded scale which shall be equal to the amount of his pay in the lower grade but if his/her pay in the lower grade of scale does not fit in the higher scale, his/her pay in the higher grade shall be fixed at the stage next above the amount of his/her pay in the lower scale.
- (iv) The seniority of Teachers/Scientists promoted under these Statutes shall be determined from the date of promotion, but the inter-se-seniority of teachers/scientists promoted on the same date shall be the same as they had in their lower cadre posts.
- (v) In case promotion of an incumbent is not recommended by the University Selection Committee for whatever the reasons may be, may again be considered for promotion after a period of one year has lapsed since his name was last considered. The promotion in such a case shall take effect from the date of the recommendation of the University's Selection Committee.
- (vi) The University Selection Committee shall consider the cases of promotion at least twice in a year preferably in the month of June and December every year.

CHAPTER-VI CLASSIFICATION, QUALIFICATION AND MANNER OF APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER NON-TEACHING STAFF

6.1 *Classification of teachers.*—“Teacher” as defined in Sub-section 30 of Section- 2 of Chapter-VI of the Act which means and include the following:

- (i) Deans
- (ii) Director Resident Instruction-cum-Dean PGS
- (iii) Director Research
- (iv) Director Extension Education
- (v) Students Welfare Officer
- (vi) Registrar
- (vii) University Librarian /Associate/Assistant Librarian
- (viii) Directors of Regional Stations
- (ix) Professor/University Professor-cum-Chief Scientist
- (x) Associate Professor/Associate Professor-cum-Senior Scientist
- (xi) Assistant Professor/Assistant Professor-cum-Junior Scientist
- (xii) Deputy Director Resident Instruction/Research/ Extension Education
- (xiii) Any other person engaged in the work of teaching, research and extension education and is declared as a teacher from time to time for specific purpose by the University.

6.2 *Classification of non-teaching staff.*—All other employees (not mentioned under clause (i) to (xiii), Section- 6.1 Chapter- 6 of the Statute) of the University shall be classified and known by one common designation of non-teaching employees.

6.3 *Appointment to university posts and certain essential procedures to be observed.*

6.3.1 *Technical/Non-technical posts to be filled by direct recruitment and promotion:*

- (i) The direct recruitment to the post of Registrar, Deputy Registrar, Asstt. Registrar, Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director Research, Director Resident Instruction-cum-Dean PGS, Director Extension Education, Deputy Director Resident Instruction, Deputy Director (Training Information), Deputy Director Research, Director Students Welfare, Deans, Director Works & Plant, Comptroller, Deputy Comptroller, Assistant Comptroller, University Librarian-cum-Information Officer, Dy. Librarian, Assistant Librarian, Medical Officer, Public Relations Officer, Law Officer, Estate Officer, Senior Instrumentation Officer, Senior System Analyst and Posts belonging to other Teaching and Non-teaching cadres in the University and constituent Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as provided in Chapter-VII of the Statutes.
- (ii) Appointment on the post of Assistant Professor in any constituent unit of the university shall be only through direct recruitment.

6.3.2 Posts to be filled by deputation/promotion or direct recruitment:

6.3.2.1 Post of the Comptroller shall be filled up by direct recruitment or by obtaining the services of suitable officers on deputation from the State or Central Government Organizations or Universities. The posts of Deputy and Assistant Comptrollers, Deputy and Assistant Registrars (Academic, Examination, Administration and Recruitment) and posts of equivalent rank as per sanctioned strength of posts may be filled up either by direct recruitment or by promotion of officers from lower rank within the University or transfer from equivalent rank, provided that:

- (i) 50 percent of the vacancies may be filled up by promotion from lower rank and 50 percent by direct recruitment.
- (ii) The recommended percentage of vacancy should be filled up by promotion only when suitable qualified candidates are recommended on merit-cum-seniority basis by the Evaluation Committee.

6.3.2.2 The procedure for appointment to non-technical posts will be as decided by the Board of Management.

6.3.3 Certain posts to be filled by negotiation.—In rare case, where suitable candidates are not available through normal process of recruitment, the Vice-Chancellor may identify and negotiate with suitable person(s) to be appointed in consultation with the Committee constituted for the purpose and approval of Board of Management. Such negotiations are also permissible if the University desires the services of a very eminent person for improving a certain Department or establishing a certain school of research/college.

6.3.4 Ad-hoc arrangements against pending regular appointment:

- (i) In case of pending regular appointment, the Appointing Authority may make interim arrangements for carrying out urgent work but such an ad-hoc arrangement will not entitle the holder of the post for a regular appointment. Such an appointment shall not exceed a period of six months unless extension to the period has been approved by the Board of Management. If his/her performance is not found satisfactory, the Vice-Chancellor may terminate the person appointed on ad-hoc basis any level without any notice.
- (ii) The university may recruit retired Govt. Servants for appointment to a post on contract basis as per provisions laid down by the State Govt. from time to time.

6.4 Medical examination.—Each appointee on his/her first appointment to a post shall produce a medical certificate of fitness by a Medical Board constituted by the University/State Government.

6.5 Probation.—

- (i) Except otherwise provided in the Act or Statutes or in the case of an appointment on fixed tenure or contract or deputation which will be governed by the terms of that contract or deputation, all employees of the University shall, on appointment against a substantive vacancy, be placed on probation for a period of two years counting from the date of joining.

Provided that the period during which a person has held officiating or temporary appointment in a post under the University may, subject to a maximum period of two years, be allowed by the appointing authority to count towards the period of probation prescribed by the Statutes. If an Officer's temporary service exceeds two years, the date of confirmation shall not be a date earlier than the date of his permanent absorption.

- (ii) Provided further that in the case of posts, such as of Office Assistant, Stenographer, Typist, etc. to which normal recruitment is made on the result of a test, only that part of the temporary service would be set off against the probationary period, which is subsequent to the incumbent's passing the test.
- (iii) If during the period of probation, the work and conduct of an employee is, in the opinion of the appointing authority, not satisfactory or if he is found to be otherwise unfit for permanent appointment to the post, the University may dispense with the services of such an employee by terminating his service if directly recruited to the University service, or revert him to his former post, if any, or extend the period of his probation provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.
- (iv) The discharge of a person appointed on probation or his reversion to a former post, if any, held by him, in the above circumstances, does not amount to a penalty and before passing such an order it will not be necessary to follow the procedure prescribed for disciplinary cases in the relevant statutes.
- (v) Subject to the above provisions and on passing such tests and examinations as may be prescribed under Statute, an employee on satisfactory completion of the period of his probation may be confirmed provided the appointing authority considers him fit for confirmation and until a specific order is passed to the said effect, or to terminate his services, the employee shall be deemed to be on probation.

6.6 Reservation in recruitment.—

- (i) The rules and orders for reservation laid down by the State Government from time to time will be applicable for recruitment to various teaching and non-teaching posts.
- (ii) Reservation of teaching posts to the extent prescribed for each category shall be made Faculty-wise and non-teaching posts shall be made Institution-wise by taking into account the total number of vacant posts in the Faculty/Institution/Department.

6.7 Validity of Selection Panel.—The panel of selected candidates for appointment in different posts shall remain valid for a period of one year from the date of approval of the panel.

6.8 Maximum age limit for recruitment.—The rules and orders for maximum age limit for recruitment upto the level of Assistant Professor or equivalent as laid down by the State Government from time to time will be applicable. There will be no age limit for appointment on Technical posts such as Deans/Directors/Registrar/Professor/Associate Professor or equivalent in the University. Further, there will be no age-restriction for employees of the University seeking higher posts under direct recruitment. The upper age limit for recruitment shall be as per State Govt. rules.

6.9 Scale of pay of employees.—The scale of pay of employees of the University other than the Vice-Chancellor shall be as prescribed by the Board of Management with approval of the State Government and /or specific funding agencies involved.

6.10 Increment.—

- (i) An increment shall ordinarily be allowed on the due date, as a matter of course, unless withheld for unsatisfactory work or misconduct by specific order of the appointing authority recorded before the date on which the increment is due. Services during the period of deputation to a lower scale of pay will not count towards increment.
- (ii) Extra-ordinary leave taken for higher studies or on medical ground should count for increment as admissible under the rules of the State Govt.

6.11 Allowances.—All allowances prevailing in State Government shall be allowed to all employees in accordance with the general rules and orders of the State Government regulating these allowances.

6.12 Voluntary retirement.—The case of voluntary retirement, if any, shall be considered in accordance with the rules enforced in Bihar Govt. as consented by the Appointing Authority.

6.13 L.T.C.—The LTC facility will be given to the employees of the University as per terms and conditions prescribed by the State Govt.

6.14 Home Loan.—The home loan facility may also be extended to the University employees on the terms and conditions prescribed by the state Govt.

6.15 Other Financial benefit .—Any financial benefit other than the scale of pay not mentioned in the statute above and granted by the State Government to its employees from time to time will also be applicable to the university employees.

CHAPTER –VII

QUALIFICATIONS COMPOSITION OF SELECTION COMMITTEE, APPOINTING AUTHORITY ETC FOR RECRUITMENT TO TECHNICAL, NON-TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE POSTS OF THE UNIVERSITY

7.1 The qualification for appointment to technical, non-technical and administrative posts of the University, the composition of selection committee and the Appointing Authorities shall be as given in the following tables. Five members including two outside subject experts shall constitute quorum for the meeting of the selection committee.

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
1	Registrar	1. A Master's degree with at least 55% of marks or its equivalent grade of "B" in the UGC seven-point scale in any discipline from recognized University/ Institute. 2. At least 15 years of experience as Assistant Professor in the AGP of Rs. 7,000 and above or with 8 years of service in the AGP of Rs. 9,000 and above including as Associate Professor alongwith experience in educational administration. Or Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education Or 15 years of administrative experience of which 8 years should be as Deputy Registrar or an equivalent post, in pay scale of Deputy Registrar with AGP of Rs. 7,600. Desirable: i. Ph.D. in any subject from a recognized University/Institute. ii. Experience of administrative practices, human resources management, statutory functions and academic activities of Universities/R & D institutions. iii. Experience of handling legal matters.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician from outside the university not below the rank of Dean/Director nominated by the Chancellor— Member (c) Three Experts in the field of Academics/Educational Administration having experience of handling National Educational Institution/Research Institute or University, to be nominated by the Vice-Chancellor- Members (d) One of the Deans/Directors to be nominated by the V.C.- Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) –Member (f) One SC/ST representative-Member nominated by the VC – Member	Vice-Chancellor with the approval of the Board of Management

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
2	Deputy Registrar	1. Master's Degree in any field / MBA from a recognized University/ Institution with at least 55% of the marks or its equivalent. 2. At least eight years of experience in educational administration in a recognized College/ Deemed University out of which five years of experience as an Assistant Professor or an equivalent post. or Comparable experience in research establishment and / or other institutions of higher education. Or Five years of administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post. Desirable: Good knowledge of Computer and Information Technology	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor-Member (c) Three experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Dean to be nominated by the V.C. - Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) One SC/ST representative nominated by the V.C. - Member	Vice-Chancellor. with the approval of the Board of Management
3	Assistant Registrar	i) Master's degree with at least 55% of the marks or its equivalent from recognized University. ii) Five Years' experience out of which two years in Government /Semi-Government/Public Sector as Section Officer/ Assistant/Administrative Officer or equivalent post. iii) Good Knowledge of computer application.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An academician nominated by the Chancellor-Member (c) Three experts nominated by the Vice-Chancellor-Members (d) One of the Deans to be nominated by the V.C. - Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) One SC/ST Representative nominated by the V.C.-Member	Vice-Chancellor
4	Comptroller	a) Master degree with at-least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale in any discipline from a recognised University/Institute. b) At least 15 year experience as	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor-	V.C. with the approval of the Board of Management

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		Assistant Professor or equivalent in the AGP of Rs. 7,000/- and above or with eight years of service in the AGP of Rs. 8,000/- and above including as Associate Professor or equivalent along with experience in Educational Administration. Or, Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education along with experience in educational administration. Or, At least 15 years of administrative experience of which 8 years as Deputy Comptroller/Deputy Registrar (AGP of 7,600/-) or an equivalent post along with experience in educational finance administration. Desirable (i) Well versed in the financial/ accounting system. (ii) Experience in computer system finance/accounts related software handling for information processing and retrieval. (iii) Officers working in organised Accounts Services of Govt. of India (Preferably from Indian Audit & Accounts Service) with similar status will be given preference.	Members (d) One of the Deans/Directors to be nominated by the V.C.-Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member Registrar-Member (g) One representative from SC/ST - Member	
5	Deputy Comptroller	a) Master Degree in Commerce/ MBA/ Economics / Argil. Economics/ Finance Management with 55% marks or its equivalent grade. Or Persons having qualification of Chartered Accountant/Cost and Works Accountants with Graduate Degree from recognized University/Deemed University could also be	(a) Vice-Chancellor-Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members. (d) One of the Deans nominated by the Vice-Chancellor-Member (e) A representative of State	V.C. with the approval of the Board of Management

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		considered. b) At least five years of experience as Assistant Comptroller in account administration from a recognized University/ Deemed University/Research Establishment. Desirable: Good knowledge of Computer and Information Technology.	Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) One SC/ST representative nominated by the V.C. - Member	
6	Assistant Comptroller	i) M. Com/MBA from a recognized University with at least 55% marks Or ii) Bachelor with 55% along with CA / ICWA. iii) Five Years' experience out of which two years in Government /Semi-Government/Public Sector as Accounting Assistant or equivalent post. iv) Good Knowledge of computer application.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members . (d) One of the Deans/Directors nominated by the Vice-Chancellor- Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) One SC/ST representative nominated by the V.C. - Member	Vice-Chancellor
7	Director of Resident Instruction-cum Dean Post Graduate Studies	Essential i) Doctorate in any branch of Veterinary/Animal Science/ Dairy Science/Dairy Technology / Fisheries/Allied branches. ii) Master Degree in Veterinary / Animal Science/ Dairy Science/Dairy Technology / Fisheries / Allied branches from recognized University. iii) 10 Years' experience of teaching and / or research of which five years should have been in a position of Univ. Professor or equivalent. Desirable: (i) Evidence of leadership and outstanding achievements in teaching and organizing teaching activities. (ii) Experience in managing in Animal Science/ Dairy Science/Dairy Technology / Fisheries College preferably offering Undergraduate and Post Graduate education.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans or Directors nominated by the Vice-Chancellor- Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) A representative of SC/ST nominated by the V.C.- Member	V.C. with the approval of the Board of Management

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
8	Dean	Essential (i) Doctorate in any branch of respective Faculty of Veterinary or Animal Husbandry/Dairy Technology/Dairy Science/Fisheries and allied branches. (ii) Ten years experience of teaching and/or research of which five years should have been in a position of responsibility or University Professor or equivalent. Desirable i) Evidence of leadership and outstanding achievements in teaching and organizing teaching. ii) Experience in managing an Animal Husbandry/ Dairy Technology/Dairying/Fisheries institute preferably offering both under-graduate and Post-graduate education.	(a) Vice-Chancellor-Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans/Directors nominated by the Vice-Chancellor-Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) A representative of SC/ST to be Nominated by the V.C.-Member	V.C. with the approval of the Board of Management
9	Director Research	Essential i) Doctorate in any branch of Veterinary or Animal Husbandry/Dairy Science/ Technology / Fisheries. ii) Master Degree in Veterinary / Animal Science/Fisheries/Dairy Science from recognized University. iii) 10 years' experience of teaching and/or research of which five years should have been in a position of responsibility or as the University Professor or equivalent. Desirable i) Evidence of leadership, outstanding achievement in research and organizing research. ii) Administrative experience as Chief Scientist/University Professor or any Research Organization/Chairman of P.G. Department shall be preferred.	(a) Vice-Chancellor-Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans/Directors nominated by the Vice-Chancellor-Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) A representative of SC/ST to be nominated by the V.C.-Member	V.C. with the approval of the Board of Management.

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
10	Director Extension Education	Essential: i) Doctorate in any branch of Veterinary or Animal Science/ Dairy Science/Dairy Technology / Fisheries / Allied branches ii) Master Degree in Veterinary / Animal Science/Dairy Science/Dairy Technology / Fisheries / Allied branches from recognized University. iii) 10 Years' experience of teaching /research or field extension Veterinary/Animal Science/Dairy Science/Dairy Technology/ Fisheries of which five years should have been in a position of ADE or Univ. professor/Chief Scientist in the concerned discipline. Desirable: Evidence of leadership and outstanding achievements in extension and organizing extension activities.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans or Directors nominated by the Vice-Chancellor-Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) A representative of SC/ST to be nominated by the VC -Member	V.C. with the approval of the Board of Management
11	Deputy Director Research/ Deputy Director (Training Information)/ Deputy Director Resident Instruction	Essential i) Master's Degree in any discipline of Veterinary and Animal Sciences/Fisheries/Dairy Sciences/Allied Sciences from recognized University with at least 55% marks or its equivalent. ii) Ph.D. in any discipline of Veterinary and Animal Sciences / Fisheries / Dairy Sciences. iii) At least eight years of experience in teaching/or research work as evidenced by published work in standard research journal of which at least five years' experience in the rank of Assistant Professor/Junior Scientist having research as a major component attached with the post. iv) Evidence of leadership, outstanding achievement in research and organizing research/Teaching/Extension Education as evidenced by published paper in journal of	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor- Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans/ or Directors nominated by the Vice- Chancellor-Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) A representative of SC/ST to be nominated by the V.C.- Member	V.C. with the approval of the Board of Management.

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		repute. Desirable: Good knowledge of Computer and Information Technology		
12	Director Works & Plant	1. A Bachelor's degree in Engineering Technology with at least 55% of the marks or its equivalent grade. 2. At least 06 years of experience in Civil Construction work as Executive Engineer or higher position in State/Central Government /Public Sector/ University/Higher Education Institute.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor - Member (c) Three experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans/Directors to be nominated by the V.C.- Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) One SC/ST representative nominated by the VC - Member	V.C. with the approval of the Board of Management
13	Director Students Welfare	Essential: i) Doctorate in any branch of Veterinary or Animal Husbandry / Dairy Science / Technology / Fisheries. ii) Master Degree in Veterinary / Animal Science / Fisheries / Dairy Science from recognized University. iii) 10 years' experience of teaching and / or research of which five years should have been in a position of equivalent to University Professor. Desirable: Adequate experience of organizing of sports, games, dramas, Hostel Management and Student's Welfare Activities.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor - Member (c) Three Experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) One of the Deans or Directors nominated by the Vice-Chancellor- Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) - Member (f) A representative of SC/ST to be nominated by the VC- Member	V.C. with the approval of the Board of Management
14	Professor/ University Professor-cum-Chief Scientist	Essential i) Doctoral degree in the relevant subject including relevant basic sciences. ii) 10 Years' experience in the relevant subject out of which at least 8 Years should be as Assistant Professor-cum-Junior Scientist / Scientist / Lecturer / Extension Specialist or in/an	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor - Member (c) Three experts nominated by the Vice-Chancellor - Members (d) Dean of the Faculty- Member	V.C. with the approval of the Board of Management.

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		equivalent position in the Pay Band - 3 of Rs. 15600-39100 with GP/AGP/RGP of Rs. 5,400 Rs. 6,000 Rs. 7,000 Rs. 8,000 and 2 Years as an Associate Professor-cum-Sr. Scientist/Sr. Scientist-cum-Associate Professor/Sr. Scientist or in/an equivalent position in the Pay Band-4 of Rs. 37,400-67,000 with AGP/RGP of Rs. 9,000. iii) The Candidate should have made contribution to research / teaching / extension education as evidenced by published work / innovations and impact.	(e) Deans of the College – Member (f) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) – Member (g) A representative of SC/ST to be nominated by the VC-Member	
15	Associate Professor/Associate Professor-cum-Senior Scientist/	Essential i) Doctoral degree in the relevant subject including relevant basic sciences. ii) 08 Years' experience in the relevant subject as Assistant Prof.-cum-Jr. Scientist / Scientist / Lecturer / Extension specialist or / an equivalent position in the pay band-3 of Rs. 15,600-39,100 with GP/AGP/RGP of Rs. 5,400 Rs. 6,000, Rs. 7,000, Rs. 8,000 having made contribution to research / teaching / extension education as evidenced by published work / innovations and impact. Or Doctoral degree in the relevant subject including relevant basic sciences with minimum 8 Yrs. Experience of high quality post-doctoral research in an institution /organization as evidenced by at least 6 publications in journals with NAAS rating of 7.5 or above.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician nominated by the Chancellor -Member (c) Three experts in the concerned subject/field out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Board of Management- Members (d) Dean of the Concerned Faculty- Member (e) A representative of State Govt. (Animal and Fisheries Resources Dept.) – Member (f) An Academician representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member NB :- five members including two outside subject experts shall constitute quorum	V.C. with the approval of the Board of Management
16	Assistant professor/Assistant Professor cum Junior Scientist	Essential i) Good Academic record with at least 55% of the marks or an equivalent grade of B in the 7-point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the Master's Degree Level in the	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician outside the University not below rank University Professor/Chief Scientist nominated by the Chancellor - Member	Vice-Chancellor

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		relevant subject * of concerned faculty from an Indian University or, an Equivalent degree from a foreign University. ii) For candidates having Master degree NET shall remain compulsory along with one publication in NAAS (National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi) rated refereed Journal for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the disciplines in which NET is conducted. Essentiality of NET can be waved off for candidates holding Ph.D. degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC regulations-2009 and the candidate has at least two full length publications having a NAAS rating not less than 4, on last date of submission of application. Those candidates with Ph.D. degree without course work will not qualify for NET exemption iii) Ph.D. if available shall be preferred. Note: a) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the Marks at Master's Level for the SC/ST category. b) Relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. degree holders who have passed their Master's degree prior to 19th September-1991.	(c) Three experts in the concerned subject/field out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Board of Management- Members (d) A representative of the State Govt. (Animal and Fisheries Resource Dept.) - Member (e) Dean of the Concerned Faculty- Member (f) An Academician representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member NB: five members including two outside subject experts shall constitute quorum	
17	University Librarian-cum-Information Officer	Essential i) Master's Degree in Library Science/ Information Science/ Documentation with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in UGC seven-point scale and consistent good academic record.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician outside the University nominated by the Chancellor - Member (c) Three experts in the concerned subject/field, nominated by the Vice-	V.C. with the approval of the Board of Management.

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		ii) Minimum five years' experience as Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade) or 10 years' experience as College Librarian / Research Institute Librarian in the PB 15600-39100+ AGP Rs. 7600 in Govt. Recognized University or Research Organization. iii) Evidence of innovation library service in organization by published work. Desirable: Ph.D. in Library Science/ Information Science/ Documentation /Archives and manuscript keeping computerization of library.	Chancellor out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Board of Management- Members (d) One of the Deans or Directors to be nominated by the V.C.- Member (e) A representative of the State Govt. - Member (f) A representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member shall constitute quorum	
18	Deputy Librarian	Essential (i) Master's degree in Library Sc./Information Sc./ documentation with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale and a consistently good academic record. (ii) At least 8 years' experience as an Assistant University Librarian/College Librarian. (iii) Evidence of innovative library service, published work and professional commitment, Computerization of library. Desirable: M. Phil/Ph.D. degree in Library Sc./Information Sc./ documentation/ archives and manuscript keeping, computerization of library.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician outside the University nominated by the Chancellor- Member (c) Three experts in the concerned subject/field out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Board of Management- Members (d) One of the Deans/Directors to be nominated by the VC – Member (e) University Librarian- Member (f) A representative of the State Govt. - Member (g) A representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member .	V.C. with the approval of the Board of Management.
19	Assistant Librarian	(i) Master's Degree in Library Sc./Information Sc./ Documentation or an equivalent professional degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale plus a consistently good academic record, (ii) Qualifying in the National level test conducted for the purpose	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician outside the University nominated by the Chancellor - Member (c) Three experts in the concerned subject/field out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Board of	Vice-Chancellor

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
		by the UGC or any other agency approved by the UGC.	Management -Members (d) One of the Deans/Directors nominated by the VC - Member (e) University Librarian- Member (f) A representative of the State Govt. (Animal and Fisheries Resource, Dept.) - Member (g) A representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member	
20	Public Relations Officer	i) Master degree in Science/Journalism/Public Relation with 55% marks or equivalent grade. ii) At least 5 years of relevant experience in publicity/Public Relation in reputed University/Govt. organization.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician outside the University not below rank University Professor nominated by the Chancellor - Member (c) DRI-cum-Dean PGs- Member (d) Director of Extension Education- Member (e) Three experts from outside the University nominated by the Vice-Chancellor - Members (f) A representative of the State Government - Member (f) A representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member	Vice-Chancellor
21	Law Officer	i) LLB degree from recognized University. ii) Minimum Five years' experience as legal practitioner registered with Bar Council, working in the court /in Government/PSU/University etc. will be preferred. Desirable: i) Good Knowledge of computer application. ii) Experience of University administration rules and regulations.	(a) Vice-Chancellor- Chairman (b) An Academician outside the University not below rank University Prof. nominated by the Vice-Chancellor- Member (c) Three experts of concerned field from outside the University nominated by the Vice-Chancellor out of a panel approved by the Board of Management- Members (e) A representative of the	Vice-Chancellor

Sl. No.	Name of the Post	Qualifications	Selection Committee	Appointing Authority
			State Government - Member (f) A representative of SC/ST/OBC/Minority to be nominated by the VC- Member	
22	Posts belonging to all non-teaching employees	As prescribed by the Board of Management/State Government from time to time	(a) Vice-Chancellor or One of the Deans, /Directors to be nominated by the Vice-Chancellor depending upon the nature of the post to be filled up- Chairman (b) Registrar/Dean/Director as nominated by the Vice-Chancellor depending on the nature of the post- Member (c) Two teachers in the rank of University Professor to be nominated by the Vice-Chancellor – Members (d) A representative of the State Government - Member (e) One SC/ST/OBC/Minority representatives to be nominated by the VC- Member	Vice-Chancellor

Note:

- (1) The Selection Committee shall recommend names arranged in order of merit to the appointing authority through proper channel.
- (2) The Selection Committee's recommendation shall be valid for a period of one year from the date on which it is drawn up by the Selection Committee.
- (3) At least five members including two outside experts/subject experts shall constitute the quorum
- (4) When only one candidate satisfies the minimum eligibility criteria, he may or may not be called for interview. At the discretion of the Vice-Chancellor, the members of the Selection Committee may be consulted by circulation of the bio-data.
- (5) The minimum length of experience in the case of persons with exceptionally brilliant academic records, i.e. who holds a Doctorate degree in the subject concerned and who secured a First Division, in all the examinations, or in, exceptional cases, all except one, without having failed at any examination, and has Received National Award/Honors/Distinctions/Medals in subject /field of specialization may be relaxed at the discretion of the Selection Committee.

- (6) The procedure for selection of Professor/Associate/Assistant Professor and equivalent rank should involve the following:
 - (i) The detailed qualifications for posts belonging to different disciplines will be recommended by the Academic Council and may be revised from time to time.
 - (ii) The short-listed candidates will be invited for interview. Selection process should involve the following:
 - (a) Assessment of aptitude for teaching and research.
 - (b) Ability to communicate clearly and effectively.
 - (c) Ability to analyze and discuss.
 - (iii) A candidate must obtain at least 50% marks in the interview to be considered in the merit order for selection.
 - (iv) The selection committee shall record the justification for awarding marks more than 80% or less than 50% in the interview.
 - (v) For different posts in the Veterinary Faculty, the basic degree in Veterinary Science at undergraduate level will be part of essential qualification as per VCI Regulations, 2016.
- (7) The minimum requirement of 55% should not be insisted upon for University Professors, Associate Professors, Registrars, Deputy Registrars, Librarians, Deputy Librarians and other equivalent posts for the existing incumbents who are already in the University system. However, these marks should be insisted upon for those entering the system from outside and those at the entry point of Assistant Professors, Assistant Registrars, Assistant Librarians and other such equivalent posts.

7.2 Incentives for Ph.D.—

- (i) Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degree of Ph.D. awarded in the relevant discipline by a University following the process of registration, coursework and external evaluation as prescribed by the UGC.
- (ii) Those possessing Post Graduate degree in a professional course such as M. Tech./M.V.Sc./M.Sc. (DT), M. Sc. (Fisheries) etc. recognized by the relevant Statutory Body/Council, shall also be entitled to two non-compounded advance increments at the entry level.
- (iii) Teachers who complete their Ph.D. degree while in-service shall be entitled to three non-compounded increments if such Ph.D. is in the relevant discipline and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course-work and evaluation etc.
- (iv) However, in-service teachers who have been awarded Ph.D. at the time of coming into force of this scheme or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work, if any, as well as evaluation, and only notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.
- (v) In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments only

- if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either coursework or evaluation or both, as the case may be.
- (vi) Teachers in-service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore derive the benefit of three non-compounded increments on award of Ph.D., while in-service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.
 - (vii) Teachers who acquire M. Phil. degree or a post graduate degree in a professional course recognized by the relevant Statutory Body/Council, while in service, shall be entitled to one advance increment. If post graduate qualification in a particular subject is not a mandatory requirement at the entry level of requirement acquisition of such a qualification for in-service candidates shall also entitle them to one advance increment.
 - (viii) Five non-compounded advance increment shall be admissible to Assistant Librarian/College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library Sc. from a University complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Sc.
 - (ix) Assistant Librarian /College Librarian and other Library personnel acquiring the degree of Ph.D. at any time while in-service, in the discipline of library Sc. from a University complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments.
 - (x) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian or higher positions who have been awarded Ph.D. in library Sc. at the time of coming into force of this Scheme or having been enrolled for Ph.D. in library Sc. have already undergone course-work, if any, as well as evaluation, and only notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.
 - (xi) In respect of every other case of persons in the posts of Assistant Librarian /College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D., in respect of either course work or evaluation or both, as the case may be.
 - (xii) Assistant Librarian/College Librarian and others in higher Library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore derive the benefit of three non-compounded increments on award of Ph.D., while in service only if such enrolment is with the University

which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.

- (xiii) Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/College Librarian with M.Phil. Degree in Library Sc. at the entry level. Assistant Librarian/College Librarian and those in higher positions acquiring M. Phil Degree in Library Sc. at any time during the course of their service, shall be entitled to one advance increment.
- (xiv) For the teachers recruited w.e.f. 01.01.2016 or later will be given benefits of advance increments for Ph.D./M.Phil. Degree in professional disciplines as approved by the ICAR and State Govt. from time-to-time.

7.3 Service Agreement.—At the time of recruitment in University and its Colleges, service agreement should be signed between the University/College and the Teacher which should be lodged with the Registrar/Principal with a copy to the concerned teacher. The self-appraisal of performance should be a part of the service agreement.

7.3.1 For appointment on the posts of teachers/scientist the qualifications will be revised in accordance with the recommendations/orders of standard setting agencies/regulatory bodies such as Veterinary Council of India/ Indian Council of Agricultural Research and University Grants Commission, as applicable.

7.4 Procedure of Selection.—In the event of or in anticipation of a vacancy, the Vice-Chancellor shall, on the basis of available record and the approved percentage against specified categories of posts decided to be filled up by direct recruitment or by promotion, arrange the constitution of Selection Committee.

7.4.1 Procedure of selection by Promotion.—

- (i) An Evaluation Committee, to be constituted by the Vice-Chancellor, shall consider the names of all officers and employees of the University who possess the requisite qualifications and experience and/or are in the opinion of the Committee, suitable for the post specifically in view of their service record and recommend a panel in order of merit for the approval of the appointing authority. For this purpose the Evaluation Committee shall carefully review the past records, merit, professional attainment and experience of the candidates.
- (ii) If in the opinion of the Evaluation Committee no candidate amongst the employees of the University is found suitable, the post may be filled up by direct recruitment.
- (iii) The non-teaching officers and employees of the Animal Sciences University of the State will be eligible for promotion under provisions of “Bihar Animal Sciences University and its Constituent Units Modified Assured Career Progression Scheme, 2010”.

7.4.2 Procedure for direct recruitment.—

- (i) For direct recruitment, the Vice-Chancellor through such an officer, as he may so designate, arrange to advertise the post in newspapers and invite applications from suitable candidates within the last date so prescribed.

- (ii) On expiry of the last date for receipt of applications all the applications so received shall be compiled and placed before a Screening Committee of concerned Senior Officers constituted for the purpose by the Vice- Chancellor. The Screening Committee after tabulating the applications and comparing the qualifications of the applicants shall prepare a list of names of eligible candidates who should be called for interview and place it before the Vice-Chancellor for his approval.
- (iv) The eligible candidates may be called for interview to appear before the specified Selection Committee constituted as per Statutes, on a specified date.
- (iv) The Selection Committee shall interview the candidates and furnish a panel of suitable persons arranged in order of merit in respect of each post. The selection committee may recommend as not/none found suitable if the performance of the candidates in interview is not satisfactory.
- (v) The Selection Committee may recommend for specified reasons in writing a higher starting salary in the scale of pay for any of the candidate included in the panel for consideration by the appointing authority.
- (vi) The period of validity of any panel prepared by the Selection Committee shall be one year from the date of its recommendation.

7.5 Procedure for Tenurial Appointment.—The posts of Registrar, Deans and Directors will be filled up through direct recruitment for a tenure of five years which may be extended in exceptional cases on recommendation of the Vice-Chancellor by the Board of Management till fresh appointment is made on term whichever is earlier.

Such persons when drawn from other universities/institutions/organizations will be treated on deputation and their salary will be protected including non-practicing allowance as admissible in their parent organization. However, no deputation allowance will be admissible.

7.6 Procedure for appointment.—

- (i) The panel prepared by the Selection Committee in order of merit will be forwarded by the Chairman of the Selection Committee to the Registrar of the University who shall in turn check up the latest vacancy position and forward the panel to the appointing authority without any delay for its approval.
- (ii) On approval of the Panel by the appointing authority the offer letter to selected candidate will be sent online and also by post.
- (iii) Selected candidate from outside of the University will be required to submit at the time of his/her joining a health/medical certificate of being in sound health issued by the Local Civil surgeon of Health Department in reference to the offer letter.

CHAPTER – VIII

ESTABLISHMENT OF PENSION, PROVIDENT FUND, INSURANCE AND OTHER WELFARE SCHEMES FOR THE BENEFIT OF OFFICERS, TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY, AND THE RULES AND TERMS AND CONDITIONS OF SUCH FUNDS OR SCHEMES

In accordance with Section- 35 Sub-section (1) and (2) Chapter-VI of the Act, the scheme for Pensions, General Provident Fund, Contributory Provident Fund, Gratuity and Insurance for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University shall be as mentioned in this Chapter.

8.1 *The University employees shall be allowed the benefit of pension as below.*—Such employee of the University who joined his/her services on or before 31.08.2005 in any establishment/organization of the State/Central Government and the said establishment/organization later transferred in Bihar Animal Sciences University under the Act. will be entitled to the pension provided he/she had opted in old pension rule in his/her previous organization and have not opted for subscribing to the Contributory Provident Fund/New Pension Scheme in the university.

8.1.1 Such employees who were working in Bihar & other state Government/Central Government/ICAR/State Agricultural Universities (SAUs) joined the services in Bihar Animal Sciences University through direct recruitment will also be entitled for pension and other benefits provided he/she fulfill the following conditions:

- (i) He/she had joined his/her previous organization/ establishment specifically on or before 31.08.2005 under old pension scheme.
- (ii) He/she had applied through proper channel to the post of Bihar Animal Sciences University in response to the advertisement for direct recruitment and on selection, joined the Bihar Animal Sciences University after being relieved properly from his/her previous/parent Institution.
- (iii) He/she has got his/her pay/emolument protected through pay fixation in Bihar Animal Sciences University.
- (iv) He/she has got issued the statement of his salary account with the amount of GPF contribution from his/her previous working establishment like BAIYAKTIK DAWA NIRDHARAN KOSHANG/GPF of finance department Govt. of Bihar or office of the Accountant General, Bihar for the person working in Animal Husbandry Department, Govt. of Bihar and from comptroller/Registrar whose previous organization was University.
- (v) The Person serving ICAR/SAUs/Central Government Organization on or before 31.08.2005 will submit the statement of pay account from financial comptroller to Bihar Animal Sciences University with all contribution.
- (vi) He/she has got transferred the amount of Leave Salary/Pension contribution with interest from his/her previous/parent organization/establishment in to the

account of Bihar Animal Sciences University, as the case may be.

- (vii) He/she has got his/her service book verified by the competent authority of his/her previous organization/establishment and thereafter transferred the same from his/her previous organization/establishment to Bihar Animal Sciences University.
- (viii) Where service book is maintained as service record for individual employee, during the opening/verification of service book it is mandatory to mention by the competent authority of his/her previous organization/establishment that he/she was availing the facility of pensionary benefit under Old Pension Scheme and contributing regularly from his/her salary towards General Provident Fund/Old Pension Scheme and continued his/her GPF contribution under the old pension scheme till the date of relieving from the previous organization/establishment.
- (ix) If he/she joined his previous organization/establishment on or after 01.09.2005, and later joined Bihar Animal Sciences University through direct recruitment, he/she will be placed under New Pension Scheme as per the State Government rule presently in force.
- (x) Any change in New Pension Scheme/Old Pension Scheme by the State Government from time to time will also be applicable as such to the university employees.
- (xi) The employees who do not fall under the categories of mentioned above and appointed as fresh in the university on or after 01.09.2005 shall be entitled for New Pension Schemes as per Government rules.

8.1.2 The pensionary entitlements of the University employees will accrue on their attaining the age of superannuation under the University or to their families in the event of death and will comprise of the following:

- (i) Monthly Pension or Terminal Gratuity, as the case may be;
- (ii) Death-cum-Retirement Gratuity, and
- (iii) Family Pension.

The above benefits shall be allowed by the University in accordance with the general rules, orders and principles regulating such payments under the State Government.

8.2 Pension Fund.—The University shall maintain a Pension Fund for payment of Pension and operate the same as per regulations prescribed.

8.3 University General Provident Fund.—The University shall allow the benefit of the University General Provident Fund (UGPF) to such employees who have opted for the same during their service at Bihar Agricultural University, Sabour/Rajendra Agricultural University, Pusa or admitted to old pension scheme on joining Bihar Animal Sciences University on direct recruitment from other organizations. The University General Provident Fund will be governed by the rules of the University as may be approved.

8.4 Contributory Provident Fund.—Such employees of the University who opted for Contributory Provident Fund (CPF) during their service at RAU, Pusa/BAU, Sabour will be permitted continue their subscription of CPF on the same terms and conditions.

8.5 Contribution to fund by University.—The University shall contribute to the fund of the subscriber as approved by Bihar Government from time-to-time.

8.6 Certain conditions.—

- (i) In case of urgent necessity, which in the opinion of the Vice-Chancellor or Officers vested with such powers on his behalf may appear justified, the subscriber may be allowed an advance of a sum not exceeding his emoluments for three months or half of the amount standing to his credit, whichever is less, out of the amount deposited in the Provident Fund Account with interest thereon.
- (ii) The advance shall be recovered in such number of equal monthly installments, not exceeding twenty-four as the Vice-Chancellor or officers vested with such powers on his behalf may fix, and shall be recovered by deduction from the salary payable by the University to the subscriber. The amount of each such installment shall be fixed in whole rupees, the amount of advance being raised or reduced, if necessary to admit the fixation of such installments. The deductions shall commence from the first payment of a full month's salary after such advance has been made.
- (iii) Notwithstanding anything in clause (i) of Section- 8.10 of this Chapter. if an advance is required for the purpose of building or purchasing a house or land for constructing a house the maximum limit of the advance may be equal to twelve months salary of the subscriber, to be repaid in such number of monthly installments not exceeding sixty, as the Vice-Chancellor may determine in consultation with Comptroller.
- (iv) A subscriber may at his option re-pay at any time more than one installment.
- (v) If a subscriber, who has completed twenty years of qualifying service or is to retire within five years, needs an advance for building or purchasing a house or land for constructing a house, or daughter's marriage, treatment of his own or his family; He may be granted a non-refundable advance to the extent of 75% of the amount standing to his credit in his Provident Fund Account.
- (vi) Non-refundable advance shall be granted maximum twice in the entire service.
- (vii) Notwithstanding anything in the section mentioned above the Vice-Chancellor shall have the right to relax the rule contained in clause (i) of Section- 8.10 above, under special circumstances.

8.7 Contribution to Provident Fund by employee on leave.—An employee, who is on leave on full pay, shall continue to subscribe to the Provident Fund and may do so at his option if he is on leave other than full pay.

8.8 Account of employees subscribing to fund to be kept in Form "A".—A separate account in form 'A' shall be kept in the office of the University on account of every employee subscribing to the Provident Fund, and a copy of the account shall be furnished to

every such employee at the end of each financial year and on his ceasing to be in service of the University.

FORM 'A'

Provident Fund, Bihar Animal Sciences University Deposit Account
for the year ending the 31st March, ...

Name of Subscriber:

Account Number:

Name	Opening balance	Deduction from Salary	Contribution	Withdrawal	Closing balance	Interest added at the year end	Total at credit	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.9 Accounts posted in Ledger in Form "B".—Amounts credited or debited to the Provident Fund shall be posted on the same day to the Provident Fund Ledger in Form 'B' given below. The figures for column 6 in the ledger will be calculated yearly as also the net balance of each account entered in column 7 and 10.

FORM 'B'

No. of Account	Name of subscriber	Opening balance	Deduction from salary April to March	Contribution by the Univ.	Interest	Total	Withdrawal	Re- payment	Closing	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8.10 Closure of account on Death or termination of service.—If a subscriber dies or his service is otherwise terminated, his account shall be closed and the sum due to him shall not bear interest or carry any profit after the expiry the month in which his death or termination of his service had occurred.

8.11 On closure of account unclaimed sum to be transferred to Deposit Account.—When an account is closed, any sum remaining unclaimed shall be removed from the Provident Fund Ledger and transferred to a Deposit Account at the end of the year to be dealt with like any ordinary deposit.

8.12 Declaration and nomination:

- (i) Every subscriber shall be required to sign a written declaration that he has read these Statutes and he agrees to abide by them and hand over for registration in the University office the name of the person to whom he wishes the balance at his credit be paid in the event of his death.
- (ii) While nominating more than one person, he may state the proportion in which the said balance may be paid to each of them, respectively. In case the nominee or any of the nominees is a minor, he should state the date of birth of minor nominees and the payment shall be made to the next-of-kin of the nominee or the guardian who may be authorized by law to receive payment on his behalf while he is a minor.
- (iii) The subscriber may, from time to time, add or change his nominee or nominees and the proportion in which the balance at credit is to be distributed, by written application to the University.
- (iv) A record of nominees shall be kept in the University office in Form 'C' given below:

FORM 'C'

Name of Subscriber	Name and address of nominee with date of birth and name of guardian if he is minor	Relationship of the nominee with employee	Signature of the subscriber	Signature of the Asstt. Comptroller of the University
1	2	3	4	5

8.13 Benefit of Contributory Provident Fund not available in certain cases .—Notwithstanding anything contained in the Statutes, no employee of the University shall be entitled to the benefit of the Contributory Provident Fund if he is otherwise entitled to a pension of the University or he has been appointed by the University on a consolidated salary on special terms.

8.14 Gratuity.—

- (1) The gratuity shall be payable on retirement/resignation from service of the University as per Bihar Govt. rules. In the event of his/her demise this gratuity shall be payable to the nominee of the deceased in the prescribed manner. No gratuity shall be payable on dismissal or removal from service for misconduct, insolvency or inefficiency.

8.15 Temporary employees- terminal benefits.—Temporary employee who retire on superannuation or is discharged on account of retrenchment or is declared invalid for further service will be eligible for a gratuity at the ratio of one-third of a month's pay for completed year of service, provided that he has completed not less than 5 years of continuous service at the time of retirement, discharge or invalidating.

The family of temporary employee, who dies while in service, will be eligible for a death gratuity on the scale and subject to the conditions specified below:-

- (i) On death after completion of one year of service but before completion of three years of service **A gratuity equal to one month's pay;**
- (ii) on death after completion of three years of service but before completion of five years of service **A gratuity equal to two month's pay;**
- (iii) on death after completion of five years of service or more **A gratuity equal to three month's pay** or the amount of terminal gratuity mentioned in para 5 above.

8.16 For determination of amount of terminal or death gratuity under para clause 8.18, pay will mean monthly basic pay at the time of relinquishing service or of death as the case may be (or any such emolument may be declared as pay). It will not include special pay, personal pay and any other emolument as pay. In case the employee was on leave without pay immediately before retirement, discharge, invalidation or death, pay for the purpose will be paid which he would have drawn, had he not proceeded on such leave.

CHAPTER -IX

ESTABLISHMENT, AMALGAMATION, SUB-DIVISION AND ABOLITION OF FACULTIES AND DEPARTMENTS

In accordance with the provision in sub-section (1) of Section- 18 Chapter-III of the Act, the University shall have the Faculties as mentioned in the Statutes.

9.1 The Faculties as provided in Sub-sections 1 & 3 of Section 18 of Chapter-III of the Act shall have the Departments as decided by the Board of Management on the recommendation of the Academic Council.

9.2 The University shall have the right to amalgamate or sub-divide, reorganize or abolish any of the Faculties mentioned above and the Departments therein on the recommendation of the Academic Council and approval of the Board of Management.

9.3 As per the need the University can create or establish a new Faculty and Department on the recommendation of the Academic Council and approval of the Board of Management and Government.

9.4 In case of additional financial liability prior approval of the State Govt. will be necessary.

9.5 Each faculty have different departments with the sanctioned strength of teachers and non-teaching employees. The Vice-Chancellor, with the approval of the Board, can shift the employee with post from the department of a faculty to any department of any other faculty in the interest of the university.

CHAPTER – X

SERVICE CONDITIONS OF EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

Leave—

10.1 Leave Rules of Government of Bihar will be applicable to the University employees for the present and revised time to time

Resignation of service by an employee—

10.2 An employee who wishes to resign from University service shall give notice in writing to the University as specified hereunder:

- (a) One month notice, if he is a temporary employee.
- (b) Three months notice, if he is a permanent employee.

Note:

- (i) If an employee fails to give notice as required above, the University shall be entitled to recover from him his salary for the period by which the notice falls short of in lieu of such notice or of the deficiency in the notice as actually given;
- (ii) In case of the employee serving under bond period, the resignation will be accepted only after considering the provisions in the bond.
- (c) Each such case of resignation will be considered by the University for acceptance or otherwise on its own merit.

Termination of service of an employee by the University, superannuation and compulsory retirement—

10.3(1) The University may terminate the service of an employee in any of the under mentioned circumstances:

- (i) On ground of physical and/or mental unfitness for service, as certified by the Medical Board, in which case the employee may represent against the order of termination of his employment to an appellate authority whose decision on the basis of the recommendation of the Medical Board to which the employee's case shall have been referred, shall be final.
 - (ii) On ground of indiscipline, misconduct, moral turpitude or subversive activities on the part of the employee in which case proceedings as communicated in Clause 10.9 at statutes shall be held before orders of termination of service are issued.
 - (iii) As a measure of retrenchment orders by the University, in which case the appointing authority may issue orders of termination of service, provided the employee happens to be the junior most in his sub-cadre and if there is no sub-cadre in his cadre, giving him notice of one month if he holds a temporary post, or one month's pay in lieu thereof; and
 - (iv) On the employee attaining the age of superannuation or being compulsorily retired.
- (2) Each Teaching and Non-teaching employee of the University shall superannuate on attaining the age of 65 and 62 years respectively and thereafter no further extension of service shall be given. The retirement age of employee may change in accordance with the decision of the State Government and implemented in the University

after assent of the Chancellor on recommendation by the Board of Management.

- (3) The Board of Management, on the recommendation of the Vice-Chancellor, may retire a University employee who has attained the age of 50 years or has completed 25 years of service whichever is earlier in public interest.

Voluntary Retirement Scheme— Rules as applicable for State Govt. employee will be applicable in respect of voluntary Retirement Scheme for the employees of the University.

Re-employment—

10.4 If an employee of the University or retired employee of the State/Central Government or any other organization applies for re-employment on superannuation, he may be reemployed in the University's interest, subject to the under mentioned conditions:

- (a) Re-employment shall be done initially for a period of six months. Further extension shall be considered by the Board of Management for a period of six months at a time on the basis of performance the candidates to be judged by the Vice-Chancellor.
- (b) The person to be re-employed must be in reasonably good health for performing the duties he is assigned;
- (c) The pay of employee on his re-employment shall not exceed the limit of reemployment pay according to rules of Bihar Government; and
- (d) Re-employment shall not be granted except in very special circumstances and that under no circumstances, shall it be given beyond the age of 65 years for nonteaching post and 70 years for teaching posts.

Handing over charge on transfer/retirement—

10.5(1) A University employee, under order of termination of service or transfer to another post or proceeding on leave other than casual leave, shall before leaving his post, hand over the charge of his post to such other University employee as may be duly authorized to receive the charge, return to the University all books, apparatus, furniture etc. issued to him for his personal use, and pay to the University in full, all charges due, such as municipal taxes, water and electricity charges, rent of occupation of University residential quarters and on his failure to do so, the controlling officer shall recover the amount due from the employee's last pay if his services have terminated, or from the University Contributions to his Provident Fund.

Non-joining on the transferred posts within stipulated time shall be treated as misconduct and shall be dealt as per provision laid down in the Statutes.

Vacation of quarters—

- (2) A University employee, who is in the occupation of residential accommodation of the University, shall vacate the quarter on transfer to another post or on proceeding on leave or on superannuation or on leaving the University service. In case of non-compliance, disciplinary or other suitable action shall be taken against him as per Regulations on Allotment of Residential Accommodation.

Test and Examinations to improve efficiency—

10.6 An employee of the University may be required to pass such tests as may be prescribed by the Board of Management. The order prescribing the tests shall specify the penalties for failure to pass the tests in time and/or the benefits of advantages accruing from passing the tests. The tests and penalties should be specified in advance by the Board of Management.

Restriction on engagement in trade or business outside the University and participation in political work—

10.7(1) All University employees, except those specifically appointed on a part-time basis, shall be whole time employee and shall not without expressing prior permission of the Vice-Chancellor, engage directly or indirectly in any trade or business or political work whatsoever or undertake any other work outside the University.

NOTE.— This restriction shall not apply to any work or undertaking in connection with examination outside the university provided they do not exceed three examinations in a calendar year.

(2) No employee shall undertake any private tuition or join any coaching centre outside the University.

(3) University employees appointed as the member of Technical Committee or Selection Committee in other organization or invited for delivering guest lecture or for participation in Workshop/Seminar/Symposium/Winter or Summer Schools as Resource Person may be allowed by the Vice-Chancellor as per existing procedure.

Royalties, patent rights for inventions and discovers and honoraria for testing work the University laboratories etc.—

10.8(1) This University shall have the sole right in respect of any invention or discovery of any process made in the University laboratories, farms or workshops and may move for securing the patent right for invention or process from the Government after obtaining from the requisite assignment. The University will bear the cost of securing the patent right and receive all royalties, remuneration or income accruing from the sale or commercial exploitation of such grant of patent.

(2) The University shall pay to the employee concerned such amount as may be determined by the Board of Management as reward provided that in cases where the expenditure incurred by the University on such invention or process is high, the entire expenditure may be deducted by the University at its discretion from the amount of the reward fixed by the Board of Management before it is paid to the employee.

(3) In case the University decides not to apply for the patent rights, the employee concerned may, if he so desires, apply for a patent solely in his own name on payment of 10% of royalty to the University.

(4) Testing of research work on behalf of any organization for which a fee is offered to the University may be accepted by the Vice-Chancellor in consultation with the Chairman or the Head of the Department concerned. Vice-Chancellor shall determine and sanction the honoraria to be paid to the employees concerned for such work, taking into account all expenditure incurred and to be incurred by the University on the said research or testing work.

Conduct, discipline, enquiry, punishment and appeal.—

10.9(1) Any one or more of the penalties specified in Clause (2) given below may, for good and sufficient reasons, such as misconduct, moral turpitude, neglect of duty, violation of terms or conditions of service, inefficiency, indiscipline, criminal conviction, be imposed upon an employee.

NOTE.—The ‘**misconduct**’ for this purpose means:

- (i) willful disobedience or willful omission or negligence in executing any lawful orders or instructions;
 - (ii) willful breach of trust and duty;
 - (iii) demand, acceptance or receipt by the employee, in the discharge of his duties, any gift, gratuity, reward, or remuneration except in accordance with the University rules or orders, or express permission of the Vice-Chancellor;
 - (iv) including in unlawful activity or in political preaching among the students or employees of the University;
 - (v) doing anything which undermines or is likely to undermine the prestige of the University or is detrimental to its interests or disturbs or is likely to disturb the harmony and cohesion of the University’s corporate life;
 - (vi) communicating any document or information, which has come into his possession in the course of discharge of his duties, whether from official sources or otherwise without general or special permission of authorization directly or indirectly, to any person who is not entitled to receive such information or document;
 - (vii) in all such cases of misconduct, offence, crime etc. that can not be dealt with under provisions of these statutes, the existing rules of the State Govt. shall apply and
 - (viii) defiance of Transfer & posting order.
- (2) The following are the minor and major penalties, which may be imposed upon a University employee:-
- (a) **Minor Penalties**
 - (i) Censure;
 - (ii) withholding of increments
 - (iii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the University by negligence or breach of orders or any other act of commissions or omissions;
 - (b) **Major Penalties**
 - (i) reduction to a lower post or to a lower stage in a time-scale of pay;
 - (ii) removal from University service which does not ordinarily disqualify for any other employment in the University;
 - (iii) compulsory retirement;
 - (iv) dismissal from University service which ordinarily disqualifies for further employment in the University and involves ordinarily loss of all accrued financial benefits.

- (3) The appointing authority shall be competent to impose any of the punishments mentioned in clause (2), and an authority, subordinate to the appointing authority, namely Deans, Directors and Principals can impose any minor punishment to Class III and Class IV employees mentioned in sub-clause (a) of Clause (2), and the punishment of censure in the case of the other staff posted under him, if empowered to do so by the former.

Provided that no order shall be passed imposing any major penalty on a University employee unless he has been given an adequate opportunity of making any representation that he may desire to make, and such a representation has been duly taken into consideration.

Explanation.—The full procedure indicated in clause (4) below for a major punishment need not be followed in a case of minor punishment. It will be sufficient, if the officer concerned given an opportunity of explaining the charges against him and the explanation so submitted is taken into consideration before orders are passed.

- (4) The grounds on which it is proposed to impose any major punishment shall be communicated in writing to the University servant concerned and he shall be required to state within a reasonable time:
- (a) whether he admits the truth of all or any of the charges;
 - (b) what explanation or defense, if any, he has to offer; and
 - (c) whether he desires to be heard in person.
- (5) If the appointing authority is satisfied that a prima-facie case against the defaulting employee is established, an inquiry shall be instituted by appointing an Enquiry Officer or Committee.
- (6) At the enquiry, all evidences, oral or documentary, shall be adduced in respect of such of the charges as are not admitted, or in respect of extenuating circumstances, if any, which are pleaded in defense. The person charged shall be entitled to cross-examine the witness and to have such witness called as he may wish provided that the officer or committee conducting the enquiry for special and sufficient reasons, to be recorded in writing refuses to call any witness. The proceedings shall contain sufficient records of the evidence and a statement of the finding and the grounds thereof.
- (7) The Enquiry Officer or Committee may entertain or reject for reasons to be recorded, any request from the accused employee, to be represented by a counsel at the enquiry.
- (8) After the enquiry against a person has been completed, the appointing authority shall consider the report of the Enquiry Officer or Committee, alongwith the evidence adduced during the enquiry, and be competent to pass final orders including the imposition of penalties specified in Clause (2)
- (a) An employee shall be suspended if in a criminal prosecution, the charge against him is such that on being found guilty of it, he is likely to be sentenced to a term of imprisonment or for which he would be dismissed or removed from service in a departmental enquiry, or if he has been refused bail by the Court and committed to prisons;
 - (b) In a case of gross misconduct, bribery or corruption, if adequate prima-facie evidence is available, the employee may be suspended. The suspension order may also be passed in cases

which, on preliminary investigation, merit an enquiry or where suspension of any employee appears necessary for the proper conduct of an enquiry.

- (c) In case where there are reasons to believe that the employee, if allowed to continue on duty might attempt to tamper with the evidence, he shall be required to proceed on such leave as may be due to him, or if there is no leave to his credit, he may proceed on extra ordinary leave, if he refuses to proceed on leave, he may be suspended;
 - (d) (i) An employee under suspension may be paid subsistence allowance at an amount equal to the leave salary and allowance (if any) which an employee would have drawn if he had been on leave on half pay.
 - (ii) If the period of suspension exceeds twelve months, the appointing authority may reduce or increase up to 50% of subsistence allowance if the said authority finds that the period of suspension has been prolonged for reasons (to be recorded in writing) directly or indirectly, as the case may be attributable to the suspended employee or employer; and
 - (iii) Payment of subsistence allowance every month shall be made on production by the suspended employee a certificate to this effect that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.
 - (e) On reinstatement, an employee under suspension shall get his arrear pay in accordance with Bihar Service Code.
- 10.10 (a) An employee shall have the right of appeal against any order of punishment imposed on him by the officer or authority next higher to the one that ordered the punishment.
- (b) He shall have the right of a second appeal over the orders of first appellate authority to the next higher officer or authority, provided that in a case where the first appeal lies with the Chancellor under Sub-section (a), there shall be no second appeal against the Chancellor's order on the first appeal;
 - (c) The orders of the second appellate officer or authority, or of the Chancellor, on the first appeal, shall be final;
 - (d) Appeals should be disposed of within ninety days of filing of the same.

Seniority—

10.11 **Inter-se-seniority** of the employee in the same grade or rank will be determine in accordance with the respective dates of commencement of continued officiation in the concerned grade or rank, subject to the following:

- (i) When certain employees have been appointed on the basis of single merit list prepared by a competent authority, the candidate appointed on the basis of such merit list shall continue to hold their relative seniority;
- (ii) When certain employees have been appointed on the particular date by promotion from a lower grade, they shall maintain their relative seniority as in the lower grade; If on a particular occasion a decision is taken to fill up certain number of posts by promotion and direct

- recruitment, the persons promoted shall take precedence over the persons directly recruited;
- (iii) Inter-se-seniority between employees on deputation from the State Government and other organizations shall continue to be the same as in their parent department.
 - (iv) When an employee from the University and a candidate from outside University are appointed to the particular post on the same date the employee of the University will be deemed senior to the candidate coming from outside the University;
 - (v) The Board of Management shall have an ultimate say in determining inter-se-seniority in between employee of the three aforesaid categories, and also to take such decisions as it is necessary for removal of anomalies.

Advances—

10.12 Advance for purpose of conveyance (bicycles, motor-cycles/scooters or motor-cars) and for construction or purchase or repair of residential houses and marriage loans may be granted to University employees on terms and conditions to be prescribed in the regulations.

Medical aid—

10.13 In the various campuses of the University, facilities to provide medical aid to the employees and their family members shall be extended as prescribed in the regulations.

Compassionate grant—

10.14 If an employee other than a re-employed person who has served the University efficiently and faithfully dies while in service, the Board of Management may sanction on the merit of each individual case a suitable compassionate grant to the children, widow and other dependents of the deceased.

Lien—

10.15 University employee's, permanent or quasi-permanent, permitted to go on deputation to posts outside the University may be permitted to retain lien on their posts in the University service, ordinarily not exceeding three years. In special cases, according to the merit, Board of Management may approve grant of lien beyond three years, but not exceeding the total period of five years. This provision of lien can be availed only once in service period of an employee.

10.16 Any matter regarding conditions of service not covered by the provisions of the statutes may be decided in accordance with the provisions of the corresponding rules of the State Government. In case, where there are no such Government rules, approval of the Board of Management should be obtained.

10.17 In all such cases of misconduct, offense, crime etc. that cannot be dealt with under provisions of these statutes, the existing rules of the State Government shall apply.

CHAPTER - XI**RECORD OF SERVICE OF UNIVERSITY EMPLOYEES****11.0 *Personal file, Annual Performance Appraisal Report (APAR), service book and leave account book of employees:***

11.1 There shall be a personal file for all papers, relating to each of the employee. All papers relating to his recruitment, date of birth, verification of his antecedents and service, leave, promotions, disciplinary action and retirement, shall be duly placed in this file. If an employee acquires any academic qualification or other distinction while in service, papers relating to these shall be duly placed in the file.

11.2 A personal confidential file or **Annual Performance Appraisal Report (APAR)** shall be maintained for each employee. Adverse remarks recorded in the course of periodical or occasional assessment of an employee shall be duly communicated to him to give him an opportunity to make representation, if any, against the remarks.

11.3 A service book giving a history of his service shall also be maintained in respect of each University employee. The service books shall record entries of each incident in his service e.g., the date and nature of each of his appointments and of termination of each appointment in University service, the date of his confirmation, increment, promotion, rewards, and citations earned by him, the dates of his proceeding on leave and return from leave and nature of leave availed.

11.4 A leave account shall be maintained in the proforma prescribed by State Government for the purpose for each University employee showing a complete account of all leave (except casual leave) taken by him.

CHAPTER – XII**CONDITIONS AND MODE OF APPOINTMENT AND DUTIES OF EXAMINING BODIES AND EXAMINERS**

The conditions and mode of appointment regarding the examiner/examining bodies shall be determined as per the academic regulations for undergraduate and Post Graduate programmes to be framed by the Academic Council.

CHAPTER – XIII

MANAGEMENT OF COLLEGES/ CENTRES/ DIVISIONS/ DEPARTMENTS/ REGIONAL STATIONS/ RESEARCH STATIONS/ PASHU/KRISHI VIGYAN KENDRAS

13.1 *The following colleges and institutions shall be constituent units of the University:*

Colleges:

1. Bihar Veterinary College, Patna
2. Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna
3. College of Fisheries, Kishanganj

Other Colleges, Institutes, Research Institutes, Stations, Sub-stations and Pashu/KrishiVigyanKendras will be the constituent unit of the university established with its headquarter at either Patna or elsewhere as approved by the Government. However, prior recommendation of the Board of Management is mandatory for the purpose.

13.2 With respect to teaching, research and extension education in the field of Animal and allied sciences, the jurisdiction and responsibility for the Colleges/Research Institute shall extend to the areas as prescribed in the regulation.

13.3 The Colleges/Institution shall be responsible for establishing of training centre for Animal and allied sciences and such other research and experimental stations for the programmes of training of field extension workers and in the establishment, development and operation of Animal and allied sciences.

13.4 All Research and Experimental Stations, Pashu/KrishiVigyanKendras and Training Centers or other Institutions relating to Animal and allied sciences falling within its jurisdiction shall be administrative sub-units of the respective college/institutions /Faculty under its full management and control.

13.5 Each College shall be headed by a Dean who shall be overall responsible for the conduct of teaching, research and extension education programmes of the College and its subordinate units.

13.6 Each Research Institute/Stations shall be headed by a Director/ Regional Director/Chief Scientist who shall be responsible for the management of research, extension education and training programmes of the Institutions as well as units.

13.7 The Dean of a College shall be responsible for the concerned Faculty. The Dean of the Faculty concerned will co-ordinate with the DRI-cum-Dean PGS, Director Research and Director Extension Education as the case may be, about inter-disciplinary programmes with respect to teaching, research and extension education and training programmes of the College/Research Institutes.

13.8 The Pashu/KrishiVigyan Kendra shall be under the administrative control of the Director, Extension Education and shall be responsible to the Director of Research for research programmes.

CHAPTER –XIV

INSTITUTION, AWARD AND WITHDRAWAL OF DEGREE, DIPLOMAS, CERTIFICATES AND PRIZES, CONVOCATIONS FOR AWARD OF DEGREES

14.1 Degree of University.—The University shall institute the under mentioned degrees.

- a. Degree of Bachelor of Science/Technology
- b. Degree of Master of Science/Technology
- c. Degree of Doctor of Philosophy
- d. Degree of Doctor of Science
- e. Nomenclature of respective degrees in different disciplines will be as approved by the Board of Management on recommendation of the Academic Council.
- f. As and when new faculties/disciplines are established, degrees of Bachelor, Master and Doctor of Philosophy may be awarded in these faculties/ disciplines.

14.2 Registration for Degrees Programmes.—The candidates shall be registered for the Degree Programmes as prescribed in the Regulations on the recommendations of the Academic Council.

14.3 Eligibility requirement for Degrees.—Eligibility requirements for various degrees shall be prescribed in the Regulations on the recommendations of the Academic Council.

14.4 Conferment of honorary degree, academic distinction and withdrawal thereof.—The University may confer honorary degrees of Doctor of Philosophy upon a person as per conditions given below:

- (i) The Honorary Degree of Philosophy or Doctor of Science shall be conferred upon a person on the ground that he by reason of eminent position and attainments or by virtue of his contribution to learning or eminent services to the cause of Animal and allied science Education, Research and Development, is a fit and bonafied person to receive such a degree.
- (ii) The Board of Management shall, subject to prior approval by the Chancellor, have powers to confer the Honorary Degree and other Academic Distinctions on the recommendation of the Academic Council.
- (iii) The Honorary Degree and other Academic Distinctions shall be conferred at convocation, or at a special convocation, and may be awarded in person or in absentia.
- (iv) The presentation of person or persons at the Convocation, on whom the Honorary Degree/Academic Distinctions is to be conferred, shall be made by the Vice-Chancellor.
- (v) If at any time, after conferment of Honorary Degree/Academic Distinctions, it come to the notice of the University that the Honorary Degree/Academic Distinction has been granted to a person who is not fit for the same, the University shall have a right to withdraw the same with the approval of the Board of Management on the recommendation by the Academic Council.

14.5 Diplomas and Certificates.—

- (i) Courses for training of technicians in animal and other allied sciences and for farmers, may be provided by the university. Detailed schemes for such courses providing for award of diplomas and certificates, shall be drawn up by the Board of studies and submitted for approval to the Vice Chancellor through the Academic Council.
- (ii) Orientation courses for Animal, Dairy and Fisheries Scientists and for scientists and technologists in other allied Sciences may be provided, from time to time by the University.
- (iii) Refresher courses for field veterinarians, Dairy Technologists/ Husbandry and Fishery graduates including post graduates employed in respective department of State government will be conducted in the university. The respective Board of studies of each faculty will prepare the course content and duration of courses for approval by Board of Management on the recommendation by the Academic Council.

14.6 Medals, Certificate, Honour and Prizes.—

- (i) A student who in fulfilling the University requirements for a degree, diploma or certificate, has at his credit an outstanding performance, may be awarded:
 - a. A medal, or
 - b. A certificate of honour or
 - c. A prize as per provision in the regulation.
- (ii) Best Teacher Award/Best Research Scientist Award/Best Extension Worker Award will be given annually as per criteria laid down by Academic Council with approval of Vice Chancellor.

CHAPTER – XV

HOLDING OF CONVOCATION TO CONFER DEGREES AND DIPLOMAS

15.1 The University may hold convocation once in a year for the purpose of conferring degrees and diplomas on a date and place to be fixed by the Chancellor on recommendation of the Vice-Chancellor. The proceedings of the convocation shall be conducted in accordance with the Regulations made separately for the purpose.

15.2 The Chancellor shall preside over the convocation of the University and confer degrees, diplomas and other Academic distinctions on persons entitled to receive. In case the chancellor is unable to preside over the convocation due to unavoidable reasons, he may authorize/ nominate the Vice Chancellor to preside over the convocation.

CHAPTER – XVI

DELEGATION OF POWERS TO THE AUTHORITIES AND EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

Powers of authorities and employees of the University not covered by the Act & Statutes.—

16.1 The powers of the authorities and employees of the University, not covered by the Act and Statutes, shall be as prescribed in the Regulations.

16.2 Subject to the provisions of the Act and the Statutes, any officer or authority of the University may delegate his or its financial and administrative powers to any other officer or authority or person under his or its respective control subject to the condition that overall responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or authority delegating such powers.

16.3 The Vice-Chancellor may constitute a Committee as and when required to see that the delegated financial and administrative powers are used as per rules of the University.

16.4 Any matter not covered in the Statutes shall be dealt as per service rules of the State Government.

CHAPTER –XVII

AGREEMENT AND CONTRACTS

MISCELLANEOUS

Agreements and contracts.—

17.1 The following officers shall sign contracts and agreements on behalf of the University:

	Documents	Officers authorized to sign on behalf of the University
1.	Agreement regarding appointments, training and other deputations, study leaves.	Appointing authority (provided that the Registrar shall sign for the University in cases where the Board of Management or the Vice- Chancellor is the appointing authority).
2.	Agreement in respect of scholarship or fellowships.	Director Students Welfare
3.	Agreement in respect of works.	(a) Director, Works & Plant in respect of all works involving an estimated cost upto Rs. five lakhs. Above five lakhs he will sign the agreement with the approval of the Vice-Chancellor. (b) Dy. Estate Officer in respect of all works involving an estimated cost up to Rs. One lakh.
4.	Other Agreements and contracts	Registrar/Officers nominated by the Vice-Chancellor

CHAPTER- XVIII
ALLOWANCE OF MEMBERS OF BOARD OF MANAGEMENT AND
OTHER STATUTORY COMMITTEES

18.1 For attending meetings of the Board of Management and Committees formed by the Board of Management as well as meetings connected with University affairs, the non-official members of the Board of Management of the University shall be entitled to traveling allowance at the following rates:

- (a) The Non-official members will get Travelling and Daily Allowance applicable to the Grade-I officers of the University.
- (b) The non-official members of the Board will get sitting allowance as approved by the Board of Management.

18.2 Travel by Air.—The non-official members may travel by air (economy class) for which they will be entitled to traveling allowance in accordance with the Traveling Allowance Rules of the Government of Bihar.

By Order of the Governor of Bihar,
Narmadeshwar Lal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 63-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>